# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

**विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 29 अगस्त, 2024 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कॉंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।**

## प्रश्नकाल

## तारांकित प्रश्न

**29.08.2024/1100/डी0टी0/डी0सी0-2**

**प्रश्न संख्या :1411**

**श्री पवन कुमार काजलः** अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ नियुक्तियां हुई जिसमें चुनाव विभाग में 15 व उद्योग विभाग में 9 नियुक्तियां हुईं हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ये कहना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इस आरक्षण के अनुसार चुनाव विभाग में जो नियुक्तियां हुई उनमें 15 पदों में 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभियर्थी की बनती थी और उद्योग विभाग में एक पद इस वर्ग के लिए बनता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ये कहना चाह रहा हूं कि ओ0बी0सी0 के लिए जो आरक्षण 18 प्रतिशत है, उसे तो ढंग लागू किया जाए।

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सूचना के कुछ और भी पहलू हैं। माननीय सदस्य के द्वारा सिर्फ दो विभागों में हुई भर्तियों का उल्लेख यहां किया गया है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि सूचना विभाग में ओ0बी0सी0 के दो पद हैं और दोनो भरे हुए हैं व उद्योग विभाग में एक पद है वह भी भरा हुआ है। ये सूचना जो इनके पास उपलब्ध है वह गलत है लेकिन इन्होंने सूचना का और भी भाग मांगा है, उस सूचना को हम बजट सत्र तक देने का प्रयास करेंगे।

**अध्यक्षः** नेता प्रतिपक्ष क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

**श्री जय राम ठाकुरः** अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पोस्टपोन प्रश्न है जिसमें महत्वपूर्ण विषय है। इस पोस्टपोन प्रश्न का रिप्लाई भी पूर्ण नहीं दिया गया है। आप कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का मजाक है। जब भी कोई पोस्टपोन प्रश्न होता है वह एक सत्र के बाद दूसरे सत्र के लिए पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन जब उस प्रश्न का जवाब दिया जाता है तो उसका पूर्ण जवाब दिया जाता है। ये नई-नई चीजे जो हो रही है मैं समझता हूं कि यह हम सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। जब हमको सरकार से सूचना मांगने का अधिकार है, जानकारी लेने का अधिकार है, तो वह सूचना आधी-अधूरी क्यों दी जा रही है?

**Speaker:** We will ensure that आपको पूरी सूचना मिले।

**29.08.2024/1100/डी0टी0/डी0सी0-3**

**श्री जय राम ठाकुर** : क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इसी सत्र में प्रश्न का उत्तर देंगे।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार सूचना छुपाने का काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न का जो तीसरा प्वाइंट है उसका उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ है। जो आपने दो बाते पूछी हैं उसमें उद्योग विभाग और चुनाव विभाग में ओबीसी के पद भरे और इसकी सूचना हमने दे दी है। प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा गया है कि "यदि हां तो गत दो वित्तीय वर्ष में इन संपर्क अधिकारियों ने रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कितनी बैठकें की हैं? ब्यौर बैठक की तिथि व संपर्क अधिकारियों के नाम सहित दें?" अभी हमारी सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। **इसलिए कहा गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है", हम बजट सत्र में यह सूचना उपलब्ध करवा देंगे।** आपको नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आप सूचना मांगेगे वह हम सारी सूचना उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

**श्री एन0जी0द्वारा जारी...**

**29-08-2024/1105/डी.सी.-एन.जी/1**

**व्यवधान के पश्चात.....**

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न का जवाब कभी भी पार्ट्स में नहीं दिया जाता बल्कि जब पूरी सूचना मिल जाती है तब उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।...(व्यवधान)

**Speaker :** Hon'ble Members, please, take your seats. ...(Interruption).

**उप मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, यह पता लगाया जाए कि श्री जय राम ठाकुर जी को इतना गुस्सा क्यों आता है?

**29-08-2024/1105/डी.सी.-एन.जी/2**

**प्रश्न संख्या - 1499 (स्थगित)**

**श्री पवन कुमार काजल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो सूचना दी है वह ठीक है और उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में ओ0बी0सी0 वर्ग को 15 प्रतिशत तथा इसी प्रकार सरदार पटेल विश्वविद्यालय में भी 15 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन डॉ. वाई. एस. परमार औद्योगिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, सोलन में ओ.बी.सी. वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सरकार बी.एड में 18 प्रतिशत, एम.बी.बी.एस. और अन्य संस्थानों में भी अलग-अलग आरक्षण देकर एक-एक सीट आवंटित की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन संस्थानों में किस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है? मैं जानना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा में ओ.बी.सी. वर्ग को एक जैसा आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है?

**राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) :** अध्यक्ष महोदय, यह मामला रिट पटिशन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में सब-ज्यूडिस है। फिर भी माननीय सदस्य ने इसके बारे में जानना चाहा है। इसमें हमारे कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय व अन्य संस्थान हैं, वहां पर हमारे ओ.बी.सी. वर्ग के आरक्षण को वे अपने-अपने स्टैच्यूज़ के हिसाब से प्रदान कर रहे हैं। लेकिन संविधान में जो संशोधन हुआ उसके मुतलिक जो आरक्षण मिलना चाहिए उसे लेकर कुछ लोग

माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं और **माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद हम इस पर विचार करेंगे।**

प्रश्न समाप्त/-

**29-08-2024/1105/डी.सी.-एन.जी/3**

**प्रश्न संख्या - 1774**

**श्री विनोद कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो सूचना दी गई है उसके अनुसार "क" भाग में कहा गया है कि अटल आदर्श विद्यालय मढ़ी के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अटल आदर्श विद्यालय गडाहरी के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री, जोकि आज यहां पर नहीं है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? मढ़ी के लिए 40 करोड़ रुपये और नाचन विधान सभा क्षेत्र के गडाहरी के अटल आदर्श विद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि तो माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार द्वारा ही जारी कर दी गई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार मिला हूं और मुख्य मंत्री जी ने विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए थे कि गडाहरी के अटल आदर्श विद्यालय के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी कर दी जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके आदेशों के बावजूद भी क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे हैं? आपने दो बार व्यक्तिगत तौर पर इस विद्यालय को लेकर चर्चा की है लेकिन उसके बाद भी इसके लिए पैसा क्यों नहीं दिया गया?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा उत्तर के "ख" भाग में कहा गया है कि अटल आदर्श विद्यालय, गडाहरी के विद्यालय भवन का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शेष 10 प्रतिशत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया

जाएगा? इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि आवासीय भवनों, कन्या छात्रावास, बहुउद्देयश्यीय हॉल का निर्माण कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि शेष 60 प्रतिशत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1110/केएस/एचके/1**

**प्रश्न संख्या : 1774 जारी**--

**श्री विनोद कुमार जारी**---

मैं माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस अटल आदर्श विद्यालय का कार्य चला हुआ है या रुका हुआ है?

**राजस्व मंत्री (प्राधिकृत)**: अध्यक्ष महोदय, अटल आदर्श विद्यालय जो नाचन विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, इस बारे में माननीय सदस्य बता रहे हैं कि 40 करोड़ रुपये धर्मपुर वाले इलाके में दिया गया, तो इसका तो जय राम ठाकुर जी जवाब देंगे कि क्यों वहां 40 और आपको क्यों 20 दिया गया।

**मेरा यह कहना है कि जितना काम अभी बचा है, एक भवन का 90 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे और जो 60 प्रतिशत वाला है, उसको भी शीघ्र ही पूरा करेंगे।** ...(**व्यवधान**) शीघ्र को भी समय लगता है।

**Speaker :** No interruption please. ...(Interruption) विनोद जी, आपने तो तीन सवाल इकट्ठा पूछ लिए हैं। परमार जी, आप बोलिए।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, पिछली जय राम ठाकुर जी की सरकार में अटल जी के नाम से एक महत्वकांक्षी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। लगभग 28 स्थान हिमाचल प्रदेश की अलग-अलग विधान सभाओं में चिन्हित भी किए गए थे। इन 28 स्थानों के लिए बजटरी प्रावधान भी किया गया था। प्रश्न के उत्तर में तीन जगहों- कुटलैहड़,

धर्मपुर और नाचन विधान सभा क्षेत्र का ज़िक्र है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, जिनको प्राधिकृत किया गया है, पता नहीं शिक्षा मंत्री आज क्यों नहीं आए हैं?

**अध्यक्ष :** परमार जी, क्या आपको पता नहीं है कि एक वरिष्ठ पत्रकार की आज मृत्यु हो गई है और वे शिक्षा मंत्री जी के रिश्तेदार थे। वे वहां गए हैं इसलिए नहीं आ पा

**29.08.2024/1110/केएस/एचके/2**

**श्री विपिन सिंह परमार :** जी, अध्यक्ष महोदय। उनके संसार को छोड़ने का हमें दुख है। वे हमारे भी मित्र थे, परिचित थे। उनकी आत्मा की शांति की हम कामना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानना चाहा था कि जिन तीन स्थानों पर भवन बन गए हैं, वर्ष 2017 और 2022 के बीच में जो एजुकेशन का मॉडल कोट था वह सब-कुछ तय हुआ था। अध्यापकों का कैडर तय हुआ था, बोर्डिंग का स्ट्रक्चर प्रावधान तय हुआ था, कितने किलोमीटर की दूरी से बसिज़ वगैरह की व्यवस्था होगी, वह तय किया गया था। अभी सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, मुझे यह जानकारी मिली है कि इस सरकार ने राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की भी घोषणा की है। जब हिमाचल प्रदेश में अटल आदर्श विद्यालय के लिए जय राम ठाकुर जी की सरकार ने बजटरी प्रावधान किया था तो इसको ओवरलैप करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे यह जानकारी भी मिली है कि जैसे कुछ शिक्षण संस्थान कमर्शियल एजुकेशन, शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं, मैं सभी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे यह जानकारी मिली है कि ये जो स्कूल बन कर तैयार हो गए हैं, इनकी जमीन को पट्टे पर दे दिया जाएगा। क्यों हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है? शिक्षा मंहगी हो जाएगी। ...(व्यवधान) हम प्रमाण दे देंगे परंतु यहां पर मुख्य मंत्री जी, उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। अवस्थी जी, आपके पास यह विभाग नहीं है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, जब इनके पास विभाग ही नहीं है तो ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? या तो इनको विभाग दे दो।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री करिए। इस तरफ अड्रेस करिए। वहां मत देखिए।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर पिरामल आ रहा है, यहां पर डी.ए.वी. दिल्ली आ रहा है, हिम अकेडमी ने अपना आवेदन दिया है, अभिलाषी ने आवेदन दिया है, विद्यापीठ वालों ने अप्रोच किया है। इतने ज्यादा जो रिनाउंड स्कूल या इंस्टिट्यूशन अलग-अलग चलाए जा रहे हैं, उन्होंने सरकार के पास आवेदन किया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1115/av/hk/1**

**प्रश्न संख्या : 1774------ क्रमागत**

**श्री विपिन सिंह परमार------ जारी**

मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी अब इसमें फैसला लेने वाले हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमीन को पट्टे पर देने की जरूरत क्यों पड़ी? जब वहां पर 55-60 करोड़ रुपये के भवन बन चुके हैं तो उसे उन प्राइवेट इंस्टिट्यूशन्ज को जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, उनको देने की क्या जरूरत पड़ गई? यह तो पट्टा और शिक्षा को बेचने का काम हो रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको तुरंत रोका जाए। ...(व्यवधान) आपने जो अपने एजेंडे में कहा है आप उसको बनाए, मैं उसके लिए मना नहीं करता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्ज पर रोक लगाएंगे तथा पट्टे पर जमीन न देकर उन 28 स्कूल्ज के लिए बजट का प्रावधान करवाएंगे?

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी है मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि किसका जवाब पहले दूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से फुल बोर्डिंग स्कूल खोलने और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के कंसैप्ट्स हैं। माननीय सदस्य को इन दोनों कंसैप्ट्स में कंफ्यूज़न हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने नाम व नीति कुछ नहीं बदला है और ये दोनों कंसैप्ट्स रहेंगे। यहां पर तीन स्कूलों का जिक्र आया है जिसमें से एक माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी के विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। उसके

लिए इनको उस समय केवल 10 करोड़ रुपये की राशि मिली थी और 40 करोड़ रुपये की राशि श्री महेन्द्र सिंह जी तथा 20 करोड़ रुपये की राशि श्री विनोद कुमार जी ले गए थे। आपकी सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है कि आपको केवल 10 करोड़ रुपये ही मिले। इसको पूरा करने का दायित्व **हमारी सरकार का है और हमने कहा है कि इसको जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाएगा।** भाजपा सरकार के समय में शिक्षा विभाग के नाम पर 11 स्कूल्ज के लिए जमीन स्थानांतरित की गई थी। उसमें भी जिन स्कूल्ज के लिए वर्ष 2020 में जमीन स्थानांतरित कर दी गई थी उसके लिए भी इनकी सरकार ने वर्ष 2021 व 2022 में भी बजट का कोई प्रावधान नहीं किया।

29.08.2024/1115/av/hk/2

अब हमें भी तो इसको पूरा करने में समय लगेगा तो **मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको पूरा किया जाएगा।**

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को सवाल पूछने के लिए ही 5 मिनट का समय दे दिया। आप विपक्ष को बहुत समय देते हैं और यह अच्छी बात है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को ज्यादा समय देना आपकी परिकल्पना भी है और आप देते भी हैं।

मैं दो चीजें कहना चाहता हूं कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय तो बहुत कुछ किया था परंतु उसमें से कोई भी काम नहीं किया। आज क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच गया है और यह सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से हुआ है। इनके समय में कुछ स्कूल ऐसे थे जिनमें कोई अध्यापक ही नहीं थे तथा उसके बावजूद इन्होंने और स्कूल भी खोल दिए थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में गंभीरता से विचार कर रही है। हम शिक्षा के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंजिज लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर पर अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साईंसिज इत्यादि नये कोर्सिज शुरू करने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल के 18 महीनों का यह परिणाम है कि क्वालिटी एजुकेशन में जो हम 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है।

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1120/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**
**प्रश्न संख्या : 1774. क्रमागत्**
**मुख्य मंत्री ...जारी**

और जहां भी प्रदेश में अटल जी के नाम से स्कूल खुले हैं, हम देश के किस भी प्रधानमंत्री के नाम से खुले हुए स्कूलों को न तो बंद कर करने जा रहे हैं और न ही उनके लिए किसी प्रकार से पैसों की कमी होगी। हमने "राजीव गांधी डे-बोर्डिंग" के नाम से एक नई पॉलिसी लाई है और सरकारी स्कूल के बच्चों को उच्च स्तरीय व टेक्नोलॉजी बेस्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी लेकिन किसी व्यवस्था को बदलने में समय लगता है। आपके समय में जो स्कूल खुले थे उनको चलाने के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें कोई दोराय नहीं है, जैसे-जैसे काम खत्म होता है हम और धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। आपकी सरकार के समय में 19 करोड़ रुपया धर्मपुर के मढ़ी स्कूल में खर्च हुआ था और जब हमारी सरकार आई तो हमने उसके लिए 21 करोड़ रुपया और दिया। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार के विधान सभा क्षेत्र में जो काम रुका है या चल रहा है उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। जो तीसरा स्कूल कुटलैहड़ में है, हम चाहेंगे कि वहां भी हम स्कूल को पैसा दें लेकिन शिक्षा का जो हाल आपकी सरकार करके गई है उसको सुधारने में समय लगेगा। मैं आपको इस सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा स्तर में व्यापक फेरबदल की जरूरत है और इस ड्रास्टिंग चेंजिंग में विपक्ष भी हमारा साथ दें ताकि जो भविष्य की युवा पीढ़ी यानी हमारे बच्चे हैं, वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्म-विश्वास से पूरी तरह से भरे हों। इसलिए हम शिक्षा नीति में बदलाव करने जा रहे हैं। धन्यवाद।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, एक तो मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रश्न का जवाब नहीं आया। दूसरी बात आपकी सरकार ने दो साल में ही प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया है लेकिन शिक्षा विभाग का तो बुरी तरह से भट्ठा बिठा दिया है। यह शब्द उचित है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

आप शिक्षा के इन संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं। इसके लिए आपने विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं जिसको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने निविदाएं मंगवा ली हैं। पालमपुर यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचने की तैयारी हो गई है।

**29.08.2024/1120/टी0सी0वी0/वाई0के0-2**

वहां पर होटल खोला जा रहा है, टूरिज्म विलेज खोलने जा रहे हैं और आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बात कर रहे हैं। आपने राजीव गांधी जी के नाम पर शिक्षा संस्थान खोले हैं, आप उनको चलाएं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को बंद करना और उनको नीलाम करने का काम बंद करना सुनिश्चित करें। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि हिमाचल प्रदेश में 28 स्थानों पर जो अटल आर्दश विद्यालय के लिए चिन्हित स्थान हैं उनके लिए बजट का प्रावधान करेंगे और उन सभी संस्थानों के लिए जो योजना है उसके मुताबिक उनके भवनों का निर्माण किया जाएगा? यदि आप शिक्षा के स्तर के बारे में सही रूप से चिंतित है तो हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं।

तीसरा, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में निविदाओं के माध्यम से इन अटल आदर्श विद्यालयों को बेचने की जो तैयारी की जा रही है, उसको बंद करेंगे?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं काल्पनिक बातों का क्या जवाब दूं। काल्पनिक बातों का कोई जवाब नहीं होता है लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारा ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता की ओर है और उसमें हम बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान)...

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

29.08.2024/1125/एन0एस0-वाई0के0/1

प्रश्न संख्या : 1774-----क्रमागत

मुख्य मंत्री ------जारी

हमारा ध्यान सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता की ओर है। ...(व्यवधान)

**Speaker :** Hon'ble Members, please take your seats. ...(Interruption) बैठिए-बैठिए। ...(व्यवधान) Let the Hon'ble Chief Minister reply. ...(Interruption) Nothing will go on record except the Hon'ble Chief Minister's reply. ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption)

**मुख्य मंत्री :** हम किसी भी शिक्षण संस्थान को नहीं बेच रहे हैं। ...(व्यवधान)

**Speaker :** Hon'ble Members, please take your seats. ...(Interruption) Let the Hon'ble Chief Minister complete his reply. ...(Interruption) Please take your seats. Let him reply. ...(Interruption)

**मुख्य मंत्री :** हम किसी शिक्षण को नहीं बेच रहे हैं। आप नारे क्यों लगा रहे हैं? सुनने की शक्ति कम हो गई है। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। दूसरा, जिन 28 अटल आदर्श विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो हम शिक्षण संस्थानों को क्यों बेचेंगे? हम उन जगहों को पट्टे पर क्यों देंगे? जो शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं और जहां हमने शिक्षण संस्थान खोलने हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किसी भी शिक्षण संस्थान को बेचने के पक्ष में नहीं हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई है वह पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है।...(व्यवधान)

**Speaker :** Hon'ble Members, please take your seats. ...(Interruption) Let him complete. ...(Interruption) बैठिए-बैठिए। ...(Interruption) Let him complete his reply first. ...(Interruption) Please take your seats.

29.08.2024/1125/एन0एस0-वाई0के0/2

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिन 28 अटल आदर्श विद्यालयों की बात की है तो उसमें 3 विद्यालयों का आपने काम शुरू किया और अगर बाकी जगहों पर जगह उपलब्ध होगी तथा धन का प्रावधान होगा तो हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे।

**Speaker :** Hon'ble Members, please take your seats. ...(Interruption) आप पहले बैठो तो सही। आप बैठेंगे तो मैं नाम लूंगा। अभी तो मैंने आपका नाम नहीं बोला। अब श्री जय राम ठाकुर जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और हम इनसे एक ही बात जानना चाह रहे हैं कि क्या यह सत्य है कि जो संस्थान बन गए हैं उनको लीज पर देने के लिए आपने विज्ञापन दे दिया है? इसका विज्ञापन अखबारों में आ गया है। अगर झूठ ही बोलना है तो बात अलग है।

**अध्यक्ष :** आप सप्लीमेंटरी पूछ लीजिए।

**श्री जय राम ठाकुर :** अगर आपने इन संस्थानों को लीज पर देने का फैसला कर दिया तब भी बताएं और अगर नहीं दिया है तो यह सुनिश्चित करें कि लीज पर नहीं देंगे तथा इनको सरकार स्वयं चलाएगी?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से ही कह रहा हूं कि हमारा किसी भी जमीन को लीज और पट्टे पर देने का विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या : 1775 आर0के0एस0 द्वारा ..... जारी

29.08.2024/1130/RKS/AG-1

**प्रश्न संख्या:1775**

**श्री संजय रत्न :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणियों के 47 सरकारी आवास क्यों खाली पड़े हैं? दूसरा, स्टेट कैपिटल में केवल मात्र 04 सरकारी भवनों का ही निर्माण किया जा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश से जब कोई

अधिकारी/कर्मचारी ट्रांसफर होकर यहां अपनी सेवाएं देने आते हैं तो उन्हें यहां सरकारी आवास नहीं मिलता। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए कोई सरकारी कोलोनी बनाने का विचार रखती है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के निजी आवास हैं और वे अपने आप सरकारी आवास में रह रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम-8 के तहत हैडऑक बेस पर मकान अलॉट किये जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये मकान हैडऑक बेस पर अलॉट नहीं होते। सरकारी मकान परमानेंट बेस पर अलॉट किए जाते हैं और जब तक कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवा देता है तब तक वह उसी सरकारी मकान में रहता है। इसके अतिरिक्त जिन विभागों के पास दो मकान होते हैं उन्हें वे जनरल पूल में ट्रीट नहीं करते। लेकिन जिस विभाग के पास सैंकड़ो मकान हैं वह विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों को हैडऑक बेस पर मकान अलॉट करता है। मेरा आग्रह है कि क्या आप इन बातों पर कोई संज्ञान लेंगे?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, कैपिटल होने के कारण सभी विभागों के दफ्तर यहां पर स्थापित हैं जिस कारण सरकारी कर्मचारियों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। अभी हमारे पास ऐसी कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं है जहां हम सरकारी मकान बना सकें। सरकारी आवास अलॉट करने के लिए कई प्रकार की सूचियां बनी हैं। हम मेडिकल बेस पर भी सरकारी मकान अलॉट करते हैं। जो माननीय सदस्य ने बातें कही हैं इन बातों पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। जो आपने 47 मकानों की बात की है वे रहने लायक नहीं है। लेकिन कोई दबाव डालता है तो फिर हम उसे मकान अलॉट कर देते हैं। आपने जो बातें कही हैं हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

29.08.2024/1130/RKS/AG-2

**श्री संजय रत्न** : अध्यक्ष महोदय, पूल अकॉमोडेशन में मकान इयर मार्कड होते हैं। लेकिन मंत्री के मकान में अधिकारी रह रहे हैं, अधिकारी के मकान में जज और जज के मकान में पत्रकार रह रहे हैं जोकि ठीक नहीं है। हमारे मंत्रियों, चेयरमैन, मुख्य सचिव, डी.जी. व क्लास वन ऑफिसर्ज के लिए इयर मार्कड मकान होने चाहिए। हर कोई दबाव डालकर सरकारी मकान ले लेता है। लेकिन जब बाहर से कोई अधिकारी ट्रांसफर होकर यहां आता

है तो उसे यहां सरकारी मकान नहीं मिलता। मैं 15 अगस्त को देहरा में था और उस समय मुझे लंदन व कनाडा से फोन आ रहे थे कि आप झंडा फहराने के लिए मुख्य मंत्री जी के साथ गए तो हम बम्ब से उड़ा देंगे। मैंने रात का 10.00 बजे डी.जी. साहब को फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आधे घंटे बाद जब उनका रिप्लाई आया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका फोन पिक नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सरकारी आवास नहीं है इसलिए मैं खाना-खाकर बाहर से आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम मकान इयर मार्कड करेंगे तो जिस दिन डी.जी. ने टेक-ऑवर किया उसी दिन उसे सरकारी मकान अलॉट हो जाएगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में मंत्रियों, चेयरमैन्स व अधिकारियों के रहने के लिए सरकारी मकान इयर मार्कड किए जाएंगे?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही बात कही है। कुछ मकान तो हाई कोर्ट वालों ने ही इयर मार्कड कर दिए हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट वाले कह रहे थे कि हमें और भी सरकारी मकान चाहिए। आप जानते हैं कि हाइ कोर्ट वालों से कैसे निपटना पड़ता है। वे मकानों को अपने-आप ही इयर मार्कड कर देते हैं। वे एक्सिक्यूटिव को पूछते ही नहीं हैं। हमारी सरकार इस विषय में मुख्य न्यायाधीश जी से बात करेगी कि जब उनके जजिज को सरकारी मकानों की जरूरत होंगी तो उस समय उन्हें मकान अलॉट कर दिए जाएंगे। हमारे डी.जी.पी. रैंक के कई अधिकारियों को भी सरकारी मकान नहीं मिले हैं। कई अधिकारी जो अभी ट्रांसफर होकर आए हैं वे भी अभी विल्ली पार्क में ही रह रहे हैं। हम इन चीजों पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। आपने जो मिनिस्टर, डी.जी.पी. या अन्य अधिकारियों के सरकारी मकान इयर मार्कड करने की बात कही है हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

29.08.2024/1135/बी.एस./ए.जी.-1

**प्रश्न संख्याः 1775 क्रमांगत...**

जो इयर मार्क की बात है कि मकान अधिकारियों या मुख्य सचिव का होना चाहिए, डी.जी.पी. का होना चाहिए या मंत्री का होना चाहिए? हम इस बारे में गंभीरता से विचार

करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास मकान उपलब्ध हैं और जहां पर उपलब्ध नहीं हैं यह एक गंभीर समस्या है। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम कुछ कार्यालयों को शिमला से बाहर डी-कंजस्ट कर दें जहां पर हमारे सरकारी भवन बने हैं तो सही रहेगा। अनेक जिला मुख्यालयों में हमारी सरकारी बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हैं वहां पर कोई भी नहीं रह रहा है। ऐसी बिल्डिंग्ज में हमारे कुछ कायालयों को डी-कंजस्ट किया जा सकता है। उस बारे में भविष्य में सरकार विचार रखती है और यह जो मकानों की समस्या आ रही है तभी इससे भी निपटाया मिल सकता है। शिमला तो पूरे-का-पूरा होरिजोटल बस चुका है और यह शोघी से मशोबरा तक यही हाल है। हम वर्टिकल नहीं गए है। यदि शिमला में कही पर रहना भी हो तो 10 किलोमीटर दूर जगह मिलेगी और वहां से आने में ही एक घंटा लग जाएगा। आज ट्रैफिक की डेंसिटी भी दिन-प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। सब चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है और हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

**प्रश्न संख्याः 1776**

**मुख्य मंत्री :** सूचना एकत्रित की जा रही है।

29.08.2024/1135/बी.एस./ए.जी.-2

**प्रश्न संख्याः 1777**

**श्री सुरेश कुमार (भोरंज) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था वह सीर खड्ड के तटीयकरण से संबंधित था विभाग द्वारा जो उत्तर मुझे दिया गया है उसमें कहा गया है कि 30.9.2020 को 157 करोड़ रुपये निवेश की मंजूरी केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए दे दी गई है। लेकिन अभी इसे केन्द्र सरकार के पास वित्तापोषण हेतु भेजा गया है। वर्ष 2020 के बाद अब वर्ष 2024 चला हुआ है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन चार वर्षों में केन्द्र सरकार के साथ विभाग द्वारा कोई पत्राचार किया गया है? अगर किया गया है तो इसका क्या जवाब आया है?

**उप-मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री को बताया गया है कि यह 157 कारोड़ रुपये की इस योजना की अनुमानित लागत है और इसके निवेश की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब पैसा तो केन्द्र सरकार ने देना है जब तक केन्द्र पैसा नहीं देगा तब तक यह कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे केन्द्र के पास लगभग 2531 करोड़ रुपये के 12 प्रोजैक्ट्स हैं। जिन्हें निवेश की मंजूरी दी जा चुकी है लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि केन्द्र ने जल जीवन मिशन शुरू किया और उन्होंने सारा पैसा जल जीवन मिशन में डाल दिया है। इसके बाद न तो तटीयकरण के लिए किसी राज्य को पैसा मिला और विशेषतौर पर हमें तो कुछ मिला ही नहीं है और न ही सिवरेज के लिए मिला और न ही ड्रेनेज को पैसा मिला और न ही किसी अन्य हैड में पैसा आया है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे और इनके समय से ये 2531 करोड़ रुपये के सारे प्रोजैक्ट्स पैडिंग पड़े हैं। अब तो और भी बड़ा काम हो गया है कि ब्यास का तटीयकरण होना है जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और वहां पर 3,000 करोड़ रुपया उसमें लगना है। उसकी भी हमने प्रपोजल केन्द्र को भेजी थी। उसे केन्द्र ने वापिस भेज दिया कि इसे जो लेटेस्ट फ्लड आए हैं उसके मुताबिक भेजो। वह भी हम भेज रहे हैं। लेकिन यह सब केन्द्र पर निर्धारित है और केन्द्र का रवैया बहुत होस्टाइल है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी से मेरा आग्रह है कि इस पैसे को मंजूर करवाए क्योंकि ये कार्य तभी पूरे होगें जब आप लोग भी सहयोग करेंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1140/डी0टी0/ए0एस0-1**

**प्रश्न संख्या 1777 जारी...**

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी।

**श्री राकेश कालियाः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गगरेट में जो ब्यास नदी का बेसिन है उस क्षेत्र की जो इस नदी की सहायक खड्डे हैं, क्या उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत मंजूरी हेतु भेजा गया है?

**उपमुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिस बात का उल्लेख यहां किया गया है, मैं उन्हे अवगत करवाना चाहता हूं कि उसमें निवेश की मंजूरी हो चुकि है। अब प्रश्न यही है कि राज्य सरकार को फडिंग नहीं आ रही और केंद्र सरकार ने ये मान लिया है

कि ये धनराशि हिमाचल प्रदेश में निवेश होनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। मैं और माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और हम चाहते है कि नेता प्रति पक्ष भी हमारे साथ चलें। ये प्रदेश के हित का प्रश्न है। मेरा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है, क्योंकि आपका केंद्र सरकार के स्तर पर बहुत अच्छा रसूक है और उस रसूक का इस प्रदेश को कुछ लाभ हो, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को हमारे साथ चलना चाहिए।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी।

**श्री सुख राम चौधरीः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो 2531 करोड़ रुपये की स्कीम्ज हैं क्या इसमें यमुना और गिरी नदी के लिए भी प्रपोजल बनाया गया है?

**उपमुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम में 11 प्रोजैक्टस हैं और जिला सिरमौर की River Yamuna and its tributaries भी इसमें शामिल हैं। ये प्रोजैक्ट 480 करोड़ रुपये का है। अगर माननीय सदस्य दिल्ली में इसे फॉलो-अप कर सकते हैं तो करें हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे। ये सारी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है और मैं इसे मान्य सदन में रख दूंगा।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी आप भी कुछ पूछना चाहते हैं?

**डॉ हंस राजः** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि ऊना और सिरमौर जिले की ओर तो आपने दृष्टिपात किया ही है। क्या आप रावी नदी जो जिला चम्बा की एक प्रमुख नदी है और भटियात में भी देहरा खड्ड इसकी सहायक खड्ड है, क्या आप चम्बा जिले की ऐसी खड्डों में भी तटीयकरण का विचार रखते हैं?

**29.08.2024/1140/डी0टी0/ए0एस0-2**

**उपमुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, जो सूची मेरे पास है उसमें जिला चम्बा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि आपके द्वारा मेरे ध्यान में ये बात लाई गई है, मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वह माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे व माननीय सदस्य डॉ हंस राज जी से मिलें और जो भी प्रपोजल बन सकती है, वह बनाएं।

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ जी क्या आप भी कुछ पूछना चाहते हैं?

**श्री भुवनेश्वर गौड़ः** माननीय अध्यक्ष जी, मैं उपमुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्यास नदी की जो बात आपने कही वह प्रोपोजल तो रिजेक्ट हो गई है। लेकिन जो ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं क्या आप इनके तटीयकरण के लिए भी कोई स्कीम बना रहे हैं?

**उपमुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि केंद्र ने ब्यास नदी के चैनलाइजेशन को रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि गत् दो वर्षों में प्रदेश में जो फ्लड आएं हैं इनकी स्टडी के आधार पर नया प्रोजैक्ट भेजा जाए। हम एक महीने के भीतर प्रोजैक्ट केंद्र सरकार तक पहुंचा देंगे। हम चाहते थे, क्योंकि प्रदेश दो वर्षों से त्रासदी की मार झेल रहा है, इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी

**श्री एन0जी0द्वारा जारी...**

**29-08-2024/1145/ए.एस.-एन.जी/1**

**प्रश्न संख्या - 1777.....जारी**

**उप मुख्य मंत्री.....जारी**

हिमाचल प्रदेश में आएं और खास तौर पर ब्यास को हर हालत में देखें। यह 3000 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है और यह बहुत जरूरी है क्योंकि प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर नुकसान की भरपाई के लिए 158 करोड़ रुपये आपके जिला को दिए हैं और उनमें से 78 करोड़ रुपये माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र को दिए गए हैं ताकि अस्थाई तौर पर जितना काम कर सकते हैं उतना कर सकें। मेजर काम तो तभी होगा जब केन्द्र सरकार हमें 3000 करोड़ रुपये देगी।

**कुमा**री **अनुराधा राणा** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि क्या लाहौल और स्पिति विधान सभा क्षेत्र की कोई योजना इसमें प्रपोज़ड है? जहां तक मेरी जानकारी है कि मेरे क्षेत्र के जालमाना का एक प्रपोज़ल बनाया गया था जोकि लगभग 25 करोड़ रुपये का था। ऐसा सुनने में आया था कि वह प्रोजैक्ट भी केन्द्र सरकार को भेजा जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसमें वह प्रोजैक्ट भी शामिल है?

**उप मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या पहली बार माननीय सदन में प्रवेश किए हैं। जैसे ही ये हमें अपने प्रोजैक्ट्स भेजेंगी और उन्हें हम कंसीडर करेंगे, मिटिगेशन में भी करेंगे। इसके अलावा जो भी तौर तरिके होंगे हम करेंगे। लेकिन अभी तक मेजर प्रोजैक्टस में माननीय सदस्या का जिला शामिल नहीं है।

**श्री इन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के सुकेती खड्ड के तटीयकरण के लिए मैंने अनेक बार माननीय उप मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है। हमारे क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का बार-बार इरोज़न हो रहा है। वहां पर खनन माफिया भी सक्रिय हो रहा है।

**29-08-2024/1145/ए.एस.-एन.जी/2**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस खड्ड के तटीयकरण का पैसा आया है या नहीं आया है? इसके अलावा सेकल नाले का भी तटीयकरण होना है और उसका काम वर्ष 2022 में अवार्ड भी हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका काम कब तक शुरू हो जाएगा?

**उप मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, यह मसला केन्द्र सरकार से जुड़ा हुआ है और मेरे सामने की ओर सभी माननीय सदस्य केन्द्र सरकार के दूत बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य का 414 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है। हम चाहते हैं कि सुकेती खड्ड चैनेलाइज हो। लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया है। मैं कुछ समय पहले ही केन्द्रीय जल शक्ति

मंत्री जी से मिलकर आया हूं और उनसे पहले जो केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी थे, उनसे भी मैं मिला था। यह लगभग 2531 करोड़ रुपये की धनराशि है और यह हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए हम अपने स्तर पर प्रयासरत हैं और ब्यास के 3000 करोड़ रुपयों के लिए भी प्रयासरत हैं। यह लगभग 5500 करोड़ रुपये की धनराशि है और मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना है कि इसे जारी करवाने के लिए आप लोग भी हमारी थोड़ी मदद कीजिए।

प्रश्न समाप्त/-

**प्रश्न संख्या - 1778**

**श्री पूर्ण चंद ठाकुर :** उपस्थित नहीं।

**29-08-2024/1145/ए.एस.-एन.जी/3**

**प्रश्न संख्या - 1779**

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि इस वित्तीय वर्ष में शराब के ठेकों की नीलामी हेतु रिजर्व धनराशि कितनी रखी गई तथा नीलामी कितनी धनराशि की हुई, जिलावार ब्यौरा दें? यह जो सूचना सभापटल पर रखी गई है तो इससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार जो नई एक्साइज़ पॉलिसी लेकर आई है उस पॉलिसी का लाभ उठाकर प्रदेश में एक बहुत बड़ा शराब घोटाला घटित हुआ है। आप यदि इस लिस्ट को जिलावार पढ़ेंगे तो इसमें पांच जिले ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइज़ से कम पर बोली चली गई। जबकि इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1150/केएस/डीसी/1**

**प्रश्न संख्या : 1779 जारी**----

**श्री रणधीर शर्मा जारी**---

रिज़र्व प्राइस उतना ही रखा गया जितनी पिछले साल नीलामी हुई थी। जितनी पिछले साल नीलामी हुई, आपने टैक्स भी बढ़ाया तो अब नीलामी उससे ज्यादा ही होनी चाहिए थी। मेरा तो मानना है कि रिज़र्व प्राइस ही उससे ज्यादा होना चाहिए था परंतु आपने जितनी जिलावार बोली वर्ष 2023-24 में हुई थी, उसी बोली को इस साल वर्ष 2024-25 में रिज़र्व प्राइस मांगा और ये जो पांच जिले शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, चम्बा और ऊना हैं, इन पांचों जिलों में रिज़र्व प्राइस से कम पर बोली गई है। हैरानी के आंकड़े ऊना जैसे जिले से आते हैं। जहां रिज़र्व प्राइस 143.90 करोड़ है और बोली 117.35 करोड़ में चली। इसी तरह से नूरपुर में 118.35 करोड़ रिज़र्व प्राइस है और बोली चली 100.00 करोड़ । कांगड़ा में 296.40 करोड़ की बजाय 279.94 करोड़ बोली गई। चम्बा में 108.84 करोड़ की बजाय 103.00 करोड़ बोली गई। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बिल्कुल रिज़र्व प्राइस के बराबर बोली जा रही है। सिरमौर में 78.40 करोड़ रिज़र्व प्राइस है और 78.41 करोड़ बोली जा रही है। इसी तरह बिलासपुर में 90.60 करोड़ रिज़र्व प्राइस है और 90.79 रुपये की बोली जा रही है। मण्डी में 182.32 करोड़ रुपये के रिज़र्व प्राइस हैं और 182.50 करोड़ रुपये बोली गई। इसमें घोटाले की बू आ रही है और मिलीभगत लग रही है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं इसी प्रश्न में यह भी पूछा गया कि वर्ष 2023-24 में जिला से जो युनिट्स बने थे वर्ष 2024-25 में क्या युनिट्स रखे गए? उससे भी स्पष्ट होता है कि युनिट का जो गठन किया गया, शराब के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ही किया गया। सिरमौर जिला में पांच युनिट्स थे, इस बार आपने एक कर दिया। एक ही ठेकेदार पूरे जिला में शराब बेचेगा। ज्यादा ठेकेदार होते हैं तो कम्पीटिशन होता है। आपने मण्डी में 8 युनिट्स की जगह अब एक युनिट कर दिया। बिलासपुर में 5 युनिट्स थे आपने दो कर दिए। नूरपुर में पांच का एक कर दिया। ऊना में 11 के 10 कर दिए। चम्बा में 11 का एक कर

दिया। कुल मिलाकर चाहे इस साल गठित युनिट्स को देखा जाए चाहे इस साल की जो बोली हुई है, जो रिज़र्व प्राइस के बराबर या उससे कम हुई है, वह स्पष्ट दिखा रही है कि यह सरकारी संरक्षण में एक सुनियोजित घोटाला घटित हुआ है। शराब के ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है।

**29.08.2024/1150/केएस/डीसी/2**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया सप्लीमेंट्री पूछिए।

**श्री रणधीर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इन आंकड़ों को देखकर जिनसे स्पष्ट घोटाला नज़र आ रहा है, क्या इसकी जांच करवाएंगे या दोबारा इसकी बोलियां करवाएंगे ताकि निष्पक्षता से सरकार यह दिखा सके कि उसने इन घोटालों को घटित करने में कोई संरक्षण नहीं दिया?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बहुत अच्छी बातें कीं परंतु जिन्होंने इनको ज्ञान बांटा उन्होंने ज्ञान को थोड़ा छिपा दिया। ...(व्यवधान) पता नहीं आपको क्या समस्या हो जाती है। मुझे बोलने तो दो।

अध्यक्ष जी, बड़ा अच्छा ज्ञान बांटा लेकिन उन्होंने ज्ञान को थोड़ा छिपा दिया। जब ज्ञान छिपता है तो ज़ोर से बोलना पड़ता है। अब प्रतिपक्ष के नेता को ही देखिए, मैंने तो अभी दो ही शब्द बोले हैं,उत्तर तो दिया ही नहीं। माननीय सदस्य आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है लेकिन ध्यान से सुनना, उठना नहीं। अच्छी बात है प्रदेश हित की बात है लेकिन जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया। व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप प्रतिपक्ष के नेता जो हंस रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय के कौन एक्साइज़ मिनिस्टर होंगे जिन्होंने इस प्रदेश की आर्थिकी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बड़ा दुख होता है जब प्रदेश के खजाने को लुटा दिया जाए। नीलामी और निविदा प्रक्रिया वर्ष में जो आपके समय होती थी, आपने चार वर्ष ठेकों को रिन्यू किया। कौन एक्साइज़ मिनिस्टर थे, उनसे जानकारी लेना।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

29.08.2024/1155/av/dc/1

**प्रश्न संख्या : 1779------ क्रमागत**

**मुख्य मंत्री ------ जारी**

...(व्यवधान) अभी आप बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान) आपने जो अपने प्रश्न में 'घोटाले' शब्द का इस्तेमाल किया है, आप उसका जवाब तो ले लीजिए। ...(व्यवधान) मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपकी भाजपा सरकार के कार्यकाल के चार वर्षों में जो कॉंट्रैक्ट रिन्यू हुए उससे 485.15 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ था। मैं अभी घोटाले शब्द का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी दूसरी बातों का जवाब दूंगा। हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष में जो नीलामी की उसमें हमें 450 करोड़ रुपये की बढ़त मिली और यह चार साल बनाम एक साल का रिकॉर्ड है। आपने अपने कार्यकाल के चार वर्षों में केवल 665 करोड़ 42 रुपये की राशि अर्जित की थी जबकि हमारे कार्यकाल के दो वर्षों में 485.18 करोड़ रुपये आए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। शराब के ठेकों की नीलामी कई प्रकार से की जाती है। पिछले साल की नीलामी के दौरान काफी रिज़र्व प्राइस चले हुए थे। जब रिज़र्व प्राइस चला गया तो हमने शराब के ठेकों की नीलामी की थी। नीलामी के दौरान कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया केवल दो दिन के अंदर बंद हो जाती है। यह प्रक्रिया रेट डालने के बाद 3 मार्च से ऑनलाइन शुरू करके 31 मार्च तक लगातार की जाती है। रिज़र्व प्राइस के बारे में पिछले साल की तुलना करके तय किया जाता है कि किस ठेके में कितनी होनी है। हमने इस संदर्भ में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाई जिसके लिए नेशनल लैवल के अखबारों में व्यापक पब्लिसिटी की गई। इस बारे में में जब नीलामी होती है तो पूरे प्रदेश में ठेकेदार नहीं होते। कुछ ठेकों से रिज़र्व प्राइस ज्यादा आती है और 7 या 8 प्रतिशत की इंफ्लेशन के हिसाब से रिज़र्व प्राइस रखी जाती है। यह पिछले साल की रिज़र्व प्राइस नहीं है क्योंकि वह कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इस वित्तीय वर्ष में हमारे राजस्व में अच्छी बढ़त हो रही है।

माननीय सदस्य, आपने नूरपुर के बारे में कहा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि नूरपुर और ऊना में 7-7 बार नीलामी की गई क्योंकि पिछली बार वहां पर ज्यादा रेट डाल दिए थे इसलिए वहां पर ठेकेदार ही नहीं आ रहे थे। इसके अतिरिक्त चम्बा में 6, कांगड़ा में 8 और शिमला में 9 बार नीलामी की गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीलामी से हमें

**29.08.2024/1155/av/dc/2**

अगले साल भी राजस्व में बढ़त मिलने की सम्भावना है। पूरे हिमाचल प्रदेश को एक यूनिट मानकर राजस्व अर्जित किया जाता है। यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने महाघोटाले की बात की है और वह जिसने भी किया होगा, परंतु हमारी सरकार में इस प्रकार का घोटाला नहीं हो रहा है। हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां से भी कम रिज़र्व प्राइस आई हैं तो पूरी स्टेट का हम जब राजस्व एकत्रित करके देखेंगे तो इसमें वृद्धि पाई जाएगी क्योंकि पारदर्शिता हमारी सरकार का प्रमुख अंग है।

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बड़ी चतुराई से पिछली सरकार के कार्यकाल के आंकड़ों का जिक्र किया है। लेकिन आप यदि अपनी ही सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 और

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1200/टी0सी0वी0/एच0के0-1**
**प्रश्न संख्या : 1779 क्रमागत्** **श्री रणधीर शर्मा ...जारी**

वर्ष 2024-25 के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो इनमें कम-से-कम 100 करोड़ रुपये की कमी है। अध्यक्ष महोदय इसमें घोटला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है और यह मिली-भगत से हुआ है। इन्होंने टेंडर चाहे दो बार किए, चार बार या सात बार किए, यह मिली-भगत से टेंडर हुए हैं और प्रदेश की आर्थिकी का नुकसान पहुंचाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम भी गावं में रहते हैं, शराब की ब्रिकी हर साल बढ़ती है। शराब पर टैक्स लगा है। इसलिए यहां तो 100-200 करोड़ रुपये से ज्यादा पर नीलामी जानी चाहिए थी। यह जो कम रेट पर नीलामी हुई है यह मिली-भगत से हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो शराब के ठेकेदार बोतल पर लिखे प्राइस से ज्यादा ले रहे है, यह विषय सरकार के ध्यान में लाया गया है लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो ठेकेदार बोतल पर लिखे प्राइस से ज्यादा प्राइस ले रहे है उन पर कार्रवाई करेंगे?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, ये जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में हमें लिखकर दें, सरकार इसकी पूरी जांच करेगी। हम जो 500 रुपये कमा करके दे रहे हैं यह हमारी ही क्षमता है। इस बार भी ऑक्शन से 150 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व आने की संभावना है। ...(व्यवधान)...

**Speaker** : Let him reply please. ...(Interruption) I am not allowing anybody to speak. ...(Interruption) Please let him reply. पहले जवाब देने दो। Nothing is going on record. ...(Interruption) I am not permitting anybody, Hon'ble Chief Minister please give your reply.

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने शराब के जो अधिक रेट लेने की बात की है उस मामले में हमारी सरकार ने एक लाख रुपये पेनल्टी लगाने का कानून बनाया है। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष** : आप इस विषय को नियम-61 के तहत माननीय सदन में लाएं। This is Question Hour and not a discussion hour. Please take your seats. ...(Interruption) Rule-61 may be invoked.

**प्रश्न काल समाप्त**

**29.08.2024/1200/टी0सी0वी0/एच0के0-2**

## कागज़ात सभा पटल पर

**अध्यक्ष :** अब माननीय राजस्व मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**राजस्व मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित का 52वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित)।

**(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)**

**अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से वाकआउट करके गए हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि एक साल में हमारी सरकार ने 485.18 करोड़ रुपये कमाए और 2023-24 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने 5 साल में 665.42 करोड़ रुपये कमाए है। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्य तथ्य के साथ नहीं आए हैं, अधूरी जानकारी प्राप्त करके आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सवाल श्री जय राम ठाकुर जी से ज्यादा पूछा जाना चाहिए क्योंकि हमने शराब से एक साल में 500 करोड़ रुपये कमाए और इन्होंने 5 सालों में कुल 600 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह घोटाला इनके समय का है। यदि माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी चाहेंगे और लिखकर देंगे तो इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा।

सदन की समितियों के प्रतिवदेन एन0एस0 द्वारा जारी ...

29-08-2024/1205/एन0एस-एच0के0/1

## सदन की समिति का प्रतिवेदन

**अध्यक्ष :** अब सदन की समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा। अब श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

**श्री नन्द लाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2024-25) का 24वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा मांग संख्याः 31-जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की संवीक्षा से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

29-08-2024/1205/एन0एस-एच0के0/2

## विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

**अध्यक्ष :** अब श्री संजय रत्न जी कार्य-सलाहकार समिति के सप्तम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

**श्री संजय रत्न :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के सप्तम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) की एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम् प्रतिवेदन की गई की सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने सप्तम् प्रतिवेदन की गई की सिफारिशों से सहमत है?

**प्रस्ताव स्वीकार**

**अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

29-08-2024/1205/एन0एस-एच0के0/3

**शोकोद्गार**

**मुख्य मंत्री :** मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि हिन्दुस्तान टाइम्ज समाचार पत्र के प्रमुख संवाददाता श्री गौरव बिष्ट जी का दिनांक 28 अगस्त, 2024 को लगभग 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 16 नवम्बर, 1974 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि इससे पूर्व टाइम्ज ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक श्री आनन्द बोझ जी का दिनांक 07 जुलाई, 2024 को लगभग 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जन्म दिनांक 22 फरवरी, 1974 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता श्री विपिन काला जी का दिनांक 15 जून, 2024 को लगभग 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जन्म दिनांक 18 सितम्बर, 1966 को हुआ था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री गौरव बिष्ट, श्री आनन्द बोझ और श्री विपिन काला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च मापदंडों को अपना कर निर्भीक होकर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। उनके इस क्षेत्र में दिए गए योगदान को पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ियां हमेशा मार्गदर्शन के रूप में लेंगी। यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री गौरव बिष्ट, श्री आनन्द बोझ और श्री विपिन काला की पत्रकारिता के क्षेत्र में दी गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर

हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा उनके परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता है।

29-08-2024/1205/एन0एस-एच0के0/4

## सांविधिक ईकाइयों हेतु मनोनयन

**अध्यक्ष :** अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive

Technology and Surrogacy Board." "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

29-08-2024/1205/एन0एस-एच0के0/5

तो प्रश्न यह है कि "That in pursuance to the provisions contained in Section 26 and 27 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, the members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, three women members from amongst themselves to be nominated as Ex-officio Members of the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board."

**प्रस्ताव स्वीकार**

आगे आर0के0एस0 द्वारा ..... जारी

29.08.2024/1210/RKS/YK-1

अध्यक्ष ....जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य**

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपये थी वह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपये कम होकर 6258 करोड़ रुपये हो गई है। अगले वर्ष 2025-26 में यह 3000 करोड़ रुपये और कम होकर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। PDNA कि लगभग 9045 करोड़ रुपये की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। एन.पी.एस. कंट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपये पी.एफ., आर.डी.ए. से प्राप्त नहीं हुए हैं जिसके लिए हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। जी.एस.टी. कंपनसेशन जून, 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500 से लेकर 3000 करोड़ रुपये तक की आय कम हो गई है। ओ.पी.एस. बहाल करने के कारण हमारी बोरोइंग भी लगभग 2000 करोड़ रुपये से कम कर दी गई है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। मैं इस सम्माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते दो माह तक विलंबित करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करता हूं। हमारे सभी मंत्री और कैबिनेट रैंक के चेयरमैन 2 महीने तक अपनी सैलरी व भत्ते विलंबित कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

29.08.2024/1215/बी.एस./वाई.के.-1

**अध्यक्ष** : अब शिक्षा मन्त्री द्वारा प्राधिकृत, राजस्व मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"

तो प्रश्न यह है कि कि "हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 4(1) की उप-धारा 11(एच) के प्रावधान के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है।"?

## प्रस्ताव स्वीकार

29.08.2024/1215/बी.एस./वाई.के.-2

## पारित संकल्प पर कृत्त कार्रवाई

अब मुख्य मंत्री "दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को श्री सुख राम चौधरी व श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी दिवस पर प्रस्तुत संकल्प जोकि सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया था, को नियम-116 के अन्तर्गत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से सदन को अवगत करवायेंगे।

**मुख्य मन्त्री** : अध्यक्ष महोदय "दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 को श्री सुख राम चौधरी व श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य द्वारा नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी दिवस पर उठाई गई चर्चा हेतु विस्तृत टिप्पणी इस प्रकार से है:-

"देश में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार तथा प्रदेश की सीमाओं में इसकी रोक-थाम एवं कानून को सुदृढ़ करने हेतु यह सदन नीति बनाने पर विचार करे"।

मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी व श्री कुलदीप राठौर जी द्वारा पेश किए गए संकल्प के विषय में माननीय सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि नशे का अवैध कारोबार रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 व इसके अन्तर्गत बनाए गए हिमाचल प्रदेश एन.डी.पी.एस. नियम-1998 के तहत कठोरता से कार्रवाही अमल में लाई जा रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा मुख्य निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

प्रदेश में नशीले पदार्थों के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने व हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए NCORD संरचना के अनुसार प्रदेश में निम्नलिखित राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठिन राज्य स्तरीय NCORD Committee, जिलाधीश की अध्यक्षता में NCORD Committee, ADGP, CID हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में (Anti Narcotics Task Force) उपरोक्त समितियां पड़ोसी राज्यों व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय बिठाकर नशे के अवैध व्यापार व इसके दुरुपयोग से संबंधित कार्रवाई को सुदृढ़ता प्रदान कर रही है। एन.डी.पी.एस. पर बनी राष्ट्रीय नीति व प्रदेश सरकार द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश

29.08.2024/1215/बी.एस./वाई.के.-3

ड्रग्ज रोक-थाम नीति को भी लागू करने में यह समिति अपना योगदान दे रही है। यह ANTF प्रदेश में NCORD सचिवालय का काम कर रही है। इसके अन्तर्गत कांगड़ा, शिमला और कुल्लू में तीन फील्ड यूनिटों का गठन किया गया है। जिनका मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों व तस्करी पर रोक लगाना और तस्करों को सजा दिलाना है। पुलिस द्वारा NCORD तंत्र के तहत एक व्यापक अभियान के माध्यम से हिमाचल प्रदेश नशीली दवाओं के उपयोग को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए 'प्रधाव-वाईप आऊट ड्रग्स' नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया जिसके तहत सभी हितधारकों को इस बारे में समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच विचार-मंथन सत्र और प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें लगभग 10,436 छात्रों ने भाग लिया। सम्मानित न्यायाधीशों व अभियोजन आबकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इन्ट्रेकटिव सत्र आयाजित किए गए। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर नशा छोड़ों पर्यावरण बचाओ और देव भूमि को संरक्षित बनाओ विषय पर एक बैठक आयोजित की जिसमें हिमाचल प्रदेश के 150 से अधिक स्कूलों के लगभग 16,000 छात्रों ने भाग लिया। दिनांक 25.06.2023 को नशीली दवाओं व अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तराष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर एक हाफ मैराथन का भी आयोजन किया गया।
श्री दिवेश पठानिया द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1220/डी0टी0/ए0जी0-1**
मुख्य मंत्री जारी...

जिसमें हिमाचल प्रदेश के 150 स्कूलों के लगभग 16000 छात्रों ने भाग लिया। 25.6.2023 को नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर एक हॉफ-मैराथन का आयोजन किया। 18 से 35 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि पहले से ही नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं की काउंसलिंग की गई।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा तस्कारों की सूचना देने के लिए टोल फ्री न0 1908 जारी किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध तस्करी की सूचना दे सकता है। प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। नशे के सेवन के

वितरण को रोकने हेतु नशामुक्त मोबाइल ड्रग ऐप को शुरू किया गया है। इस ऐप को अधिकतम डाउनलोड करने के लिए हर स्तर पर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में PITNDPS Advisory Board का गठन किया गया है जिसमें दो अधिवक्ताओं को सदस्य बनाया गया है। सरकार द्वारा PITNDPS की धारा 3 के तहत गृह सचिव को डिटेनिंग प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है तथा इसके प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु SOP बनाए गए हैं। हाल ही में कांगड़ा में एक व्यक्ति को PITNDPS Act के तहत detain किया गया है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र के दौरान सदन द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए Drugs के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संकल्प लिया गया था। सदन ने केंद्र सरकार से पुरूजोर सिफारिश करने का अनुमोदन किया कि नशीले पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्रीय अधिनियम NDPS Act, 1985 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनो को सम्मिलित किया जाए जिससे कि नशे और इसके व्यापार में शामिल अपराधियों के खिलाफ सखत कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने

**29.08.2024/1220/डी0टी0/ए0जी0-2**

NDPS अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है किः

उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 व 22 के तहत किए जाने वाले अपराधों के लिए मृत्यु दंड/उम्रकैद की सजा निर्धारित हो जाए।

धारा-37 के तहत आने वाले अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। नशीले पदार्थों की पैदावार/बिक्री द्वारा अर्जित धन और संपति को सरकार द्वारा जब्त कर नीलाम किया जाए।

इसके अतिरिक्त इस विषय पर समय-समय पर केंद्र सरकार से भी follow-up किया जा रहा है।

(**विपक्ष के सभी माननीय सदस्य पुनः सदन में वापिस** आए)

**अध्यक्षः** आज गैर सरकारी दिवस है। अब गैर सरकारी सदस्य कार्य होगा। गैर सरकारी कार्य दिवस में पहले डॉ0 जनक राज, माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करेंगे। इस विषय पर माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी से भी संकल्प प्राप्त हुआ है, वह भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। मैं अब डॉ0 जनक राज जी से आग्रह करूंगा कि पहले वह संकल्प को प्रस्तुत करें।

**डॉ0 जनक राजः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "ये सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर व वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर ये सदन नीति बनाने पर विचार करे"।

**अध्यक्षः** इस संकल्प में बोलने के लिए माननीय सदस्य 60 मिनट का समय निर्धारित है अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। इससे पहले मैं डॉ0 जनक राज जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संकल्प पर अपने विचार रखें और इसके लिए 60 मिनट का समय निर्धारित है क्योंकि और भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

**29.08.2024/1220/डी0टी0/ए0जी0-3**

**डॉ0 जनक राजः** अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में वन हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिक मूल्यों को बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक, पश्चिमी हिमालय, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र द्वारा रचित वन क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश का फारेस्ट एरिया 15443 वर्ग किलोमीटर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 27.73 प्रतिशत है।

**श्री एन0जी0द्वारा जारी...**

**29-08-2024/1225/ए.जी.-एन.जी/1**

**डॉ0 जनक राज.....जारी**

हमारे यहां पर 8 फोरेस्ट टाइप हैं और 37 सब फोरेस्ट टाइप हैं। इनमें से अधिकतर रेनी फोरेस्ट्स हैं जोकि moist temperate forest की श्रेणी में आते हैं। सरकार को फोरेस्ट से लगभग one third of total State revenue प्राप्त होता है। राज्य सरकार हर वर्ष स्थानीय लोगों और निकायों के साथ मिलकर वन महोत्सव मनाती है ताकि green cover को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2019 से 2021 तक 915 square kilometer forest area बढ़ा है परन्तु दुःख की बात यह है कि वर्ष 2021 में Forest Report के अनुसार Reserve forest 15 square kilometers कम हुआ and area under protected forest 4243 square kilometers कम हुआ। Forest fire की वजह से वर्ष 2001 से 2023 तक राज्य ने 957 हैक्टर forest land को खो दिया और 4.37 हज़ार हैक्टर अन्य कारणों से फोरेस्ट लैंड डैमेज हुई। यदि जैविक विविधता की बात की जाए तो floral bio diversity में हिमाचल प्रदेश में लगभग 3256 species of plants पाए जाते हैं जिनमें से 643 medicinal plants हैं जोकि globally rare भी हैं और इनका status endangered category में आता है तथा लगभग 17 medicinal plants endemic हैं जो प्राय समान्य तौर पर यहीं पाए जाते हैं। 21 species plants की प्रजातियां ऐसी हैं जो IUCN की Red List में हैं। वर्ष 2010 में medicinal plants की 10 species critically endangered पाई गईं और 20 species endangered and 17 species threatened declare किया गया।

हिमाचल प्रदेश में अगर जीव विवधता की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 8242 species animals की हैं और floral and faunal Biodiversity को मिलाकर देखें तो इससे ही हिमाचल प्रदेश का ecosystem बनता है। दिनांक 01.04.2010 को हिमाचल प्रदेश

सरकार ने 57 plants को Threatened wild medicinal Plant घोषित किया है और 91 plants को commercial exploited non Timber forest product के रूप में नामित किया है।

**29-08-2024/1225/ए.जी.-एन.जी/2**

इस सारे वृतांत के बाद मैं माननीय सदन का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा :-

1. क्या यह माननीय सदन वन विभाग के लिए सिर्फ बजट पारित करने के लिए है? क्या कभी वन विभाग ने माननीय सदन के सदस्यों से पूछा कि आपके क्षेत्र में कैसा पौधारोपण किया जाना चाहिए या आपके विधान सभा क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे लगाने चाहिएं? स्थानीय लोगों की क्या जरूरतें हैं? पालतू पशुओं के लिए कैसे पौधे लगाए जाने चाहिएं? किस विधान सभा क्षेत्र में landslide ज्यादा हो रहा है और वहां पर कैसा पौधारोपण किया जाए जोकि वहां के वातावरण के हिसाब से अनुकूल हो?
2. हर वर्ष वन विभाग लगभग एक करोड़ पौधारोपण का श्रेय और बजट लेता है। परन्तु वन विभाग कब एक करोड़ गड्ढे खोदता है और एक करोड़ पौधों में से कितने बच पाते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर क्या कभी इनकी गिनती की गई या नहीं की गई? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।
3. राजस्व प्राप्ति का साधन वन सम्पदा है परन्तु यहां पर भी मनमानी दिखती है। क्या राजस्व केवल चीड़ और देवदार से ही मिल सकता है? मैंने जो भी विधानसभा सत्र देखे हैं उनमें एक बार भी वन विभाग द्वारा प्रस्ताव नहीं लाया गया कि हम वनों के माध्यम से भी राजस्व में बढ़ोतरी का कार्य कर सकते हैं। कितने ही endemic medicinal plants जैसे बुरांश, आंवला, हरड़, भेड़ा, रेठा, अनार आदि हैं जोकि राज्य की नियमित आय का साधन बन सकते हैं परन्तु विपक्ष या पक्ष के अन्य सदस्यों को वन विभाग कभी भी इन चीजों में शामिल नहीं करता। हो सकता है कि हम सत्ता पक्ष या वन विभाग को बांस लगाने की राय दें जिससे की राज्य की आय भी बढ़े और भूमि के क्षरण को भी रोका जा सके। साथ-ही-साथ ground water का

लेवल भी बढ़ाया जा सके क्योंकि नदी नालों का तटीयकरण भी इन बांस के माध्यम से सम्भव है। क्या सरकार ऐसा कुछ परिवर्तन करना चाहेगी जो राज्यहित में हो?

**29-08-2024/1225/ए.जी.-एन.जी/3**

4. हिमाचल प्रदेश का भी तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा और साथ-ही-साथ जलवायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्या वन विभाग पीपल, बरगद आदि पेड़ लगाने का सुझाव मान सकता है? ताकि जिन क्षेत्रों का शहरीकरण हो रहा है वहां पर वायु प्रदूषण से भी मुक्ति मिल सके।
5. हर बार हर साल 25000 hectare जंगल आग की भेंट चढ़ जाता है और

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1230/केएस/एचके/1**

**डॉ0 जनक राज जारी**---

कारण स्पष्ट है। रिहायशी इलाकों में लोगों को पशुओं के लिए चारा चाहिए परन्तु क्या रिहायशी इलाकों में यहां पशुधन है? क्या चारायुक्त पौधारोपण वन विभाग कर सकता है? बहुत से क्षेत्रों में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए फलदार पौधों को हज़ारों की संख्या में सरकार द्वारा काटा गया। क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि लैंड एक्विजिशन के बाद इन फलदार पौधों को होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट और राज्य सरकार के अधीन किया जाए?

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी है। वहां की जलवायु और वन सम्पदा के ऊपर मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पांगी के जंगलों की जो डाइवर्सिटी है, उसको जब हम देखते हैं तो पांगी में अद्वितीय वनस्पतियां और जीव हैं जो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में केंद्रित हैं, वे अन्य भागों में नहीं मिलती। प्राकृतिक वास चाहे वह पौधों का है या जंगली जानवरों का है, यह सुनिश्चित करता है कि इन प्रजातियों के पास जीवित रहने के

लिए और पनपने के लिए जरूरी परिस्थितियां वहां पर हो जिससे राष्ट्रीय जैव विविधता का संरक्षण हो। पांगी घाटी की जलवायु को विनियमित करने में वहां की वन सम्पदा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हैबिटेट्स हैं, उसकी मैनेजमेंट जैसे अल्पाइन, क्षीण वन, चरागाह, झाड़ियां, आर्द्रभूमि, ऊबड-खाबड़ चट्टानें, ढलानें न केवल वृक्षारोपण, कार्बन प्रतिकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के साथ-साथ परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। हमारे यहां पर दुर्भाग्य से हम केवल उन्मुख वन प्रबन्धन दृष्टिकोण अपना रहे हैं और गैर ह्यूमैन मैमल जैसे जंगली जीव-जंतु, कीड़े, पक्षी आदि के योगदान को भी इस प्रकृति के अस्तित्व के लिए हमें समझना जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि पांगी घाटी की प्रजातियां जैसे पक्षी और तितलियों के लिए पांगी घाटी विशेष प्रजनन स्थल का काम करती हैं। भविष्य में जो पौधारोपण होना है वह वहां की जैव विविधता को डिस्टर्ब न किए बिना और जो वहां की ज़रूरते हैं, वहां की जो स्पीशिज़ हैं, उनके जो नैचुरल हैबिटेट का कार्य करती हैं, हमें यह नीति बनानी चाहिए कि किस क्षेत्र के लिए किस पौधे की ज़रूरत है और उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए न कि एक औपचारिकता मात्र बरसात के दिनों में एक वन महोत्सव मनाकर अपनी जिम्मेवारी से हटना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1230/केएस/एचके/2**

**अध्यक्ष :** इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी का भी संकल्प है। मैं श्री सुख राम चौधरी जी से आग्रह करुंगा कि वे इस संकल्प के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें।

**श्री सुख राम चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, जो यह संकल्प आज प्रस्तुत हुआ, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले दो मॉनसून में प्रदेश ने भयंकर तबाही देखी है। हमारा प्रदेश न केवल पूर्ण रूप से पहाड़ी प्रदेश है बल्कि प्रदेश की आर्थिक कृषि, बागवानी एवं हाईड्रो पावर पर निर्भर है जिसके लिए पर्यावरण की अनुकूलता बहुत अनिवार्य है। वर्ष 2008 में प्रदेश की जलवायु परिवर्तन पॉलिसी बनी थी। पॉलिसी में कार्बन क्रेडिट का लाभ लेने की बात बहुत जोर-शोर के साथ रखी गई थी। कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए पौधारोपण

करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हमने कितनी प्रगति की, इस पर भी आज विचार होना चाहिए।

वर्ष 2012 में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रदेश का एक्शन प्लान जारी किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय गवर्निंग काउंसल बनी हुई है। इस एक्शन प्लान पर हमने जितपी प्रगति की है, क्या वह पर्याप्त है, इस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन गतिशील फील्ड है। इसमें नई-नई रिसर्च होती रहती है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली लेटेस्ट रिसर्च के प्रति हम सचेत रहते हैं? क्या हमें एडवांस में पता लग सकता है कि क्लाउड ब्रस्ट कहां होगा और क्या उस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका पता लगाया जा सकता है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1235/av/as/1**

**श्री सुख राम चौधरी------ जारी**

आज प्रदेश में हजारों उद्योग लगे हैं और जब उद्योग लगते हैं तो उनके लिए जमीन आबंटित की जाती है। वह चाहे प्राइवेट सैक्टर में लगे या सरकारी सैक्टर में लगे, वहां पर उस समय हजारों पेड़ कटते हैं। क्या सरकार और उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करता है कि जिस जगह से पेड़ कटे हैं उनकी पूर्ति के लिए वहां पर दोबारा से पेड़ लगें? हिमाचल प्रदेश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं। इसमें चाहे बद्दी-बरोटीवाला की बात की जाए या नालागढ़, काला अम्ब, पांवटा साहिब, ऊना या फिर कांगड़ा की बात की जाए। जहां पर भी इंडस्ट्रीज लगती हैं वहां पर डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाली हजारों गाड़ियों का इस्तेमाल होता है जिससे जलवायु प्रदूषित होती है। उसके उपरांत जब वह इंडस्ट्री उत्पादन शुरू करती है तो उससे निकलने वाले वेस्ट मटीरियल से वायु प्रदूषण फैलता है तथा उसमें इस्तेमाल होने वाला पानी जब बाहर निकलता है तो उससे हमारी नदियां दूषित होती हैं। क्या उद्योग विभाग सी0एस0आर0 के अंतर्गत मिलने वाली राशि में से कुछ पैसा वन विभाग को भी पौधारोपण के लिए प्रदान करता है या नहीं? आज जलवायु में हो रहे परिवर्तन के पीछे इंडस्ट्री का भी बहुत ज्यादा योगदान है। वहां हजारों गाड़ियों के

चलने और इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले मटीरियल से जलवायु का तापमान बढ़ने से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मैं इस संकल्प के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग लगे हैं उनके द्वारा कार्बन क्रेडिट के लिए प्रदेश में पौधारोपण करवाना सुनिश्चित करवाया जाए। इसके लिए वे सी0एस0आर0 का कुछ पैसा वन विभाग को दे ताकि वह पौधारोपण करे और प्रदेश की जलवायु शुद्ध रहे।

हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों हाइड्रो प्रोजैक्ट लगे हैं और वे ऐसे स्थानों पर लगते हैं जहां पर ज्यादा घने जंगल होते हैं। उसकी एवज में वे पौधारोपण भी करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि जहां-जहां पर हाइड्रो प्रोजैक्ट लगने के बाद पौधारोपण हुआ, उसमें से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं। प्रोजैक्ट वाले कहीं पर डंपिंग भी करते हैं और बरसात आने पर वह सारा मलवा नीचे की ओर जाता है जिससे हमारे प्रदेश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हिमाचल

**29.08.2024/1235/av/as/2**

प्रदेश में नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा नाबार्ड के अंतर्गत बहुत सारी सड़कें बनती हैं, उसके लिए भी एफ0आर0ए0 व एफ0सी0ए0 के माध्यम से हजारों पेड़ काटने की अनुमति मिलती है जिसके कारण जलवायु पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्या हम उसकी एवज में भी पौधे लगाते हैं या नहीं? हमारी वन सम्पदा को बचाने की जिम्मेवारी न केवल वन विभाग की है बल्कि दूसरी सामाजिक संस्थाओं का भी यह दायित्व बनता है, इसलिए हम उनको भी यह जिम्मेदारी दें। हिमाचल प्रदेश में आज तक जितना पौधारोपण हुआ है अगर उसमें से 50 प्रतिशत भी जीवित रहता तो शायद आज कहीं पेड़ लगाने की जगह न बचती। हम जब पौधारोपण करते हैं तो क्या यह बात भी सुनिश्चित की जाती है कि पशुओं, जंगली जानवरों से उन पौधों को नुकसान न हो।

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1240/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**
**श्री सुख राम चौधरी...जारी**

क्या इसके लिए उन पौधों के चारों ओर कांटेदार तार लगाकर बचाव करने का तरीका अपनाया जाता है या नहीं? मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की सबसे छोटी इकाई बीट है जोकि फॉरेस्ट गार्ड के पास होती है और एक फॉरेस्ट गार्ड को पता होता है कि उसकी बीट में कौन-सा एरिया खाली पड़ा है जहां पर फॉरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए ताकि जहां-जहां जगह खाली पड़ी हैं, उसकी डी0पी0आर0 बने कि किस किस्म का पेड़ वहां पर लग सकता है? ताकि वहां के मौसम के अनुसार वहां पर पेड़ों को लगाया जाए और एक योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्था करके वहां पर पौधारोपण करेंगे तो इससे फॉरेस्ट्री में पौधों का घनत्व बढ़ेगा। जब हम उसमें फलदार पौधों का पौधारोपण करेंगे तो जंगली जानवरों से भी हमें निजात मिलेगी। मैं इस संकल्प के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट लैंड से पेड़ काटने का समय 10 साल के बाद आता था। एक रेंज को प्राइवेट भूमि पर पेड़ काटने के लिए 10 साल के बाद खोला जाता था लेकिन अब इसका समय तय नहीं है। जब लोग इसके लिए आवेदन करते हैं तो उनको पेड़ काटने की परमिशन मिल जाती है और पिछले 2-3 साल में लाखों पेड़ प्राइवेट सेक्टर में कटे हैं। लोग अपनी जमीन को खाली करने के लिए ऐसे पेड़ों को भी काट देते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। अगर आप इसकी पिछले 2-3 साल की रिपोर्ट मंगवाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में लाखों पेड़ कटे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्व की भांति यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी फॉरेस्ट रेंज को 10 साल से पहले न खोला जाए और इनको चरणबद्ध तरीके से खोला जाए ताकि अंधाधुंध पेड़ कटाने की प्रथा बंद हो। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। पिछले साल से इस वर्ष तक लगभग 8000 पेड़ प्राइवेट सेक्टर में कटे हैं। लोगों ने ऐसे-ऐसे पेड़ काट दिए जिनके उनको 1000-2000 रुपये मिले। इसके कारण

**29.08.2024/1240/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

पर्यावरण खराब हुआ और पिछले वर्ष आगजनी की बहुत-सारी घटनाएं घटित हुईं। पिछले सालों में हजारों पेड़ अग्नि की भेंट चढ़े हैं। इसके लिए भी हमें प्रोपर योजना बनानी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश में आगजनी की घटानाएं कम हों। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे वह इंडस्ट्री है या स्टोन क्रशर है, इनसे भी आसपास के पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। इनसे भी पौधारोपण का काम सुचारु रूप से करवाया जाए और उसके एवज में वह कुछ-न-कुछ पैसा सरकार को दें ताकि हम अपने ग्रीनरी को बचा सकें। आज टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है और हम जलवायु परिवर्तन को फेस कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहां पर जो दो-तीन बातें रखी हैं, विशेष रूप एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए कि किस बीट में किस तरह का पेड़ लग सकता है? इसके बारे में वहां के स्थानीय कर्मचारियों को पता होता है ताकि योजनाबद्ध तरीके से पौधारोपण किया जा सके और हिमाचल प्रदेश में पेड़ों के घनत्व को बढ़ाया जा सके। यह मैं इस संकल्प के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद।

**अध्यक्ष :** अब इस संकल्प पर आगे चर्चा होगी और मेरे पास इस चर्चा में भाग लेने के लिए 8 नाम आ चुके हैं। इस पर

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

29-08-2024/1245/एन0एस-डी0सी0/1

अध्यक्ष ------ जारी

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी भी बोलना चाह रहे हैं। 25 मिनट का समय हो चुका है और इस संकल्प के संदर्भ में 25 से 30 मिनट बचते हैं। मेरा चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि वे 5 से 7 मिनट में इस संकल्प के विषय में

अपना दृष्टिकोण रखें। Try to be very brief with material points. Now I request Hon'ble Health & Family Welfare Minister to participate in discussion on this Resolution. He wants to speak for five minutes.

**Health& Family Welfare Minister:** Hon'ble Speaker, Sir, the subject which has been brought up for discussion by Hon'ble Member Dr. Janak Raj is very timely and very important issue which should not only engage the attention this august House but it should be taken as a movement by our public; our students; elites and everyone in fact otherwise it will be very difficult for us to save this planet. I am just reminded of joint session which was addressed by Mr. Al Gore; the then Vice President of United States of America had pointed out that he had gone in a very fast moving aircraft and had seen, particularly, the Himalayan glacier receding very fast. I would share it with the Hon'ble Member also who moved this resolution today. He pointed out that they are receding so fast that it will be difficult for you to even see the beauty of your canals, rivers, rivulets, nallas, particularly, in Himalayan region. Mr. Al Gore goes on every year to other stations in the world. अध्यक्ष महोदय कहने का मतलब यह है कि हमारी यह जो लड़ाई है, यह सिर्फ यह नहीं है कि आज आधुनिकता बढ़ गई है, घर बन रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण साधन रहा ही नहीं है जिससे पानी जमीन के नीचे जाए। पहले एक चक्र होता था कि पानी जाएगा और फिर

29-08-2024/1245/एन0एस-डी0सी0/2

बरसात आएगी। फिर जैसे अध्यापक पढ़ाया करते थे कि पहले बुखारात होगा तब जा कर कुछ होगा। Now the system has changed. You have seen the last year's tragedy. This tragedy is one of the worsts in our history. In my age I have not seen such a thing happening in Himachal Pradesh in which our very-very vibrant Chief Minister remained on the front foot. I feel that this can happen again. It is causing lot of deforestation and they are least bothered. The Hon'ble Member brought up this issue in the Hon'ble House today that so many trees are felling.

There use to be a method that minimum ten trees will be planted, but I don't know whether they are really planting or not.

I won't take much of your time. My only submission is that there should be competition among the village panchayats that who is doing really well in 'Van Mahostav' - it should not be just customary कि वहां पर थोड़े से पेड़ लगा दिए। The issue is rightly brought by Dr. Janak Rajji. I have done it myself two three times. I have myself planted minimum thousand tress, not even more than hundred trees survived. There is no protection of trees after this fair (Van Mahostav). In Uniform Person, I had gone with Pt. Sant Ramji to two or three places and one plant was planted next to the Gaiety Theatre. After four-five years I wanted to check, but there was no plant. If the Hon'ble Minister thing is not cared for, then certainly it will not be for anybody else. My submission is that we should take it to school, college, university and gram panchayats level and to everybody in the country and realise the importance of this and not only do the mandatory thing end to customary. Thank you so much.

**Speaker:** Thank you so much. It was very brief. Now Hon'ble Member Shri Vipin Sing Parmarji will speak on this Resolution.

आगे आर0के0एस0 द्वारा ..... जारी

29.08.2024/1250/RKS/HK-1

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी और डॉ0 जनक राज जी ने जो 'जलवायु परिर्वतन के मद्देनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर यह सदन नीति बनाने पर विचार करें' संकल्प प्रस्तुत किया है, इसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हम अपने उद्‌बोद्धन में अक्सर जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने के बारे में बात करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं

कि वर्तमान परिदृश्य एवं हालात में जो विश्व स्तर पर औद्योगिकरण हुआ है या जो अतिरिक्त कस्बे व शहर बसे हैं उनके कारण इकोलॉजी इम्बैलेंस हुई है। ईंधन के जलने व जंगलों के काटने के कारण भी हमारी जलवायु प्रभावित हुई है। जलवायु एक मौसम है और यह मौसम किसी भी देश व प्रदेश की अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और ऋतुओं के अनुसार चलता है। अगर इसमें आकस्मिक कोई परिवर्तन आ जाए तो हम कहते हैं कि मौसम में आद्रता/ मॉइश्चराइजेशन अधिक आ गया है और इससे जो मौसम में बदलाव आता है उसका परिणाम हम विश्व के हर देश व अपने प्रदेश में भी देख रहे हैं। नदी-नालियों में पानी के बहाव व भू-स्खलन के कारण जो पहाड़ गिर रहे हैं उसके कारण हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। पूरे विश्व में अलग-अलग तरह की आपदाएं आती हैं। इनमें से कुछ आपदाएं जल से संबंधित हैं, कुछ भूकंप से, कुछ मौसम से और कुछ अंतरिक्ष से संबंधित हैं। आपदा सुनामी के रूप में भी आती है। जब समुद्र के नीचे भूकम्प आता है तो फिर कई छोटे-बड़े द्वीपों में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचता है या उसमें स्थापित संयंत्र भी जल मग्न हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्ययन कर रहा था जिसमें मैंने पाया कि दुनिया के सभी समुद्रों में 8 इंच पानी बढ़ गया है। जो बर्फ के भू-खंड हैं वे डूबने शुरू हो गए हैं । वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2022 के बीच पूरी दुनिया में लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। इससे पूरी दुनिया चिंतित है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में जी-20 का सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें वन अर्थ, वन नेशन और वन फ्यूचर पर चिंता प्रकट की गई। जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं कई बार एक जैसी होती हैं वैसे जलवायु परिवर्तन भी कहीं आने वाले वर्षों में मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा न कर दें। इसलिए यहां जो यह महत्वपूर्ण विषय लाया गया है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज यहां कार्बन क्रेडिट पर बात हो रही है। **श्री बी.एस.द्वारा.... जारी**

29.08.2024/1255/बी.एस./एच.के-1

**श्री विपिन सिंह परमार जारी...**

जिसके भी नेतृत्व में रही हो, कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए जो आज सबसे बड़ी चुनौति पॉलीहाउस के रूप में जहां पर गैसों का उत्पादन होता है जिसके कारण ecology imbalance होती है। मुझे निवर्तमान सरकार आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार

का भी ध्यान आ रहा है। नवीकरण जिस तरीके से एनर्जी के बारे में बात कही गई है। यानी बड़े बांध बना करके और जब बनाए गए होंगे तो उसके परिणाम क्या रहे होंगे और आगे क्या रहने वाले हैं? उसका अनुमान हम आज की तरीख में तय करते हैं। परंतु वर्तमान परिदृश्य में इस नवीकरण योजना के बारे में और एनर्जी के बारे में विशेष आग्रह किया जा रहा है। मैं क्रेडिट कार्ड में पूरे दुनिया में तो नहीं कह सकता परंतु एशिया में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। Asian Development Bank से ले करके यहां पर वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सरकारों को प्रोत्साहन राशि भी दी है। अब हिमाचल प्रदेश में जो वनीकरण की बात है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्र 68.16 है और इसमें 37,986 वर्ग किलोमीटर पर वन लगे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में ये वन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी मजबूत कर सकते हैं। Silviculture वर्षों से हम इस मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बड़े-बड़े पेड़ खड्डों और नदियों में पड़े होते हैं वे सड़ रहे हैं और सूख रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि हमारे विभाग के कुछ सख्त आदश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ आदेश हैं। उसके अनुसार silviculture कर नहीं सकते। हमारे यहां पर खैर बहुत होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पांच डिवीजन को पिछले वर्षों में खोला गया था। यानी खैर के पौधों को काटने के लिए न्यायालय बीच में आ जाता है। उसमें से भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिकी की मजबूती के लिए वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के बीच लगभग 200 करोड़ रुपया अर्जित किया गया था।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको बोलते हुए सात मिनट का समय हो चुका है।

29.08.2024/1255/बी.एस./एच.के-2

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे पांच मिनट और दे दीजिए, अन्यथा मेरे विषय अधूरा रह जाएगा। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी, कृपया मुझे बोलने दीजिए। आप भी कार्बन क्रेडिट की बात किया करो और कृषि के क्षेत्र में

कुछ सोचो। आप इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कांगड़ा के बारे में, किसानों के बारे में और हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ नहीं सोचा है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया मेरी तरफ बोला करो, अन्य बातों में ध्यान न दीजिए।

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, ध्यान तो सभी जगह रखना चाहिए। मैं यह सारी बातें इस रूप में रखना चाहता हूं कि ये वन संपदा हमारे लिए आथिकी को मजबूत करने का भी पहलू हो सकता है। हम वर्षों से वन महोत्सव के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जब अगले वर्ष जाते हैं और उन पेड़ों को देखते हैं तो वे दिखते ही नहीं है। उसके लिए बजट भी अलग से आता है। हमारी पार्टी ने और भारत सरकार ने भी "एक पौधा मां के नाम" मां जिंदगी में सबसे प्यारी होती है और मां बच्चे के पालन-पोषण के लिए इस तरीके के कष्ट सहन करती है। एक टैग लाइन दी थी, भारत सरकार और हमारी सरकार ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है कि भाषणों से नहीं, सरकारी आदेशों से नहीं परंतु हम व्यक्ति विशेष के रूप में यह समाज सारे अभियान में जुड़ जाए।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1300/डी0टी0/वाई0के0-1**
**श्री विपिन सिंह परमार जारी....**

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी बात इसलिए रखना चाहता हूं कि जो जलवायु परिवर्तन आया है उस जलवायु परिवर्तन के कारण जब कहीं पहाड़ गिरते हैं तो उस क्षेत्र के आस-पास के लोग सरकार के पास फर्यादी के रूप में पहुंच जाते हैं। हमें इन घटनाओं को रोकने के लिए वनीयकरण करने की आवश्यकता है। मेरे पास कार्बन क्रेडिट के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ था परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं हमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा। यानी जिस तरीके से वातावरण कलाइमेट चेंज हो रहा है उसमें सरकार को भी काम करना पड़ेगा। सभी राजनीतिक पार्टीयों , महिला-मण्डलों, युवा मण्डलों और सभी सैल्फ हैल्प ग्रुप को इस दिशा में कार्य करना होगा। हम गर्मियों के दिनों में हरे-भरे जंगल को जलते हुए अपनी आखों से देखते हैं और कुछ लोग उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं। परंतु हम कभी यह संकल्प नहीं लेते

हैं कि हमें इन जंगलों को जलने से बचाना होगा। हम यह देखते हैं कि वन समितियां उस आग को बुझाने के लिए काम करेंगी। इसलिए मुझे सारी बात यहां पर इस रूप में रखनी थी। विषय बहुत लंबे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर आजकल काफी अवैध कटान हो रहा है। सरकार ने पीपल,बरगद,अर्जुन और रीठा के पेड़ों को काटने की इजाजत दी है। आज इस प्रकार के बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं। इन पेड़ों को काटने के साथ-साथ लोग दूसरे पेड़ या फलदार पोधों को भी काट रहे हैं। कृपया करके आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन वन काटुओं से हिमाचल प्रदेश को बचा लो। पंजाब की तरफ गगरेट से होकर लकड़ी बाहर सप्लाई की जा रही है। घंडवाल, नूरपुर से होकर लकड़ी बाहर सप्लाई की जा रही है। वहां से लकड़ी के ट्रक भर-भर कर बाहर जा रहे हैं। बंजार में जिस तरीके से जो 400 पेड़ काट दिए गए उनके बारे में भी मैं अपनी बात इस माननीय सदन में रख रहा हूं। मुझे लगता है कि जलवायु के इस परिवर्तन के लिए हम मानव ही घातक बने हुए हैं। उप-मुख्य मंत्री जी जहां अवैध रूप से कटान हो रहा है उसे आप रोकने का काम कीजिए। मुख्य मंत्री जी यहां से चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि वन विभाग को भी इस दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प में अपने आपको सम्मिलित करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

**Speaker :** Now the House is adjourned for the lunch break and we will reassemble at 2:05 PM.

**29-08-2024/1410/ए.जी.-एन.जी/1**

**(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02:10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)**

**अध्यक्ष :** अब संकल्प पर आगे चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्य कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।

**कैप्टन रणजीत सिंह राणा (सुजानपुर) :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझसे पूर्व माननीय

सदस्यों द्वारा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण करने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वन विभाग द्वारा हर वर्ष पौधारोपण किया जाता है और इस बार मैंने स्वयं भी कुछ स्थानों पर पौधारोपण किया है। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग द्वारा सही जगह का चयन नहीं किया जाता। जंगलों में ऐसी जगह पर पौधे लगा दिए जाते हैं जहां पर हर वर्ष आग लग जाती है। प्रदेश सरकार व वन विभाग से मेरा निवेदन व सुझाव है कि पौधारोपण के लिए जंगल के बीच में जिस जगह का चयन किया जाता है वहां पर जे.सी.बी. आदि से एक ऐसा रास्ता बनाया जाए ताकि गर्मियों के समय में जब जंगल में आग लगे तो उन नए पौधों को आग न लग पाए। उस रास्ते में से झाड़ियों को यदि हम साफ करवा देते हैं तो उससे जंगलों का रख-रखाव भी हो जाएगा और नए पौधों को भी आगजनी से बचाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि जैसे मेरे गांव में 200 घर हैं तथा वन विभाग की ओर से एक-एक पौधा, चाहे वह फलदार हो और चाहे वह औषधी वाला जैसे हरड़, बेहड़ा या आंवले का हो तो ऐसा एक-एक पौधा हर घर को हर वर्ष दे दिया जाए तथा उसकी रक्षा, सुरक्षा का जिम्मा उस घरवालों को ही दे दिया जाए और उनको

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1415/केएस/एजी/1**

**कैप्टन रणजीत सिंह राणा जारी**---

हर साल फिर एक-एक पौधा देने के बाद,उस एरिया का जो विधायक है,जब पांच पेड़ उस घर के हो जाते हैं और वे उनको दिखाते हैं तो उनको कोई प्रशंसापत्र या कोई ऐसा ईनाम दिया जाए जिससे वे मोटिवेट हों। मान लो मेरे गांव में 200 घर हैं, 200 में से 100 पेड़ भी अगर बच जाते हैं तो अगले पांच साल में उस गांव में 500 पेड़ हो सकते हैं और उनसे एक तो वहां पर आग नहीं लगेगी क्योंकि वह खुद जो आदमी लगाएगा, उसकी जिम्मेवारी होगी

और यही जिम्मेवारी हमारे गांव में जो महिला मण्डल या स्वयं सहायता समूह बने हैं,उनसे जगह चिन्हित करके उस जगह पर भी पेड़ लगाए जाएं।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि जो बांस के पेड़ होते हैं, मैं अपने क्षेत्र सुजानपुर की बात करना चाहता हूं। वहां जहां-जहां पर ज्यादा बाढ़ आने का खतरा है, अगर वहां पर बांस के ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तो उससे एक तो इंडिविजुअल के लिए आमदनी का साधन भी बन जाता है क्योंकि जब वह पांच-दस साल के बाद उनको काटेगा तो उसको उससे आमदन होगी और एक उससे भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है। मेरा यह सुझाव है कि पौधारोपण पर करोड़ों रुपये का खर्च किया जाता है लेकिन अगर हम ग्राउंड लैवल पर देखें तो उतने पेड़ वहां पर दिखाई नहीं देते। प्रत्येक वर्ष तार लगाने और पौधारोपण के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन गांव के स्तर पर अगर एक-एक पेड़ बांट दिया जाए, अगर वहां से स्वयं सहायता समूह की सहायता ली जाए तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आजकल आपदाएं आ रही हैं, उसका इससे बचाव हो सकता है। कई जगह हमारी जंगलों के बीच में ऐसी भी हैं जहां पर चारों तरफ नाले हैं जो कि टेकरी टाइप हैं। अगर वहां पर भूमि का चयन करके उसकी क्वालिटी को देख कर वहां पर पेड़ लगाए जाएं तो वहां पर आग नहीं लग सकती। क्योंकि चारों तरफ नाले हैं उनमें अगर कोई जबरदस्ती आग लगाता है तो वह तभी लग सकती है नहीं तो वह एरिया बिल्कुल सुरक्षित हो सकता है। मेरे ये दो-तीन सुझाव थे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1415/केएस/एजी/2**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

**श्री हंस राज :** अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी और श्री सुख राम चौधरी जी लाए हैं। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आया है

उसके मध्यनज़र वन महोत्सव को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मैं नैट से भी और वैसे भी बहुत सारी चीजें कलैक्ट कर रहा था। मैने पाया कि हिमाचल जैसा प्रांत जिसको कुछेक तराई के क्षेत्रों को छोड़कर कभी बहुत ठंडा प्रदेश माना जाता था, यहां हिमाचल में 40 डिग्री का तापमान हो जाना जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है और अगर हम आज सजग नहीं हुए तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे जहां से हम अपनी जनरेशन को क्या छोड़ेंगे, इस पर अब हमें चिंतन और मंथन करना चाहिए। पिछली बार जब मैं डिप्टी स्पीकर था तो हमारी प्रिविलेज कमेटी में जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए लाहौल-स्पिति से होते हुए लेह-लद्दाख तक हम गए और हमें सियाचिन बेस केंप में जाने का मौका मिला। जहां पर फौजियों को तैयार किया जाता है कि स्नो पर वे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सियाचिन में जो लोग डियूटी देने के लिए जाते हैं जहां पर उनका ड्रिल होता है, वहां स्नॉउट कहते हैं और वहां के ब्रिगेडियर साहब ने हमें बताया कि ये स्नॉउट जिस पर हम ड्रिल कर रहे हैं, वह 31 किलोमीटर पीछे हट गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1420/av/as/1**

**डॉ0 हंस राज------ जारी**

यानी 10 किलोमीटर केवल दस वर्षों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि यह भी चिंता का विषय है, साथ में यह भी बताया कि वहां पर उन्होंने वेजिटेशन शुरू की और उससे थोड़ी-थोड़ी बारिश होनी शुरू हुई। ऐसा ही सर्वे करके एक नेशनल टीम जीयोग्राफिकल चेजिंज देख रही है और क्लाईमेट चेंजिज पर भी काम कर रही है। उन्होंने लाहौल-स्पिति की घेपन झील को देखा है जिसका दायरा बढ़ गया है क्योंकि बर्फ पिघल रही है। अभी इस बरसात में हमारे प्रदेश में समेज गांव बहा जहां बताया जा रहा है कि झील फटी और तीन हिस्सों में नीचे आई या दूसरे गांवों में भी काफी क्षति हुई। ऐसा ही अंदेशा लाहौल-स्पिति के लिए भी जताया जा रहा है। हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और कुछ वैज्ञानिक लोग इस

संदर्भ में जांच कर रहे हैं कि अगर इसका घनत्व और ज्यादा बढ़ा तो नुकसान हो सकता है। इसके पीछे भी हम लोग ही मुख्य कारण हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम लोगों ने अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन्ज भी की हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में बहुत ज्यादा हाइड्रो प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं। आप चम्बा में रावी बेसन को ही लें। अध्यक्ष महोदय, आपको तो पता ही है कि रावी से होते हुए चम्बा तक लगभग 20 हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स लगे हैं। आप खुद ही देखिए कि वहां पर कितने सारे एडिट्स और टनल्स बनी हैं। अभी पीछे यह खबर आई थी कि हटसर से आगे होली के पास एक पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और यह पूरे विश्व में पैदा हुई है जिससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग सड़कों की तरफ अंदर तक गए हैं जिसका ख़ामियाजा हमें आज नहीं तो कल अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम इस विषय को सदन के अंदर केवल एक संकल्प के रूप में न रखें। मेरे यहां एच0पी0पी0सी0एल0 हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट चांजू फेज़-III लग रहा है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे लेकिन जिस कंपनी को वहां पर आगे काम सबलैट किया हुआ है उस कंपनी का नाम शायद 'भूमि' है। उसने वहां पर न तो डंपिंग साइट अलॉट की है और उनका काम करने का तरीका भी ठीक नहीं है। वे वहां पर प्लांट्स और वेजिटेशन को ऐसे प्रभावित कर रहे हैं जैसे कि वह सारा-का-सारा ही उन्हें सौंप दिया गया हो। प्लांट्स को बचाने के लिए हम जो फौरी तौर पर कर सकते हैं मैं उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे

**29.08.2024/1420/av/as/2**

तीसा के बंजराड़ू में एक बड़ा दंगल होता है जहां पर 8-10 हजार लोग उस मेले का लुत्फ लेते हैं। वहां पर हमने दिनांक 10 जुलाई, 2024 को इस वर्ष को पौधारोपण वर्ष बोला और उसमें हमने यह भी कहा कि हम विधायक निधि से भी प्लांटेशन के लिए पैसा देंगे साथ में हमारे पार्टी के लोग डायरैक्टली एक-एक प्लांट सर्वाईव भी करवाएंगे। हमें इस प्रकार की मुहिम छेड़नी पड़ेगी क्योंकि हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने इस बार जिस भी डी0एफ0ओ0 को कहा तो उन्होंने बताया कि विधायक एक ही जगह कर पाएंगे बाकी जगह नहीं कर सकते जबकि इसमें कोई राजनीति नहीं दिखती। हमने कहा कि कुछ एरिया आप ले रहे हैं और कुछ एरिया हम शामिल करवा लेते हैं। मान

लो आपको एक या दो हेक्टेयर एरिया दिया गया है परंतु उसमें एक-आध व्यक्तियों ने कुछ अच्छा रिस्पोंस नहीं दिया और इस प्रकार के व्यवहार से हम भी आहत होते हैं। मेरा इस संकल्प के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि हम चाहे हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट की तरफ जाएं या फिर जैसे यहां पर 9 सीमेंट प्रोजैक्ट्स लगे हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। इसी कारण से शिमला, तीसा, जोत, भरमौर, भटियात आदि क्षेत्रों में भी अगर तापमान 35-40 डिग्री पहुंच जाता है तो यह चिंता का विषय तो बनता ही है। हमें लगता है कि इस विषय को संकल्प के रूप में न लेकर इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। हमारे जंगलों में जिस तरह से अवैध कटान हो रहा है उसमें जो नये कटर्स आए हैं वह तो रातों-रात पेड़ ही खा जाते हैं। यह भी पता नहीं चलता कि वहां कभी पेड़ था। मेरा माननीय वन मंत्री जी से यह आग्रह रहेगा कि अब उन कटर्स पर बंदिश लगनी चाहिए और उन कटर्स के लिए लाइसेंस का प्रावधान होना चाहिए नहीं तो हमें हक़ीकत में जंगल मिलेंगे ही नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम और आप भविष्य में इसको रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि सिस्टम में ऐसे-ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रातों-रात सारी चीजें बदल रहे हैं।

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**
**श्री हंस राज...जारी**

हम चाहे ड्राइव कोई भी चलाएं लेकिन उसको सही तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। हमें अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में इसकी शुरुआत की है। पिछली बार हमने भी 46 सड़कों का निर्माण करवाया जिसमें बहुत-सारे पेड़ इधर से उधर हुए लेकिन उनकी भरपाई करने के लिए हमने वर्ष 2024 में पौधारोपण का वर्ष मनाया और स्कूलों के छात्रों, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह के लोगों को इन्वॉल्व करके यह कहा कि हमने 100-200 पेड़

नहीं लगाने हैं सिर्फ दो ही पेड़ लगाने हैं और उनको सरवाइव करके अपने बच्चों को सौंपना हैं। मुझे इतना ही कहना है और यह एक अच्छा संकल्प है। धन्यवाद।

**29.08.2024/1425/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री सुदर्शन सिंह बबलू (चिन्तपुरनी) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जनक राज और श्री सुख राम चौधरी जी एक महत्वपूर्ण संकल्प लेकर आए हैं। आपने इस विषय पर मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश एक वन प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और इसका रखरखाव करना हमारी सरकार और समाज का दायित्व है लेकिन कुछ समय से जो जलवायु का मिजाज बदला है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने इस बार गर्मियों के मौसम में देखा। इस तरह की गर्मी हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार पड़ी और ऊना के अंदर गर्मियों में 48 डिग्री टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अंदर इस बार सबसे ज्यादा टेंपरेचर ऊना का रहा। अगर बरसात की बात की जाए तो मैं नहीं समझता कि हिमाचल में इस बार पूरी तरह से बारिश हुई है। जहां भी बारिश हुई है वहां पर बादल फटे हैं और नुकसान हुआ है लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है, इस साल उससे 40 प्रतिशत बारिश कम हुई है। गर्मी की वजह से कहीं-न-कहीं जल स्तर जरूर बढ़ रहा है लेकिन अगर इस बार भाखड़ा डैम की स्थिति देखी जाए तो 70 फुट पानी नीचे रहा है। इस तरह से बारिश और बर्फबारी में काफी कमी आई है। शिमला में अप्रैल महीने तक बर्फ पड़ी रहती थी लेकिन पिछले दो वर्षों में हमने शिमला में दिसम्बर और जनवरी के महीने में भी बर्फबारी होते हुए नहीं देखी है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम वनों का रखरखाव सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वनों का अवैध कटान हो रहा है और इसके साथ-साथ हम जो पौधारोपण करते हैं उसको हम मीडिया में तो दे देते हैं लेकिन उन पौधों के कामयाब होने की रेशो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रतिशत भी नहीं है। इसके लिए हमें एक बेहतरीन कानून बनाना चाहिए कि जो अवैध कटान हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। पिछली सरकार ने आम काटने के लिए वन काटुओं को परमिशन दी थी और इसके कारण प्रदेश के अंदर बहुत-सारे पेड़ काटे गए। ऐसे पेड़ भी काटे गए जो 200 साल पुराने थे और

इससे हमारा जलवायु प्रभावित हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने फलदार पेड़ काटने पर रोक लगाई है।

दूसरा, मुख्य मंत्री जी एक संकल्प लेकर आए हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन हिमाचल बनाना है। यह भी माननीय मुख्य मंत्री और हमारी सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। **एन0एस0 द्वारा... जारी**

29-08-2024/1430/एन0एस-डी0सी0 /1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू ..... जारी

इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा विषय था। दूसरा, हमारे देश व प्रदेश के अंदर साइंटिफिक तरीके से पेड़ों का कटान होना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में चील के पेड़ ज्यादा हैं और हम इन पेड़ों से एक ऑयल निकालते हैं जिसको हम बिरोजा कहते हैं। हम इस बिरोजा को भी अवैज्ञानिक तरीके से निकालते हैं यानी जहां से मन करता है वहां से पेड़ में कट लगाकर बिरोजा इकट्ठा करने के लिए बर्तन लगा देते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से उस ऑयल को निकाला जाए तो पेड़ भी बचे रहेंगे। ये पेड़ ऊपर से तो बढ़ जाते हैं लेकिन नीचे से इतने कमजोर हो जाते हैं कि जैसे ही तेज हवा चलती है तो ये पेड़ टूट जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बार हमारा वातावरण और जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मैं समझता हूं कि इस बार जंगलों में आग लगने की वजह से प्रदेश के अंदर अलग तरीके का जलवायु परिवर्तन देखने को मिला। जो लोग जंगलों में आग लगाते हैं, उनके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। हमने इस बार देखा कि जंगल बहुत ज्यादा जले हैं जिसके कारण अनेकों जंगली जानवर जले हैं, कई वनस्पतियां नष्ट हुई हैं। इसलिए इसके ऊपर कठोर नीति बननी चाहिए। ऐसी नीति बननी चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे जंगल सुरक्षित रहें और हमारी आर्थिकी भी बढ़े क्योंकि हमारे प्रदेश की बड़ी संपदा वन ही हैं। हमें इसके लिए एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यह संकल्प जो माननीय सदस्य इस सदन में लेकर आए हैं, यह बहुत बढ़िया संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब हम किसी स्कूल के फंक्शन में जाते हैं तो स्कूल के अधिकारी/कर्मचारी हमें बड़े-बड़े मूमेंटों, शॉल व टोपियां देते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जगह पर एक पौधा लगाकर

सम्मानित करना चाहिए। हम बच्चों का सम्मान मूमेंटों से करते हैं। आने वाले समय में उनका सम्मान भी पौधा देकर किया जाए और साथ में प्रेरणा दी जाए कि इस पौधे की रक्षा आपने ही करनी है। अगर यह संकल्प सरकार लेती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा प्रदेश फिर से ग्रीन हिमाचल के नाम से जाना जाएगा। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हिमाचल बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत अच्छा संकल्प लेकर आए हैं और आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।

29-08-2024/1430/एन0एस-डी0सी0 /2

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया संक्षेप में बोलें।

**श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता) :** अध्यक्ष महोदय, डॉ0 जनक राज, श्री सुख राम चौधरी द्वारा लाए गए संकल्प कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जलवायु परिवर्तन के मध्यनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर यह सदन नीति बनाने पर विचार करे।' मैं कार्बन क्रेडिट पर ही बोलूंगा क्योंकि नियम-130 में मेरा प्लांटेशन से संबंधित विषय लगा हुआ है और इस पर चर्चा भी बहुत हो गई। वृक्षों का हमारे शास्त्रों और सभ्यता में लगातार संबंध रहा है। इसके बारे में शास्त्रों में सभ्यता के विभिन्न पड़ाव पर चर्चा भी हुई। जैसे कि पत्थरों, पहाड़ों और वृक्षों को हमने भगवान मान कर पूजा है। उसी तरीके से इस संकल्प के बारे कुछ अंश रखना चाहूंगा। भगवान को हम मानते हैं और भगवान का भाव भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर है। ये पांच तत्व हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

29.08.2024/1435/RKS/डीसी-1

श्री जीत राम कटवाल...जारी

जो भगवान का नाम है वह भी इस वातावरण से अंगीकृत किया गया है। हम पीपल को सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के रूप में मानते हैं। हम पीपल को वृक्षों का राजा भी कहते हैं। यजुर्वेद में इसका वर्णन इस प्रकार हैः-

**मूलं ब्रह्मा त्वचा विष्णुः शाखा रुद्र महेश्वरः**
**पत्रे-पत्रे तु देवानां वृक्षराज नमोस्तुते।**

इसका भावार्थ यह है कि जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री हरि विष्णु जी और शाखाओं पर देवादि देव, भगवान शंकर जी का निवास है तथा उस वृक्ष के पत्ते-पत्ते पर सभी देवताओं का वास है, ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को मैं प्रणाम करता हूं। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हिमाचल प्रदेश में कुल 66.56 प्रतिशत वन भूमि है जिसमें से 22.5 प्रतिशत भूमि वनों से ढकी हुई है। वन हमारी महत्वपूर्ण संपदा है। जंगलों के विनाश की जो शंकाएं जताई गई हैं वे सभी मैन मेड हैं। आज औद्योगीकरण व विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है। हमारा प्रदेश प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न है। हमारे प्रदेश में जो दरख्त लगे हुए हैं उनसे पर्यावरण को संरक्षित रखने में हमारा विश्व स्तर पर उत्कृष्ट योगदान है। हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ लगे हैं उनकी कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। अगर हम इसकी महत्ता को समझें तो इस कीमत से हमारे प्रदेश के पांच बजट पास हो जाएंगे। यहां एक अच्छा परिदृश्य है जिससे हमें आगे काम करने का मार्गदर्शन मिलता है। वर्ष 2019-20 में 6027 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लांटेशन हुई और ग्रास लैंड को डवलप करने के लिए 165.75 हैक्टेयर पर काम किया गया । उस वर्ष लगभग 90 लाख विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए। ग्रास टर्फ का टोटल 10,03,085 क्वांटिफाई किया गया है। पूरे संसार के जो 36 बायोडाइवर्सिटी जोन हैं उनमें से 4 हिमाचल प्रदेश में हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े-बड़े पहाड़, मैदानी इलाके, शिवालिक रेंजिज और मिड हिमालय की संपदा हमारे पास है। हम इन संपदाओं का भोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की भूमि को पूरे विश्व में देव भूमि के नाम से जाना जाता है। जब हम कभी बाहर जाते हैं और वहां अपना परिचय देते हैं कि हम शिमला या कुल्लू-मनाली से हैं तो वहां हमें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमें हमारे वातावरण और बातचीत की दृष्टि से काफी सम्मान मिलता है। हमारा प्रथम दायित्व पर्यावरण को बचाने का है। फ्रिज, पंखे, ए.सी. और इंडस्ट्रिअल एक्टिविटी से कार्बन उत्पन्न होता है। इस वर्ष जंगलों में 2500 आगजनी की घटनाएं हुई।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

29.08.2024/1440/बी.एस/एच.के-1

**श्री जीत राम कटवाल जारी...**

बहुत बड़ा कार्बन उत्सर्जन और हमने इन गर्मियों में ग्रीन हाउस मिशन का एक बहुत बड़ा विनाश देखा है, जिस जंगल को, जिस प्रॉपर्टीज को पैदा करने में और संभालने में सैंकड़ों वर्ष लग गए थे वह कुछ ही घंटों में खत्म होती हुई नजर आई। हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट का जो एक वर्णन है, जिसकी शुरूआत वर्ष 2005-06 में हुई थी। यह क्योटो प्रोटोकॉल के अन्तर्गत इसका पहला अटैंप्ट शुरू हुआ था और यह बात सही है कि जो हमारे पेड़, कार्बन डाईऑक्साइड या ग्रीन हाउस मिशन हैं वे उसे सिंक करते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमें ऑक्सीजन देते हैं। पीपल का वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और अन्य जो हमारे पेड़-पौधे हैं वे सूर्य की रोशनी में जब कार्बन डाईआक्साइड उनके पास जाती है उसको ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल का जो कंसेप्ट है उसमें वह काम करते हैं। पेड़-पौधों की ग्रोथ के लिए क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी का योगदान होता है। आज घरों में भी लोग पेड़-पौधे उगाते हैं उसका यह परिणाम है। जहां तक Clean Development Mechanism (CDM) की बात होती थी वर्ष 2005 में world agencies या अमेरिका है, उनसे पहले बात हुई और जो एक 100 billion dollar climate change funding (United Nation Framework Convention For Climate Change) इसकी वर्ल्ड फॉरम पर भी बात हुई। इस संबंध में वर्ष 2015 में पेरिस में बात हुई और वर्ष 2028 और 2021 में कनाडा में बात हुई तथा वर्ष 2023 में दुबई में बात हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में डवैलपिंग नेशन के साथ-साथ जो विकसित राष्ट्र हैं उन्हें भी एक संदेश दिया और ग्रीन हाउस मिशन तथा ग्रीन हाउस कार्बन डाईआक्साइड में जिम्मेवारी शेयर करने के लिए एक फंड की स्थापना हुई। उसमें कंट्रीब्यूट करें और कहा कि इस विश्व को इस विनाश काल के रास्ते से बचाने के लिए सभी को सहयोग करने की जरूरत है। यही कारण है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज विश्व का डेढ़ से दो प्रतिशत तापमान बढ़ चुका है और जैसा आदरणीय परमार जी ने कहा कि आठ इंच समुद्र स्तर भी बढ़ गया है। इसलिए आने वाले 15-20 वर्षों में इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो बहुत सारे coastal towns धराशाही हो जाएंगे और पानी में जलमग्न हो जाएंगे, जो existence

में प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति होगी। इसलिए यह संभलने वाली बात है। मैं यहां पर इतना अवश्य कहूंगा कि ये कार्बन क्रेडिट प्रोजैक्ट्स पर हिमाचल प्रदेश में भी वर्ष 2005-06 में

29.08.2024/1440/बी.एस/एच.के-2

काम हुआ है। वर्ष 2008-12 के बीच में मैं भी सरकारी सेवाओं में था। उस समय भी इस पर चर्चा अवश्य होती थी। इसमें हमें पांच करोड़ रुपये मिले हैं। उस वक्त कोटगढ़ वन मण्डल में इस पर कार्य हुआ था। Mid Himalayan Watershed Programme के अन्तर्गत यह काम हुआ और 80 प्रतिशत पैसा लोगों को बांटा गया। इसमें 5 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ रुपये लोगों के बीच में बांटा गया था। प्लांटेशन हमारा एक इश्यू है। अगर हम इसे लगाने की बात करते हैं और इसे संभालने की बात करते हैं। घंटी... मेरा एक विषय नियम-130 के अन्तर्गत भी है, मैं उसे आप सबके साथ शेयर करूंगा। उसमें एक प्रोजैक्ट भारत सरकार को दिया है। हमारा पौधारोपण मात्र एक उत्सव न हो, वन महोत्सव न हो, बल्कि यह हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। यदि यह हमारा दिनचर्या का हिस्सा होता है, जिस तरीके से हम अपने घर और परिसर को अच्छे तरीके से रखते हैं और स्कूलों में बच्चों की शिक्षा और डिग्रीयां हैं।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1445/डी0टी0/वाई0के0-1**

**श्री जीत राम कटवाल जारी...**

स्कूल और कॉलेज में बच्चों को प्लांटस लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि इन प्लांटस को वह सुरक्षित कैसे रखें इसके लिए छात्रों को 2,4, या 5 नम्बर के क्रेडिट मार्कस भी दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। विश्व के कई देशों में ऐसा प्रावधान है। तुलसी दास जी ने श्री रामचरित मानस में भी कहा है:

**क्षिति जल पावक गगन समीरा।**
**पंच रचित् अधि अधम शरीरा ।।**

इसका अर्थ है कि हमारा शरीर जल, आग, धरती, आकाश, वायु से रचित है और इन सारी चीजों को परखने के लिए, इनके रख-रखाव में योगदान देने के लिए हम सब लोगों को काम करना चाहिए। ये बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए जो यहां पर पौधरोपण की बात हुई या कार्बन क्रेडिट की बात हुई है, उसमें अपनी इन बातों को जोड़ना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो पूजा के लिए कपूर, जिसे हम कैम्फर भी कहते हैं, वह भी ओजोन लेयर को स्ट्रेंथन करता है। जिसके डिपलिशन से हमें अल्ट्रावाइड रेज का शिकार होना पड़ रहा है और जिस के कारण हम बिमारियों से ग्रस्ति हो रहें हैं।

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1445/डी0टी0/वाई0के0-2**

**अध्यक्षः** अब इस संकल्प में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया।

**श्री केवल सिंह पठानियाः** अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय डॉ0 जनक राज व श्री सुख राम चौधरी जी ने सदन में रखा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। वैसे तो सभी वक्ताओं, चाहे पौधरोपण की बात हो चाहे कार्बन क्रेडिट की बात हो, इस पर अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं विशेषकर जंगलों में लगने वाली आग के बारे में बोलना चाहूंगा। ये मौसम विभाग ने भी माना है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हुई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे फायर वाचर थे, क्योंकि पिछली बार कोई ऐसी रेंज, बीट पूरे प्रदेश में नहीं बची जहां पर आग न लगी हो। कहीं-न-कहीं जो विभाग का वर्किंग प्लान था वह ठीक नहीं था। क्योंकि जब आग लगी तो डी0एफ0ओ0,आर0ओ0 व फोरेस्ट गार्डज को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार न फायर लाइन के लिए बजट था और न ही फायर वाचर के लिए बजट था। यहां हम एक तरफ चर्चा कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट की और वृक्षारोपण की। ऐसा नहीं है कि पहले वृक्ष नहीं लगाये गये। वृक्ष लंबे समय से लगाये जा रहे हैं। वनरोपण की शुरूआत भी कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही हुई। ग्रीन फालिंग रोकने का निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया था

और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। पहले 80-90 करोड़ रुपये पौधरोपण या वृक्षों को बचाने के लिए वन विभाग के अलग-अलग डिवीजनज में दिया जाता था। लेकिन इसबार वह धनराशि उनके पास नहीं पहुंची। जब कैम्पा और कैट प्लान का प्रश्न लगाया तो पता चला कि पिछले तीन सालों में लगभग 735 करोड़ रुपये वृक्षों व पौधरोपण में लगाया गया और उसकी प्रोटेक्शन में 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। हमारे कांगड़ा व चम्बा जिलों के जो वन विभाग के डिवीजन हैं उनके लिए पैसा जारी नहीं किया गया। इस बार जब 75वां वृक्षारोपण माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा आरंभ किया गया उसके लिए मैं सदन के नेता का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि ये भी प्रेदश के इतिहास में पहली हुआ कि 68 के 68 विधायकों को डी0एफ0ओ0 द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रमों के लिए सम्पर्क किया गया।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

**29-08-2024/1450/वाई.के.-एन.जी/1**

**श्री केवल सिंह पठानिया.....जारी**

विधायक एक मोटिवेटर होता है। जब वह फील्ड में जाता है तो स्वयं सहायता समूह, पंचायतें आदि सभी इंवॉल्व होते हैं। इसके अलावा वन विभाग वाले जो जगह तय करते हैं उसमें क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं तो वैसे पौधों को रोपित करना चाहिए। आज जंगलों में से फलदार पौधे कम हुए हैं जिस कारण बंदरों के आतंक में वृद्धि हुई है। वन विभाग ने जंगलों में फलदार पौधों को लगाना बंद कर दिया है। इसके अलावा अवारा पशुओं और बंदरों के कारण आज 23 प्रतिशत कम खेती हो रही है। फलदार पौधे कम हो जाने के कारण बंदरों ने फसलों और शहरों का रूख कर लिया है। मेरा मानना है कि फलदार पौधों के लिए भी एक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज कल नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है। कंढ़वाल से लेकर जोगिन्दर नगर तक नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है। उनका व पावर प्रोजैक्ट्स का

जो पैसा आया उसमें कंपेंसेटरी प्लान पर क्या कार्रवाई हुई है? हम जब अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो देखते हैं कि नेशनल हाइवेज़ पर पिछले 10-12 साल में बहुत काम हुआ है। उससे पहले भी काम हुआ है। मैं माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे को लेकर एक मास्टर कैम्पेन हुआ है। मैं अभी महाराष्ट्र में गया था और कंपेंसेटरी प्लान का पैसा प्लांटेशन पर यूज़ नहीं हो रहा है। मेरे शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में सिहूं से लेकर कंढ़वाल तक लगभग 2022 पेड़ काटे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता है। जहां पर भी नेशनल हाईवे बन रहे हैं वहां पर कुल जितने पेड़ काटे गए हैं उससे 10 गुणा ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि इसका सर्वाइवल रेट 3 प्रतिशत है। उस नेशनल हाईवे का टेंडर लगभग 4700 करोड़ रुपये का है और उसमें से 5 से 10 प्रतिशत पैया प्लांटेशन के लिए होता है लेकिन वास्तव में प्लांटेशन नहीं होती है। नेशनल हाईवे में पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग ही देता है।

**29-08-2024/1450/वाई.के.-एन.जी/2**

पिछले दो सालों से प्रदेश में आपदा आ रही है। यहां पर कार्बन क्रेडिट व प्लांटेशन पर बात की गई है। डवलपमेंट भी जरूरी है और प्रदेश में जो नेशनल हाइवेज़ बन रहे हैं उनमें ज्यादा-से-ज्यादा टनल निर्माण करने की आवश्यकता है। जिससे कम-से-कम पेड़ों को नुकसान हो। इसके अलावा कैम्पा का पैसा, कैट प्लान का पैसा, पावर प्रोजैक्ट्स का पैसा और जो पैसा उद्योगपति जमा करवाते हैं, वह सारा प्लांटेशन पर लगाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि कंसोलिडेटिड प्लांटेशन होनी चाहिए। आज लगभग 11 विभाग पर्यावरण की रक्षा पर पैसा खर्च करते हैं और ईको-क्लब के माध्यम से 21 हज़ार रुपये भेजे जाते हैं। इसी प्रकार सी.एस.आर. में पैसा आता है, वे अलग भेजते हैं। मंदिरों ने भी कैम्पा का पैसा रखा हुआ है। उन्होंने भी डी.सी. के पास 10-15-20 लाख रुपये रखे होते हैं। कुल 11 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम चला रखे हैं। मेरा मानना है कि कंसोलिडेटिड प्लांटेशन के लिए एक सही जगह तय की जाए। मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न किया था और उच्च शिक्षा विभाग वालों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालों को कुल 7.44 करोड़ रुपये दिया। स्कूलों में प्रिंसीपल, टीचर्स और बच्चे साथ में

खड़े होकर अपने कैम्पस में ही पौधा लगाने की फोटो खींच कर अपने अधिकारियों को देते हैं और 21 हज़ार रुपये का बिल बन कर तैयार हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्लांटेशन का कार्यक्रम चलता है तो वन विभाग का एक ही सैल इसकी निगरानी करे और सर्वाइवल रेट को भी देखे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नुकसान का सबसे बड़ा कारण क्रेशर भी होता है क्योंकि मेरे इलाके के चम्बी खड्ड में इससे नुकसान हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम ऐयरपोर्ट की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और एक तरफ से हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तथा दूसरी तरफ से मेरे क्षेत्र के गज्ज खड्ड पर बना डढ़ू पुल निकल जाएगा क्योंकि उस तरफ बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। जहां पर जहाज लैंड करते हैं उसके दूसरी तरफ मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है। वहां पर पिछले 3 सालों से लैंड स्लाइड हो रही है और उस पर भी काम करने की जरूरत है। मैं अंत में एक बात करना चाहूंगा,

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1455/केएस/वाईके/1**

**श्री केवल सिंह जारी**--

कि जहां मैंने नेशनल हाईवे की बात की, परसों भी मैं पी.ए.सी. की मीटिंग में अनिल शर्मा जी से यह बात कर रहा था कि 47 विधायक कांगड़ा, चम्बा और हमीरपुर से आते हैं। 7 स्पॉट ऐसे हैं, आप बाघल के आगे देख लो, चमाकड़ी पुल के आगे देख लो, लोक निर्माण मंत्री यहां बैठे हैं, पता नहीं लोक निर्माण विभाग कहां सोया हुआ है? निचले हिमाचल से हम 47 विधायक यहां आते हैं और यहां आने वाले नेशनल हाईवे पर 7 स्पॉट ऐसे हैं कि वहां पर हमें जोर से झटका लगता है और हमारी हड्डी-पसली टूट सकती है। इस बात के लिए सभी साथी मुझसे सहमत होंगे। अधिकारी भी तो वहां से टूअर पर जाते होंगे। ...(व्यवधान) क्या एन.एच.ए.आई. को हम पकड़ नहीं सकते? डंपिंग साइट कहां दी हुई है? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने शुक्रवार को अपने चुनाव क्षेत्र जाना है। रास्ते में जब वो गड्ढे नज़र आते हैं तो बहुत डर लगता है। लोक निर्माण मंत्री जी, आप एन.एच.ए.आई. को भी पकड़ सकते हैं, उनकी आप बैठक बुला सकते हैं। विधायकों की सुरक्षा नहीं होगी तो 70 लाख

लोगों की जिन्होंने हमें चुना है, सुरक्षा कहां होगी, यह मैं पासिंग रेफरेंस में कहना चाहता हूं। जो बात है, वह है और मैं बेबाक कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि केंपा और हमारे इको टूरिज्म में जो हमने साइटें डवलप करनी हैं, फाइनेंस मिनिस्टरी ने भी कुंडा लगा कर रखा है। लगभग 130-40 करोड़ रुपये इनके भी देने हैं। मैं जानता हूं कि मेरे यहां कनेरी की जो बजट में अनाउंसमेंट्स हैं। वह पैसा भी वन विभाग को आना है वह पहले फाइनांस को रिलीज़ करना चाहिए जिससे वन विभाग उसको आगे डिस्ट्रिब्यूट कर सके। माननीय जनक राज जी और सुख राम चौधरी जी ने जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा तथा चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर कोई न कोई नीति बने। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। जयहिंद।

**29.08.2024/1455/केएस/वाईके/2**

**अध्यक्ष :** अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

**श्री बलबीर सिंह वर्माः** माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में डॉ0 जनक राज जी और सुख राम चौधरी जी ने जो प्रस्ताव लाया है, जलवायु परिवर्तन के मध्यनज़र वन महोत्सव के माध्यम से पौधारोपण के बारे में इस माननीय सदन में चर्चा चली है। मेरे चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फोरैस्ट हैं और 2 डी.एफ.ओ. और आठ रेंज हैं। मैं 11-12 साल से लगातार पौधारोपण कर रहा हूं। परंतु जो यह पौधारोपण हो रहा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। मैं समझता हूं कि मुझसे पहले भी बहुत बार पौधारोपण हुआ और भविष्य में भी होगा परंतु जो पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या वे जीवित हैं, क्या अगले साल वे बचने हैं, इसके बारे में विभाग ने बारीकी से कोई प्लान नहीं बनाया है। यह ठीक है कि फैंसिंग कर देते हैं जो कि हफ्ते के बाद भी कई बार वहां पर नहीं मिलती। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से विनती है कि जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुए पौधे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में एक योजना बनाएं। आजकल नई टैक्नोलॉजी से ऐसे-ऐसे आरे आ गए हैं कि स्मगलर एक गाड़ी एक घंटे में भर देते हैं और वह आरे पैट्रोल से चलते हैं। उनके साथ चयन कूपी होती है

जिससे पूरा पेड़ कट जाता है और गाड़ी में डालकर एक घंटे में वे पूरा पेड़ ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए जैसे बंदूक का लाइसैंस होता है, 18, 22 और 32 इंची जो आरे होते हैं, उनका भी अगर लाइसैंस होगा तो पकड़ में आ जाएगा कि यह पेड़ किसने काटा है? अगर इस तरह से बारीकी से जंगल जो प्रकृति में पैदा हुए हैं, इनको भी हम सेव कर दें तो मैं समझता हूं कि इससे आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदा होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1500/av/ag/1**

**श्री बलबीर सिंह वर्मा------ जारी**

मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आरे हर क्षेत्र में पहुंच गए हैं जोकि पेट्रोल से चलते हैं। लोग इन आरों की मदद से कुछ ही मिनट्स में पेड़ों के लॉग्स बनाकर गाड़ी में ले जाकर उसकी स्मगलिंग करते हैं। अगर आरे के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया जाए तो इससे मेरे ख्याल में इलीसिट काफी रुक जाएगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली एरिया में प्लांटेशन की जानी चाहिए। परंतु वन विभाग दोबारा-दोबारा उन्हीं जगहों पर प्लांटेशन करवाता रहता है जहां पर प्रकृति ने अपने-आप ही बहुत ज्यादा पेड़ पैदा किए हैं। जहां पर वास्तव में कोई भी पेड़ नहीं है और बैरन लैंड है, वहां पर किसी भी प्रकार की प्लांटेशन नहीं की जाती। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जगह के हिसाब से यानी लो, मिडल और हाइट वाली बैल्ट के हिसाब से अलग-अलग स्पीशिज के पौधे लगाए जाने चाहिए। प्रदेश में साउथ फेसिंग की तरफ बिल्कुल खाली लैंड है जिसमें कोई पेड़ नहीं है और इस प्रकार की दो-दो सौ बीघे जमीन है। मेरा वन विभाग से अनुरोध रहेगा कि जगह की हाईट के हिसाब से अलग-अलग स्पीशिज के पौधे लगाए जाएं। प्रदेश में बैरन पड़ी लैंड के लिए प्रोपर प्लानिंग की जाए और जहां पर प्लांटेशन करनी हो उसके लिए पॉलिटिकल सैटअप के लोगों को भी पूछना चाहिए। उसमें वे चाहे पंचायतीराज के हों, विधायक हों या फिर जिला परिषद के मैंबर हों, प्लांटेशन उनको पूछकर करनी चाहिए क्योंकि अगर उनको पूछा जाएगा तो वे उसको

खाली जगह में करवाएंगे। वरना खाना-पूर्ति तो बहुत वर्षों से हो रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार से होती रहेगी। मेरे चुनाव क्षेत्र में वन विभाग प्लांटेशन पर हर साल बहुत पैसा खर्च करता है। जंगलों में खुद उगने वाले पेड़ों की मात्रा बहुत अधिक है परंतु जो वन विभाग लगा रहा है वह बहुत ही कम है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अप्रैल, मई व जून महीने में गर्मी के दौरान वन विभाग या कोई प्राइवेट संस्था के लोग इन पौधों को पानी नहीं देते जिसके कारण वे सूखने लगते हैं। इस उद्देश्य हेतु पहले जो बहुत सारे तालाब बने हुए थे वे अब कोई भी नहीं बचे हैं। वन विभाग जहां पर प्लांटेशन करवाता है अगर वहीं पर खाली लैंड पर तालाब भी बनवा दे और उससे गर्मी में सिंचाई की जाए तो वहां की प्लांटेशन बच सकती है। हमारे जंगलों की प्लांटेशन तब बचेगी अगर वहां पर रेन

**29.08.2024/1500/av/ag/2**

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में तालाब इत्यादि बने होंगे ताकि मई-जून के महीनों में उनसे सिंचाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग के अंतर्गत एक प्रोजैक्ट आया हुआ है जिसके तहत पानी को रोकने हेतु तालाब बनाए जा रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में उस प्रोजैक्ट के तहत 11 तालाब बने हैं परंतु वे सभी बरसात के दौरान बह गए। उसमें एक-एक पर 15 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है। इसके बहने का मुख्य कारण यह है कि वे तालाब बीच नाले में बनाए जाते हैं। नाले के पानी को डाईवर्ट करके तालाब को 50 या 100 मीटर साइड में बनाया जाए तो वे सारे बच सकते हैं। लेकिन वे बीच में बनाए जाते हैं जोकि भारी बरसात के कारण बह जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 26 पंचायतें हैं और उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन वहां पर जिस हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है उस तरीके से उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वह पैसा स्पॉट पर तो लग रहा है परंतु बरसात में वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अगर प्लांटेशन के लिए प्रोपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा तो मैं समझता हूं कि सर्वाइवल रेट बढ़ सकता है। मेरा यह भी सुझाव रहेगा कि बैरन लैंड पर प्लांटेशन करवाने के लिए आप देश के उद्योगपतियों को आमंत्रित कीजिए। वे प्लांटेशन करने के साथ-साथ वहां पर चौकीदार

रखकर उनकी रक्षा भी करेंगे। फिर 15 साल के उपरांत वे सारी प्लांटेशन वन विभाग उनसे वापिस लेगा जबकि वे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे।

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1505/टी0सी0वी0/ए0जी0-1**
**श्री बलबीर सिंह वर्मा...जारी**

पर्यावरण के लिए देश में बहुत-सारे लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। उनको वन विभाग के ऊपर विश्वास नहीं होता है क्योंकि अगर उनके पास पैसे जमा करवाए गए तो उनका प्रोपर युटिलाइज नहीं होगा। इसके लिए यदि मैकेनिज्म डवलप किया जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ लगेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुझे 20 बीघा जमीन फॉरेस्ट लगाने के लिए लीज पर दें और इसका सारा खर्चा मेरा होगा। इसमें जो प्लांटेशन की जाएगी वह भी मैं स्वयं करूंगा और उसकी देखभाल के लिए चौकीदार का खर्चा भी स्वयं वहन करूंगा। मैं 15 साल के बाद उस लैंड को फॉरेस्ट लगा कर सरकार को हैंडओवर कर दूंगा जिसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा। हम भी पर्यावरण प्रेमी है और इसी तरह का कार्य बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। देश और प्रदेश के उद्योगपति तथा अडानी व अंबानी इसके लिए अरबों रुपया देंगे जिससे बहुत ज्यादा प्लांटेशन होगी।

मैं एक और बात मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पहले गन का कोई लाइसेंस नहीं होता था और सभी राजाओं व राणों के पास गन होती थी। लेकिन अब 12,18 और 32 इंच तक के आरे आ गए हैं जो एक घंटे के अंदर पेड़ को ले जाते हैं। इसलिए आरे के लिए लाइसेंस का प्रावधान किया जाए। जिसने आरा लेना है उसको डी0एफ0ओ0 लाइसेंस दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 पेड़ रात को ही उड़ा दिए और सुबह को पता ही नहीं चलता कि उन पेड़ों को कौन काट कर ले गया। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1505/टी0सी0वी0/ए0जी0-2**

**अध्यक्ष :** हमने पहले ही अलौटिड टाइम से आधा घण्टा ज्यादा चर्चा कर ली है। Let us be very-very brief. माननीय मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और चौपाल में तो बहुत ज्यादा जंगल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ऐसे आरे आ गये हैं जो एक घंटे में पेड़ों को साफ कर देते हैं और खैर के पेड़ों का तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए इन आरों के लिए लाइसेंस देने के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

दूसरा, इन्होंने कहा है कि किसी विधायक को यदि 20 बीघे जमीन दी जाए और वे प्लांटेशन खुद करना चाहतें हैं तो उनको फलदार पौधे इत्यादि सरकार की ओर से दे दिए जाएंगे। माननीय विधायक ने जो सुझाव दिया है हमारी सरकार इस पर विचार करेगी कि दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

**श्री अजय सोलंकी (नाहन) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डा0 श्री जनक राज और श्री सुख राम चौधरी जी ने जो यह महत्वपूर्ण संकल्प लाया है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने यहां अपने महत्वपूर्ण विचार रखें, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। पौधारोपण के कार्यक्रम में हम भी स्कूल टाइम से लेकर हिस्सा ले रहे हैं लेकिन जितनी मात्रा में हर वर्ष पौधारोपण किया जाता है, यदि उनमें से 5 प्रतिशत पौधे भी सरवाइव कर जाते तो आज हिमाचल प्रदेश में पैर रखने की जगह न होती। क्यों न हम इस ओर अपने कदम बढ़ाएं कि जो पौधारोपण किया गया है उसको किस तरह से बचाया जाए। जलवायु परिवर्तन भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और आज सदन को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। यह चर्चा तक सीमित न रहे। इस पर ठोस नीति बनाने और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है और

एन0एस0 द्वारा... जारी

श्री अजय सोलंकी..... जारी

तापमान में इतनी तेजी से बढ़ौतरी हो रही है तो इस संबंध में, मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। नाहन में कभी 37 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाता था लेकिन इस वर्ष 42 डिग्री तापमान पहुंचा है। मैदानी क्षेत्र जैसे काला अंब और पांवटा साहिब के एरिया में 46 से 47 डिग्री तापमान पाया गया। यह आने वाले समय के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है। हमारा समय फिर भी निकल गया लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम क्या दे पाएंगे, इस पर सदन गंभीरता से विचार करे और कोई ठोस नीति बनाए। जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। जिससे बिजली का उत्पादन ठप्प हो जाता है। गर्मियों के दिनों में बिजली की इतनी ज्यादा दिक्कत आ जाती है और ओवरलोडिंग की वजह से कट लग रहे हैं। इन सभी समस्याओं का सामना करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और विभाग को बताना चाहता हूं कि पौधारोपण हम हर वर्ष करते हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया कि इसे एक जन आंदोलन बनाया जाए। जितने भी हमारे सैल्फ हेल्प ग्रुप्स, नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल और पंचायती राज संस्थाएं हैं उन सभी को इस अभियान में इन्वॉल्व किया जाए। हर वर्ष ट्री प्लांटेशन में करोड़ों रुपये लगाए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि जितना पैसा हम ट्री प्लांटेशन में लगाते हैं उसे आधा करें और उस आधे पैसे को जो पौधारोपण किया उसके संरक्षण में लगाएं। माननीय सदस्य कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हम जहां प्लांटेशन कर रहे हैं उसमें एक संपर्क मार्ग अवश्य बनाएं ताकि आगजनी के वारदात के समय पौधों को सुरक्षित रखने के लिए पहुंच सकें। हम फायर ब्रिगेड या किसी अन्य माध्यम से वहां पहुंच सकें। हमें स्कूल टाइम में वन महोत्सव के लिए ले जाया जाता था और हमने बहुत से वन महोत्सव मनाए हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि जो पौधे हमने स्कूल टाइम में लगाए थे उनका जंगल बना हुआ है। आज की डेट में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें पौधारोपण के नाम पर सिंबोलिक रूप में उसी कैंपस में एक-दो पौधे लगाए जाते हैं और अगले वर्ष वे पौधे भी नहीं पाए जाते। जब हम शिक्षण संस्थान के

कैंपस में पौधे का संरक्षण नहीं कर पा रहे तो जंगल में संरक्षण कैसे होगा? इस पर सोचने की आवश्यकता है। तापमान

29-08-2024/1510/एन0एस-ए0एस0/2

जिस तरह से बढ़ रहा है उससे हर घर में ए0सी0 लगाए जा रहे हैं। तापमान का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। मैं पहले बता रहा था कि 36 डिग्री से ऊपर शहर में तापमान नहीं जाता था लेकिन इस बार 42 डिग्री पहुंचा है। जिस घर में एक भी ए0सी0 नहीं था उस घर में आज अगर चार कमरे हैं तो चारों कमरों में ए0सी0 लगे हुए हैं। ए0सी0 की वजह से भी पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। ए0सी0 से निकलने वाली गैस से कोई ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं, हम इसकी वैज्ञानिक रूप से जानकारी लें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि अवैध कटान हो रहा है। पुराने समय में कटान आरे से होता था और एक पेड़ को काटने में रात लगती थी। आज एक रात में पूरा 20 बीघे का जंगल साफ कर दिया जाता है। यहां पर लाइसेंस का सुझाव दिया गया और यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। आजकल बिजली, डीजल और पैट्रोल से चलने वाले आरे आ रहे हैं। जो बड़े पेड़ को काटने में भी 5 मिनट लगाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन आरों के भी लाइसेंस बनाए जाएं। ट्री प्लांटेशन की जो मॉनीटरिंग की जाती है अगर उसे दुरुस्त कर दिया जाए तो मेरा मानना है कि जो हम पौधारोपण करते हैं उसमें से अगर 50 प्रतिशत या 20 प्रतिशत पौधों का संरक्षण भी कर पाएं तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, आपदाएं जलवायु परिवर्तन की वजह से ही आ रही हैं। एकदम से भारी बरसात होती है और भारी बरसात के कारण

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

29.08.2024/1515/RKS/एएस-1

श्री अजय सोलंकी...जारी

जैसा डॉ0 हंस राज जी ने कहा कि जब पहाड़ी फटती है तो वह तीन तरफ जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस तरह का हादसा हुआ। इसके क्या कारण हैं? हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए। जिस तरह से सड़कों की कटिंग व औद्योगीकरण हो रहा है व सही नहीं है। हमने उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन तो दे दी है लेकिन उस क्षेत्र में पौधरोपण के नाम पर एक भी पौधा नहीं लगाया जा रहा है। जो NHAI, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नाबार्ड के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों में सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड हो रहे हैं। हमें सड़कों की प्रोपर कटिंग करनी चाहिए। हमें जंगलों में चैक डैम बनाने चाहिए। सड़कों में पानी की प्रोपर निकासी होनी चाहिए। जहां स्लैब कल्वर्ट बनने चाहिए वहां पाइप कल्वर्ट लगाए जा रहे हैं। जब ये कल्वर्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। मेरा आग्रह है कि हमें सड़कों के उचित निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जो समस्याएं आ रही हैं उनसे हम भविष्य में उभर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

29.08.2024/1515/RKS/एएस-2

**अध्यक्षः** अब माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री सतपाल सिंह सत्ती** : अध्यक्ष महोदय, जो डॉ0 जनक राज और श्री सुख राम चौधरी महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं इसके ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मेरा मानना है कि प्रोजैक्टों के स्थापित हाने से पर्यावरण में बहुत चेंज आया है। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी, बादल फटने, बाढ़ व सूखा इत्यादि की घटनाएं घट रही है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां बारिश ही नहीं हो रही है और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आधे घंटे में इतनी बारिश हो जाती है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। यह सारी चीजें पर्यावरण के बिगड़ने के कारण ही हो रही है। बादल में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एकदम इतना पानी बरस जाता है। यह तो वही लोग बता सकते हैं जो साइंटिफिकली इस चीज को जानते हैं। इन सारी चीजों को देखने के लिए बड़े-बड़े पर्यावरणविद हैं। हम तो वही कर सकते हैं जो हमारे करने का है। मेरा मानना है कि हमें अवैध कटान पर जीरो टॉलरेंस लानी चाहिए। जैसे परसों श्री सुरेन्द्र सिंह शौरी जी ने बंजार के बारे में बताया। अगर वहां

पर वास्तव में 400 पेड़ काटे गए हैं तो यह मामला ध्यान में आने के बाद 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वह चाहे ठेकेदार हो या उस एरिया के ऑफिसर्ज क्योंकि हम ऑफिसर्स को तनख्वाह देते हैं और इस चीज को रोकना उनका काम है। लोग लीडर्स को गालियां देते हैं लेकिन खाने-पीने वाले कोई और ही लोग हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो यह बात सरकार के पक्ष में ही जाएगी। सौ कांड गवर्नमेंट के अपने आदमियों के कारण होते हैं जो बाद में गवर्नमेंट के गले पड़ जाते हैं। फिर वह सरकार चली जाती है। अगर उन लोगों को खुले हाथ न दिये जाएं तो यह समस्या ही नहीं आएगी। चाहे गुंडागर्दी की बात हो या अवैध कटान व माइनिंग की बात हो, हमें इसकी रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तारा देवी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। उस मामले में पता नहीं अब क्या हुआ। यह माननीय मुख्य मंत्री ही बता सकते हैं कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। तारा देवी में भी 50 या 100 पेड़ काट दिए गए थे। लोगों ने उस साइट की फोटो भी खिंची थी। यह घटना बिल्कुल शहर के अंदर हुई है। जो उस एरिया का फॉरेस्ट गार्ड या फोरेस्ट रेंजर है वे लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध कटान के साथ जो हमारे एरियाज में कॉलोनीज बन रही हैं उन कॉलोनीज को स्थापित करने के लिए इतने पेड़ काट दिए जाते हैं, इतनी इलीगल माइनिंग होती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।

29.08.2024/1515/RKS/एएस-3

हजारों पेड़ तो काट दिए जाते हैं लेकिन बाद में उन कॉलोनियों के बीच एक पेड़ भी नहीं लगाया जाता। ये कॉलोनीज जंगलों के बीच में बन रही हैं। जितनी भी बैरन लैंड है उसे किसान बेच कर पैसे कमा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब घासनियों की जरूरत नहीं रही है। अब वहां पर कॉलोनीज बन रही है लेकिन पेड़ लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

**श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...**

हम पास करें और पास करने के बाद प्लांटेशन करें उसके साथ-साथ जंगलों में आग का विषय आया है और इस पर सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जंगलों में इतनी आग लगी उतनी हमने कभी नहीं देखी। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस वर्ष गर्मी बहुत लम्बी चली अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई भी सूखा रहा है। अभी अगस्त के प्रथम सप्ताह से ढंग की बरसात होने शुरू हुई है। जिसे हम मानसून बोल सकते हैं। जंगल में यदि आग लगती है तो हमने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया? मान लो मेरे घर के पास से आग लगी और उससे दो कनाल का जंगल जला दिया तो मैं ही उसका दोषी हूं। उसके लिए एक-आधा दिन तो उस व्यक्ति को अंदर रखा करो। यदि कोई चलते हुए आग लगा देता है तो क्या उसे उसी वक्त बुझा नहीं सकते थे? हमने यहां शिमला में भी देखा कि जब थोड़ी सी आग लग जाती थी तो कोई भी उसे बुझाता नहीं था और यहां भी खूब जंगल जले। तीसरा विषय मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय, आप विभाग से बातचीत करके जो चील के पेड़ हैं उन्हें धीरे-धीरे कटान की ओर ले जाइए। इनके स्थान पर आप देवदार और बान के पेड़ों को लगाने की तरफ जाइए। यह पता नहीं किसने यहां पर चील लगा दी है? यह तो बारूद का काम करती है और सारे जंगलों को नष्ट कर देती है। उसके साथ ही जो प्लांटेशन होगी वह दो-चार साल में अच्छा जंगल नजर आ जाएगा। मैंने देखा है कि देवदार को कम आग लगती है और मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि यह आपके एरिया में होता है। मैंने तो यहां तक देखा कि जहां-जहां मुख्य मंत्रियों ने वन महोत्सव किए हैं वहां पर भी कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है। आप देखिए कि वन विभाग के इतने गैर जिम्मेदाराना लोग हैं कि जैसा आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी ने बताया कि मई और जून में पेड़ जल जाते हैं वहां पर पौधों को कोई भी पानी नहीं देता है। जब पानी ही नहीं दिया जाएगा तो उन्हें वहां लगाने का क्या फायदा है? वन विभाग कम-से-कम मुख्य मंत्री जी या अन्य मंत्रियों का मान-सम्मान तो रखें कि जो पेड़ उनके द्वारा लगाए गए हैं वे तो बचें। जैसा यहां पर आक्सीजन के मामले में पीपल, बड़, नीम और तुलती की बात की गई। इन पेड़ों को लोग पूजते हैं। उस नाते हमें इनके लिए जगह का चयन भी करना होगा।

क्योंकि पीपल और बरगद के पेड़ खुली जगह पर हो सकते हैं। उस जगह में वन विभाग को वहां के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराना चाहिए। अन्यथा ये चीजें नहीं हो पाएंगी। मैंने जो

29.08.2024/1520/बी.एस./डी.सी.-2

शिक्षा मंत्री जी की ओर इशारा किया था, मुझे लगता है कि जैसा आदरणीय धर्माणी जी के पास आई.टी. के संस्थान हैं और कॉलेज हैं इनकी जमीनों का पूरा ब्यौरा लें कि इनके पास कितनी जमीनें है? इसके साथ-साथ उसकी बाउंड्री वॉल करें। यदि आप प्रत्येक स्कूल में 40-50 पेड़ लगाते हैं तो उसी से जंगल खड़ा हो जाएगा। हमने ऊना कॉलेज में पेड़ लगाए हैं। आज भी मैं देखता हूं कि वे चार-चार मंजिल तक बराबर हो चुके हैं। हमने डाइट सैंटर में इन्हें लगाया था। हम जब वहां पढ़ते थे उस वक्त हमने ये लगाए थे। हमने इन्हें इस तरीके से नहीं लगाया था कि पांच मीटर की दूर पर होंगे या छह मीटर की दूर पर इन्हें लगाएंगे। उस वक्त जहां दिल किया वहीं पर इन्हें लगा दिया गया। अब उन्हें काटना पड़ा और जितनी दूरी में ये चाहिए थे उतनी दूरी में उन्हें रखा गया है। मेरे गांव के अन्दर एक श्मशानघाट है यह 13 कनाल के अन्दर है। उसकी 20 करोड़ रुपये की बाउंड्री वॉल आदरणीय धूमल साहब के समय में लगाई गई। उसके अन्दर 47 पेड़ पहले थे और 37 मैंने बाद में लगाए। मैंने गांव के लोगों के साथ यह काम किया। आज वे बहुत अच्छे पेड़ हो गए हैं। इस बार मैंने अपने गांव में प्राथमिक स्कूल में 17 पेड़ लगाए हैं। हमने अपके फोरेस्ट वालों से खिड़के भी लिए वे 3-4 हजार रुपये के आए हैं इनकी एक की कीमत 200 रुपये है। यदि हम स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई. और अन्य संस्थान या यूनिवर्सिटीज हैं इनके कैंपस को टारगेट करें तो मुझे लगता है कि ये वाटर सैड के रूप में खड़े हो जाएंगे। उस दृष्टि से आपसे आग्रह रहेगा कि मुख्य मंत्री जी और हम सब लोग मुख्य अध्यापक की ड्यूटी इसमें लगा सकते हैं। वे पांच-पांच सालों से वहां पर बैठे हैं और वहां पर दो पेड़ तक नहीं लगा पाए। सारी जमीनें वहां पर खाली पड़ी हैं। बच्चों को धूप से बचने के लिए वहां पर एक पेड़ भी नहीं है। उनके लिए वहां पर ग्रांट भी जाती है उसे वे इस्तेमाल कर सकते हैं। घंटी... अध्यापक भी वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। पहली से +12 तक स्कूलों में 30-40 तक अध्यापक है। यदि वह पेड़ लगा दें तो वह स्थान हराभरा हो सकता है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1525/DC/DT-1**

**श्री सतपाल सिंह सती जारी.....**

इसलिए अगर हम फॉरेस्टके मामले में टारगेट ओरिएंटेड वर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुशी होगी कि आपके टाईम पर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी का प्रांगण हराभरा हुआ। यह सारी चीज़ें आपकी सरकार कर सकती है क्योंकि सरकार के पास 3 साल का समय है। आप को भी ये सब चीजें करने के बाद आंनद आयेगा। मैं एक लास्ट प्वॉइंट बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जैसा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने यहां पर अच्छी बात कही कि मुझे भी 20 बीघा वन भूमि दे दो मैं उसकी देख-रेख करवाऊंगा। वैसे ही जो फॉरेस्ट गार्ड वहां पर तैनात है उसको भी यह कह कर कि हम तुझे यहां से तीन साल किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं करेंगे हम तुझे ये एक पहाड़ी दे रहे हैं तुम यहां पर पौधरोपण कर इसे हराभरा कर दो तो ये बात कहीं-न-कहीं असर करेगी। इसके साथ डी0एफ0ओ को भी ये ही बात आप बोलो। मैं तो कहता हूं कि पेड़ कटवाने वाले भी यही लोग हैं। आप गांव वालों को कह दो कि आप जगंल लगाओ, आपको 50 प्रतिशत इंसेंटिव देंगे। मैं कहता हूं अगर ऐसा सरकार करती है तो वहां पर एक भी पेड़ कोई नहीं काट पायेगा। निजी जंगल तो सभी के हरेभरे ही हैं लेकिन ज्यादा कटे हुए जंगल सरकार के ही है जब कि उन वनो की सुरक्षा के लिए स्टाफ भी तैनात किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी या कर्मचारी एक तरह कि होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग एक ही तरह के हो जायें तो शरीफ आदमी सोचता है कि मैंने काहे को झगड़े में पड़ना क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे डर होगा कि जो ये ठेकेदार है ये रसूक वाला आदमी और ये मेरी बदली करवा देगा इसलिए वह चुप रहता है। मेरा आग्रह रहेगा ऐसे मामलों में जीरो टोलरेंस होना चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा।

अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

29.08.2024/1525/DC/DT-2

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे।

**मुख्य मंत्री :** माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ0 जनक राज जी और सुखराम चौधरी जी ने च्जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र वन महोत्सव के माध्यम से पौधरोपन तथा कार्बन क्रेडिट पर यह सदन नीति बनाने पर विचार करेंछ सभी वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखें। और इन विचारों के द्वारा अपने अनुभव को भी इस सभापटल पर शेयर किया। मेरा मानना है कि क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन जायेगी। जब समेज में आपदा आई और जब मैं वहां गया तो वाटर लेवल इतना अधिक था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते पानी का बहाव पूरे गांव को उजाड़ कर ले गया। पिछली बार भी आपदा आई। अब तापमान भी बढ़ रहा है। जैसलमेर जैसे क्षेत्र में जहां कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी की वर्षा होगी वहां पर वर्षा हुई। वैसे ही लाहौल-स्पीति और किन्नौर में कभी कल्पना नहीं की जा रही थी की वर्षा होगी लेकिन वहां भी वर्षा हुई। वहां पहले कभी वर्षा नहीं होती थी। जैसे-जैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे ये सारी चीजें हो रहीं हैं। आने-वाले समय में यह और नुकसानदायक हो सकता है। मैंने सुबह भी कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य सरकार जो क्लाउड्बर्स्टिंग हो रही है उस पर भी स्टडी करें और ये पता करें कि इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटा जाए। जो यहां माननीय सदस्यों ने अपने विचारों के माध्यम से प्रकट किया है और जो चीज हमारे हाथ में है, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं इस पर सभी माननीय सदस्यों के विचार यहां सुनने को मिले और मेरा मानना है कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हमनें वन विभाग में भी कई प्रकार के परिवर्तन किए हैं। पेड़ की भी एक उम्र है और पेड़ की जब उम्र हो जाती है तो उसको काटकर नए पौधे वहां लगाये जायें हम उस

दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। कई देवदार के पेड़ 150 से 200 साल के हो चुकें है अब उनकी जड़ें भी कमजोर हो गईं हैं, वह गिरने की स्थिति में आ गए हैं। पिछली साल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई उससे अत्यधिक पेड़ गिरे। पेड़ गिरने के बाद उनको उठाने का दायित्व भी सरकार का ही था। हमने उनको उठाया और साथ-ही-साथ एक बदलाव पॉलीसी में भी किया, वह बदलाव था कि जो पुराने पेड़ हैं या सालवेजिज़ ट्रीज हैं उनको उठाने की पॉवर हमने डी0एफ0ओ स्तर पर दे दी। अभी भी करोड़ों रुपए की संपदा जंगलों में पड़ी सड़ रही है। जैसे चौपाल का जंगल और बरथाटा की धार हैं वहां पर वह संपदा सड़ रहीं है।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

**29-08-2024/1530/एच.के.-एन.जी/1**

**मुख्य मंत्री.....जारी**

इसमें एक ही एजेंसी फोरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से उठाते थे। हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने कहा कि जो भी पेड़ गिर चुका होगा उसके लिए इंतज़ार न किया जाए कि फोरेस्ट कॉर्पोरेशन का लॉट बनेगा और उसके बाद वह उस पेड़ को काटेगा। हमने वह पावर गार्ड, डिप्टी रेंजर, रेंजर, डी.एफ.ओ. और कंसर्वेटर तक के अधिकारियों को दे दी है। पहले जब कोई पेड़ किसी के घर की छत पर गिर जाता था तो उसको उठाने में चार दिन लगते थे। लेकिन हमने कहा कि वहां का गार्ड उस पेड़ की फोटो लेकर डी.एफ.ओ. के माध्यम से अनुमति प्राप्त करे और वह उस पेड़ को वहां से किसी के भी माध्यम से उठवा सकता है। उस पेड़ को फोरेस्ट कॉर्पोरेशन वाले लेना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो ऑक्शन के माध्यम से पंचायत वाले भी ले सकते हैं। इस बार मैंने प्लांटेशन किया और उसके लिए माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी द्वारा लगाया गया पौधा भी सेफ रहना चाहिए। माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है। अभी तक प्लांटेशन का दायरा यह होता है कि सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाता है और कहा जाता है कि प्लांटेशन कर दीजिए। हमने उसमें परिवर्तन किया है। प्रदेश में जहां कहीं भी खाली पहाड़ियां हैं और हम उनमें पेड़ लगाने की नीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने इस बार यह भी

कहा है कि हम अगली बार से 60 प्रतिशत फलदार पौधे लगाना शुरू करेंगे। हमने इस बार भी यह चाहा था लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास नर्सरियों में चीड़, देवदार व ऑक की ही पौध लगी हुई है। मैंने कहा कि हम 60 प्रतिशत फलदार पौधे लगाएंगे और 40 प्रतिशत संबंधित जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पौधों का चयन करेंगे। जब जंगलों में फलदार पौधे लगेंगे तब बंदरों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। पिछले वर्ष हमने उदाहरण के तौर पर लाहौल-स्पिति में एक महिला मण्डल को प्लांटेशन करने का कार्य दिया था। उसकी सफलता के बाद आने वाले समय में महिला मण्डलों को भी एक खाली पहाड़ आवंटित करने पर हमारी सरकार विचार कर रही है।

**29-08-2024/1530/एच.के.-एन.जी/2**

उस पहाड़ पर महिला मण्डल प्लांटेशन करेगा और उसके सर्वाइवल के अनुसार हम उस महिला मण्डल को पैसा देंगे। 4 या 5 साल के सर्वाइवल के आधार पर हम रेट तय करेंगे। उससे महिला मण्डलों की भी आय होगी और सर्वाइवल रेट भी सुधरेगा। एक पौधे को जो सुरक्षा वहां के स्थानीय लोग दे सकते हैं वह सुरक्षा गार्ड व अन्य अधिकारी भी नहीं दे सकते। मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पर ही इस जागरुकता अभियान को चलाना पड़ेगा। इस प्रकार का बदलाव हम करने जा रहे हैं। अभी तक 100 प्रतिशत पेड़ ऐसे लगा दिए जाते थे जो ठीक से उगते नहीं थे। हमने इसमें परिवर्तन कर दिया है और अब हम 60 प्रतिशत फलदार पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पेड़ों का कटान बिलकुल बंद है। अभी जो माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी के क्षेत्र में घटना हुई उसमें कुल 16 पेड़ काटे गए। इसमें फोरेस्ट कॉर्पोरेशन द्वारा लॉट काटा गया है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जहां पर भी सड़े-गले पेड़ हैं उसके लिए आप फोरेस्ट कॉर्पोरेशन का इंतजार किए बगैर भी डी.एफ.ओ. को बोल कर कटवा सकते हैं। प्रदेश में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

हमने वन मित्र लगाने की पॉलिसी को लाया है और हर पंचायत में एक-एक वन मित्र लगाया जाना है। हमारा मानना है कि जब लोकल पंचायत का व्यक्ति होगा तो उसे मालूम होगा कि किसी व्यक्ति ने घास साफ करने के लिए आग लगाई है या किसी अन्य कारण से आग लगाई है। हमारी ओर तो जंगलों में बहुत जल्दी आग लग जाती है। हमारी तरफ यदि किसी की मलकियत भूमि में चीड़ का पेड़ है तो उसकी पत्तियों को साफ करने के लिए भी आग लगा दी जाती है। हमने इस दृष्टि से भी काम करना शुरू किया है। समय के साथ-साथ धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा और हम नीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी यह बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अभी कैम्पा का पैसा आ रहा है और उस पैसे से अधिकारी द्वारा लाखों की प्लांटेशन दिखा दी जाती है।

**29-08-2024/1530/एच.के.-एन.जी/3**

यदि पिछले 20 साल की प्लांटेशन को देखेंगे तो उस हिसाब से आज प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं बचनी चाहिए। पेड़ कटते भी रहते हैं लेकिन हमारी जलवायु तो मोडेस्ट जलवायु है यानि के हमारे यहां पर जलवायु में नमी पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति का पुराना मकान होता है तो सीमेंट में भी पेड उग जाता है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1535/केएस/वाईके/1**

**मुख्य मंत्री जारी**---

इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। थोड़ा बदलाव हमने खाली पहाड़ियों में किया भी है। मैंने तो पिछली मीटिंग में यहां तक कहा कि जो डी.एफ.ओ., रेंजर और गार्ड जो जंगल वाला होगा, उसको एक बीट होगी कि तेरा काम सिर्फ जंगल उगाना है। डी.एफ.ओ. और रेंजर की कार्यप्रणाली में भी अब बदलाव आ गया है। पहले जंगल लगाने के लिए होते थे लेकिन अब उनकी कार्यप्रणाली में बहुत बदलाव आ चुका है। हम उसमें भी बदलाव कर रहे हैं कि फोरैस्ट में सिर्फ जंगल लगाने और जंगल उगाने के

ही कार्यक्रम की शुरुआत की दृष्टि से आगे बढ़ा जाए। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए क्योंकि गार्ड प्रोटैक्शन के लिए हैं लेकिन हम उनको जंगल लगाने के लिए क्यों नहीं रख रहे हैं, हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है। यह मैंने जो आप लोगों के विचार आए, उसके आधार पर कहा।

डीज़ल से चलने वाले आरे के बारे में बलबीर सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, डीज़ल से चलने वाले आरे के लिए हम नियमानुसार प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। एक और प्रपोज़ल आई जिसको हम महिला मण्डलों में लाहौल स्पिति में लागू कर चुके हैं। अगर कोई विधायक अपने स्तर पर भी 40-50 बीघे का फोरैस्ट लैंड पर जंगल लगाना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे और उसके लिए भी हम नियम बनाएंगे कि जंगल लगाने की अनुमति उनको दे दी जाए और हर साल प्लांटेशन करवाई जाए। वह विधायक हमें बता दें कि मुझे उस जंगल के लिए इतने पेड़, इस वैरायटी के चाहिए। फलदार में इतने चाहिए तथा बाकी हथियार या बाकी चीजें भी चाहिए होंगी, उस बारे में भी हम आज इस निजी प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

जलवायु परिवतर्न के प्रभावों को कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव एक महत्वपूर्ण पहल है। यह पर्व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने और वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो जाता है। इसके साथ-साथ कार्बन क्रेडिट जैसी नीतियां भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

**29.08.2024/1535/केएस/वाईके/2**

अध्यक्ष जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम नॉर्दन इंडिया के लंग्ज़ हैं। हमारे जंगल नॉर्दन इंडिया में दिल्ली तक ऑक्सीजन देते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। हमने जंगलों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 16वें वित्तायोग के साथ हुई मीटिंग में हमने कहा कि हमें फोरैस्ट बोनस भी मिलना चाहिए क्योंकि हम जंगलों की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। हमने एक पेड़ काटने पर भी सजा का प्रावधान किया है लेकिन इस

बार 16वें वित्तायोग के समक्ष हमने अपनी बात रखी और मैंने देश के प्रधान मंत्री के समक्ष भी यह बात रखी कि हमारे पास जंगल हैं। हम उनको नहीं काटते और अगर हम जंगल काट दें तो हमें एक लाख करोड़ रुपये की आमदन हो सकती है। यह जो हम 90 हजार करोड़ के कर्जे के बारे में रो रहे हैं, वह तो हम दो साल में ही पूरा कर सकते हैं लेकिन पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमने जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन क्या अब हमारा शोषण ही होता रहेगा? हमारी योजनाओं के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है तो इस दृष्टि से भी मैंने प्रधान मंत्री जी के समक्ष बात रखी है। ग्रीन बोनस की बात हमने 16वें वित्तायोग के समक्ष भी रखी है और आगे भी हम इस बात को जोर-शोर से उठाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों से भी कहूंगा कि हमने जंगलों पर तो प्रतिबंध लगाना ही है। डवलप वर्कस होते हैं, हमारे एफ.सी.ए. केसिज़ हैं, हमारी सारी लैंड फोरैस्ट ही है। हमारे पास खाली कोई जमीन ही नहीं है। हमारी तो जो खुदरो-दरख्तान की जगह भी है, जिसमें खुद का मालिकाना हक है, वह भी हमारी जमीन फोरैस्ट में आती है। इन सभी चीजों में भी बदलाव की ज़रूरत है।

वृक्षारोपण का महत्व जो है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसे बायोमास, जड़ें, तना, पत्तियों में संग्रहित करते हैं इस प्रक्रिया को कार्बन सिंक कहा जाता है। जो वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड के स्तर को कम करने में सहायक होती है। पौधारोपण के माध्यम से वनों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। पौधारोपण से न केवल CO2 का अवशोषण होता है बल्कि यह जैव विविधता को भी संरक्षित करता है। जैव विविधता में सुधार से परिस्थितिक तंत्र स्थिर होता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने में सक्षम होता है। वृक्ष स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं जैसा कि तापमान को कम करने, नमी को बढ़ाने और मृदा का संरक्षण करना या जलवायु

परिवर्तन के प्रभाव को स्थानीय स्तर पर कम करने में सहायक है। वन महोत्सव के दौरान वृक्षारोपण अभियानों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यह सामुदायिक स्तर पर जागरुकता बढ़ाने और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1540/av/ag/1**

**मुख्य मंत्री------ जारी**

वन महोत्सव के माध्यम से बंजर भूमि और कटे हुए वनों का पुनर्वनीकरण किया जाता है, जो वनों को फिर से स्थापित करने और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में मदद करता है।

वन महोत्सव के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पौधारोपण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाता है।

> कार्बन क्रेडिटः जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक नीति

(क) कार्बन क्रेडिट का परिचय :

* कार्बन क्रेडिट एक वित्तीय साधन है जो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई संगठन अपने उत्सर्जन को निर्धारित सीमा से कम करता है तो वह उत्सर्जन बचत को कार्बन क्रेडिट के रूप में बेच सकता है।

* कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और कंपनियों को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(ख) कार्बन क्रेडिट और वृक्षारोपण :

* जब कोई संगठन वृक्षारोपण कार्यक्रमों में निवेश करता है तो यह कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकता है। वृक्ष CO2 को अवशोषित करते हैं और यह अवशोषण कार्बन क्रेडिट के रूप में मापा जा सकता है।

**29.08.2024/1540/av/ag/2**

उत्पन्न किए गए कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू कार्बन बाजारों में बेचा जा सकता है। इससे वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं, जिन्हें पुनः पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश किया जा सकता है।

कार्बन क्रेडिट न केवल पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है बल्कि इससे ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रोज़गार सृजन भी होता है जिससे सामाजिक लाभ भी मिलता है।

इस माननीय सदन की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश देश में पहला राज्य था जिसने 2005-06 में Clean Development Mechanism Programme के अन्तर्गत कार्बन प्लांटेशन का एक प्रोजैक्ट लोगों की सहभागिता से शुरू किया था। जिसमें लगभग 3216 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऊपर कार्बन प्लांटेशन 139 ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई थी, जिसमें 4374 स्थानीय लोग जुड़े थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुई थी उसको कार्बन क्रेडिट के आधार पर स्पेन देश को बेचा गया था। जिसके माध्यम से 421 लाख रुपये की आमदनी हुई थी. जिसका 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों के बीच वितरित किया गया था। इस तरह इस प्रोजैक्ट के माध्यम से जहां वनों के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई वहीं स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिला। अभी तक इस कार्यक्रम के तहत दो Verification Cycle हो चुके हैं। हालांकि इस समय पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट के खरीददार बहुत कम है, फिर भी प्रदेश को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।

सरकार इन सारी चीजों की तरफ आगे बढ़ रही है। माननीय श्री सुख राम चौधरी जी, आप ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी मैं नीचे बिजली विभाग के साथ मीटिंग कर रहा था। हम ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हमने अपने पहले बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन स्टेट के रूप में

विकसित करने की बात की है। हम उसके लिए अपने डेढ़ सौ करोड़ रुपये के थर्मल पावर प्रोजैक्ट छोड़कर कैसे रिन्यूल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और उसमें हमारा एक प्राइवेट कंपनी के साथ सौदा हुआ है। उसमें वह कंपनी हमारे से 9 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने को तैयार है। अभी यह इनीशियल टॉक है और जैसे ही ग्रीन एनर्जी शुरू होगी तो इंडस्ट्रीज खुद ही चाहेगी क्योंकि उसके लिए

**29.08.2024/1540/av/ag/3**

उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसके आधार पर वे सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आप सबकी चिंता से वाक़िफ हैं और हमें हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में एक मेगावाट के पहले ग्रीन हाईड्रोजन प्रोजैक्ट का शिलान्यास इस सितम्बर माह में हो रहा है, जिसको मैं खुद करने जा रहा हूं। अभी ये सारी चीजें एक-दूसरे से को-रिलेटिड हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चील के जंगलों में आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**
**मुख्य मंत्री ...जारी**

इसलिए सरकार ने चील का वृक्षारोपण बंद किया है लेकिन चील के पेड़ों का होना भी विशेष कर निचले इलाकों में जरूरी है। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी कह रहे थे कि इस बार इतने जंगल जले कि 45 से 47 डिग्री टेंपरेचर रहा। जब हम कम्पेन करने जा रहे थे तो कुछ तो वैसे ही राजनीतिक टेंपरेचर बढ़ा हुआ था और कुछ गर्मी के कारण टेंपरेचर बढ़ा था। हमीरपुर में इससे पहले इतना टेंपरेचर कभी नहीं रहा है। अभी चील के पेड़ का वृक्षारोपण बंद किया गया है और सिर्फ चौड़ी पती वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसके तहत वॉइल्ड फ्रूट्स को लगभग 40 प्रतिशत तक लगाया जा रहा है। इसमें पीपल, वटवृक्ष, जामुन, आम इत्यादि को प्राथमिकता दी जा रही है। वटवृक्ष यदि

एन0एच0ए0आई0 के बीच में भी आए तो उसको काटने की परमिशन कैबिनेट के द्वारा दी जाती है। जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपकी सरकार ने हाइकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आम के पेड़ों को काटने की परमिशन भी दे दी थी और धड़ाधड़ देसी आम के पेड़ काटने शुरू हो गए थे। हमने उनको काटने पर भी पाबंदी लगाई है क्योंकि निचले इलाकों में बहुत-सारे आम के पेड़ काटे जा रहे थे। एक बार श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने भी मुझे इस बारे में फोन किया और मैंने डी0जी0पी0 को भेजा कि इन पेड़ों को काटने से रोका जाए। इस मामले में आप भी गम्भीर हैं और सरकार भी गम्भीर है इसलिए जो भी हो सकेगा इस दिशा में मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग सॉल्वेज के पेड़ों के दोहन से आय भी प्राप्त कर रहा है। पिछली बार 70 सालों में बरसात के मौसम में बहुत नुकसान हुआ और सारे डैमों में लकड़ी पहुंच गई। इन डैमों से वन विभाग द्वारा किश्तियों के माध्यम से लकड़ियां निकाली गई। पिछले 70 सालों से वन विभाग को सिर्फ 35 करोड़ रुपये की आय होती थी जो इस बार बढ़कर 70 करोड़ रुपये की हुई है। फॉरेस्ट कार्पोरेशन ने भी इस कार्य में सहयोग दिया और जब हमने स्पीड से काम शुरू किया तो इस बार उन्होंने 50 लाख रुपया मुख्य मंत्री राहत कोष में भी दिया तथा वह प्रोफिट में भी आया है। इस तरह से कई चीजों के बदलाव से फायदा हो रहा है लेकिन उसमें और बदलाव की जरूरत है। हमारी वन सम्पदा से आय भी हो और हमारी वन सम्पदा का बचाव भी हो, इन पर सरकार काम कर रही है।

**29.08.2024/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए एफ0सी0ए0 के अंतर्गत जितनी वन भूमि दी जाती है उसके डबल एरिया में कंपल्सरी प्लांटेशन का प्रावधान है यानी यदि हमने कोई जगह देनी है तो उससे डबल जगह दिखानी पड़ती है। अब तो जगह भी नहीं मिल पा रही है। एन0एच0ए0आई0 के तहत जो फोरलेन बन रहे हैं अगर उसमें फॉरेस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए डबल जगह देनी पड़ती है। जैसे हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज है उसके लिए जो फॉरेस्ट की लैंड है उसके एवज में डबल लैंड देनी पड़ रही है जिसके कारण

एफ0सी0ए0 का केस क्लीयर नहीं हो पा रहा है। पहले एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था लेकिन हमने उस केस को भी जीता। दूसरा, हम स्कूलों, मेडिकल कॉलेजों के एफ0सी0ए0 केस युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इसके लिए मैं केन्द्रीय फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेन्द्र यादव से भी मिला हूं और उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। इस तरह से इस दिशा में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। विभिन्न विभागों और मिनी सचिवालय की कई बिल्डिंग्ज बननी हैं और इन सबके लिए एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस की जरूरत होती है। इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां 7 विपक्ष और 5 सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। आपने प्रदेश के हित के लिए जो भी सुझाव दिए हैं, हमारी सरकार उन पर अमल करेगी लेकिन ये सारी चीजें कुछ घंटों और सालों में परिवर्तित होने वाली नहीं है। एक सोच के साथ हम आगे बढ़े हैं। पहले वन विभाग हमें जंगल के बीच में पौधालगाने के लिए देता था। मैं तो फॉरेस्ट विभाग से भी कहने वाला हूं कि आप हमें उन जगहों पर ले जाओ जहां खाली पहाड़ी है और

एन0एस0 द्वारा... जारी

29-08-2024/1550/एन0एस-ए0जी0/1

मुख्य मंत्री..... जारी

आप वहां पहाड़ी को मार्क करो। मैं कोशिश करूंगा कि वन मित्र का जैसे ही रिजल्ट निकले, उस समय फोरेस्ट में एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाए और एक डी0एफ0ओ0 पौधा लगाने और उनकी सर्ववाइवल करने के लिए रखा जाए। इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग की जरूरत है और हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले समय में 60 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे। क्लाइमेट की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को बचाना है। निश्चित तौर पर देश हमारा है और हम नॉर्थ इंडिया के लंग्ज हैं। इतना जंगल उत्तराखंड के पास भी नहीं है जितना हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए हमें नॉर्थ इंडिया का लंग्ज कहा जाता है। सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि पेड़ न काटे जाएं। माननीय सुरेन्द्र शौरी जी ने भी कहा और हमने उस पर गंभीरता से विचार किया है। वहां पर 16 पेड़

अवैध कटान के मिले हैं। ठेकेदार जब ऐसी हरकतें करते हैं तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। मैंने पिछले कल भी कहा कि उनके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए। कई जंगलों में सालवेजिज पेड़, मरे हुए पेड़, कुछ पेड़ काटने वाले हैं, उनको हम काटेंगे और उनसे सरकार को आय होगी। हम उन पेड़ों को नियमों के हिसाब से काटेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं माननीय सुख राम चौधरी और माननीय डॉ0 जनक राज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापिस लें।

**श्री सुख राम चौधरी :** मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने महिला मण्डलों के लिए कहा है, बहुत सी संस्थाएं व उद्योगपति ऐसे हैं अगर आज हम उनको जमीन दे देंगे तब वे अपने पैसे से पेड़ लाएंगे और वे 15 सालों के लिए पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं। वे पेड़ तैयार करके विभाग को हैंडओवर कर देंगे। आप जब महिला मण्डलों के लिए यह प्रावधान करें तब इनके लिए भी प्रावधान किया जाए। जो भी पेड़ लगाना चाहे आप उसको परमिशन दें। दूसरा, पहले पेड़ काटने की परमिशन होती थी किसी भी कंपार्टमेंट में दस सालों का बैन होता था। अब आपने पूरे प्रदेश में ओपन कर दिया है। जब मर्जी परमिशन के लिए अप्लाई करो, प्राइवेट पार्टी को भी परमिशन है। क्या पुराने वाला नियम लागू करेंगे कि 10 साल के बाद ही परमिशनेट कंपार्टमेंट खुले ताकि वह रूका रहे और दूसरे कपार्टमेंट में कटे। अब तो ओपन है जब कोई आता है तो उसको उसी समय परमिशन मिल जाती है और लाखों पेड़ कट रहे हैं। क्या आप यह प्रावधान करेंगे?

29-08-2024/1550/एन0एस-ए0जी0/2

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जो सुख राम चौधरी जी ने कहा है कि उसमें एन0जी0ओज0, संस्थाएं और उद्योगपति हैं, उनको इस स्कीम के तहत लाने की कोशिश करेंगे। फोरेस्ट के कानून को देखकर लाने की कोशिश करेंगे लेकिन सुझाव अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको इंक्लूड किया जाए। दूसरा, खैर के पेड़ कई जगहों पर होते हैं। 10 साल बाद एक बीट और फिर दूसरी बीट खुलती है, अब ये व्यवस्था बदलने वाली है। जहां किसी ने काटना है, अगर पेड़ की उम्र होगी तो उसको काट सके, इस बारे में थोड़ा सोच विचार कर हम आगे बढ़ेंगे।

**अध्यक्षः** अब डॉ0 जनक राज जी अपनी बात रखेंगे।

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि मेरे जिले और विशेषकर हिमाचल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर विभाग ड्राई फ्रूट्स या अखरोट के पौधों का पौधारोपण करे। मेरे जिले में एक कैंथ का पौधा होता है। यह बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इन-कॉर्पोरेट करके उसमें नाशपाती की ग्राफ्टिंग करें। यह जंगली पौधा है, इसकी कोई देखभाल नहीं करनी है और न ही कटिंग करनी है। कोई सिंचाई नहीं करनी है। इससे स्थानीय लोगों को आमदनी हो सकती है। डीजल और पैट्रोल के कटर का अवैध कटान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उस पर सरकार लाइसेंस का आश्वासन दे।

**अध्यक्ष :** इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बोल दिया है कि the department is thinking to put restriction on diesel cutters. मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्री ------आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

29.08.2024/1555/RKS/एजी-1

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, हम जिला की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चेस्टनट, अखरोट, कैंथ, चिलगोचा इत्यादि पौधों को लगाने की परमिशन देंगे। पहले शिमला में भी कैंथ के पौधे बहुत होते थे। लेकिन अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से इन पौधों को लगाने का दोबारा से विचार किया जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी और श्री सुख राम चौधरी जी अपना संकल्प वापस लें।

**अध्यक्ष :** तो क्या माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज और श्री सुख राम चौधरी अपना संकल्प वापस लेने के लिए तैयार हैं?

**माननीय सदस्यगण :** जी हां।

**अध्यक्ष :** क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापस लिया जाए?

**संकल्प वापिस हुआ।**

अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।'

**अध्यक्ष :** संकल्प प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व एवं वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।' सभी सम्माननीय सदस्य इस संकल्प में चर्चा करने के लिए भाग ले सकते हैं। बाद में माननीय राजस्व मंत्री इसका उत्तर देंगे। इस संकल्प में चर्चा करने के लिए भी 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। पिछले संकल्प में भी हमने लगभग 2 घंटे से ज्यादा चर्चा की है। अभी मेरे पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगभग 10 सदस्यों की लिस्ट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी मेरे पास कोई नाम नहीं आया है। अगर सभी सदस्यों को 5 से 7 मिनट का समय मिलेगा तो मैं समझता हूं कि आप इस संकल्प पर चर्चा कर पाएंगे और अगले संकल्प को भी टेक-अप कर पाएंगे। मेरा श्री जीत राम कटवाट जी से आग्रह है कि आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

29.08.2024/1555/RKS/एजी-2

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सदस्यों को या आम जन-मानस को जो व्यापक रूप से समस्या आती है उसके बारे में विचार करने और सदन की राय लेने तथा सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मैं हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का दुःख-दर्द, जनकल्याण, सहानुभूतिपूर्वक उनकी सहायता के लिए विचार-विमर्श तथा इसके लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया लाने का आग्रह करता हूं। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर हजारों की संख्या में मकान और

गौशालाएं बनी हैं। ये घर और गौशालाएं 50-60 वर्षों से ज्यादा समय से अस्तित्व में हैं। इसका कारण यह है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनमें से कुछ पिछली पीढ़ी के और कुछ हमारे साथ वाले भी इतने शिक्षित नहीं हैं। उनकी समस्याएं, उनकी संभावनाओं और विकास को बार-बार बाधित करती है।

श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

29.08.2024/1600/बी.एस./डी.सी.-1

**श्री जीत राम कटवाल जारी**...

मैं स्वयं सरकारी सेवाओं में रहा हूं। मैंने एस.डी.एस. के नाते और कमिश्नर के नाते राजस्व, सचिव के नाते कई दफा देखा है कि लोगों को अनसुना कर दिया जाता है और उनकी आवाज को समझ नहीं पाते हैं। हम उन्हें कानूनो और नियमों का हवाला देते हैं। आजकल हम देखते है और बोलते हैं कि नियम अनुमति नहीं देते हैं तो एक जवाब मिलता है कि यदि नियम अनुमति नहीं देते हैं तो नियम बदलिए, नियम बनाइए। क्योंकि वोट देने की जो ताकत है वह प्रधान मंत्री जी की भी वही है, राष्ट्रपति जी की भी वही है, मुख्य मंत्री जी की भी वही है, विधायक की भी वही है और 100 वर्ष के बुजुर्ग को बिस्तर जिसे बिस्तर से उठा करके चुनाव वाले दिन वोट देने के लिए ले जाते हैं, उसके वोट की कीमत भी वही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस मुद्दे पर एक मत हो कर आगे विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति है उससे हम सब लोग वाकिफ हैं, यह एक पहाड़ी राज्य है। कई स्थानों पर हमारी जमीनें ढलानों पर हैं। अभी हाल ही में पिछले दो वर्षों का जो हमारा अनुभव है, हमारी जमीने और रिहायशी मकानों की जो स्थिति है वह तहस-नहस हुई है। सदन में बरसात के दौरान एक चर्चा चली हुई है कि लोगों को एक या तीन लाख रुपये ही राहत राशि मिली है। इसका कारण यह था कि मकान का काम प्लिंथ तक करेंगे तो उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगी। अब प्लिंथ कहां से बनाई जाए जब लोगों के पास मकान बनाने के लिए जगह ही नहीं है। मेरे क्षेत्र में भी दो-तीन ऐसे केसिज हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से चार दिन पहले किसी एक गरीब व्यक्ति के चार घर के कमरे गिरा दिए गए। अब वह हाई कोर्ड का आदेश है या जो मर्जी है जैसे मर्जी इसे

देखें। परंतु उस व्यक्ति की तबाही का अदेश तो हो ही गया। वह आदमी अपनी आंखों से अपने आहते में बैठकर अपनी बर्बादी का मंजर देखता रहा। परंतु न कोई सरकार न कोई पंचायत और न ही कोई समाज उसकी मदद कर सका। मुझे फोन पर सभी लोग यह कह रहे थे कि यह बहुत गलत हो रहा है और यह आदमी बहुत गरीब है। रेवेन्यू वाले बोल रहे थे कि हम चौथी बार इस मकान को तोड़ने के लिए आए हैं। मैं जैसे मलकीयत भूमि की बात कर रहा था कि कई जगह बड़े गहरे नालों और

29.08.2024/1600/बी.एस./डी.सी.-2

ढलानों में मकान हैं। लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये तीने चीजें वास्तविक रूप से एक बुनियादी सुविधाओं की श्रेणी में आती हैं।

**(सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए)**

इसको अगर हम देखें तो ये जीवन का आधार ही नहीं परंतु हमारी शक्ति और विश्वसनीयता का भी एक उदाहरण होता है। हम किस परिवेश में रहते हैं। किस माहौल में रहते हैं हमारे ग्रोथ के क्या तरीके हैं और हमें कितने मौके ऊपर उठने के लिए मिले हैं? जिसका घर ही तबाह हो जाए उसका उठना तो दूर की बात है वह खड़ा भी नही हो सकता। मैं ऐसे किस्से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि समाज में आज बहुत बैर-विरोध बढ़ गया है, छोटी-छोटी बातों के लिए शिकायतें होनी शुरू हो गई हैं। किसी का कमान चार मीटर कौन से आया है, किसी का आठ मीटर कौन से आया है और किसी को जंगल के पास जमीन मिली है और मकान बाहर निकल गया तो हम उसे बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट है। वह व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और वह कहता है कि मुझे यहीं बताई थी। अब जो बताई गई थी और 20 वर्ष से ज्यादा वह वहां पर बैठा है या 1970-75 में नोतोड़ मिला है और उसे वहीं पर जमीन दिखाई गई है। परंतु

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1605/डी0टी0/ए0एस0-1**

**श्री जीत राम कटवाल जारी...**

आज किसी तरीके से उसको बाहर करने की बात हो रही है उस पर गौर करने की आवश्यकता है। किसी एक्सपर्ट ग्रुप को या विधायकों की कमेटी इस पर बनाकर ऐसे मामलों में विचार करने की आवश्कता है ताकि समाज में ऐसा गतिरोध न हो। ऐसे व्यक्तियों को सूचना बहुत कम मिलती है। वे अपने बारे में इतने ग्रस्ति और चिंतित रहते हैं कि उन्हें बाहर की मूवमेंट का पता ही नहीं चलता। हमारे बुजुर्गों को अगर कहीं भी थोड़ी सी जगह मिली और उन्हे वह जगह ठीक लगी तो वहां पर उन्होंने घर बना लिया। उसमें चाहे 2-4 या 20 मीटर या फिर एक बिस्वा या दो बिस्वा भूमि है उसको सरकार रेगुलराइज कर सकती है। इस सदर्भ में मैं आपको उच्च न्यायालय व उच्च्तम न्यायालय के आदेशों का बयौरा भी दूंगा। इस तरह के जो 10 या 20 प्रतिशत मामले हैं जिन मामलों में केस विभिन्न न्यायालयों में चले हुए हैं। वकील हर पेशी में उन्हें बोलते हैं कि आज डेट नहीं मिली या कानून आपके पक्ष में नहीं और ऐसा बोलकर मामले को लटाकाते जाते हैं और संबंधित आदमी इसी उम्मीद से वर्षों तक कोर्ट-कचहरी के चक्करों में अपना समय अपनी दिहाड़ी खराब कर देता है। एक गरीब आदमी कि यदि 500 रुपये की दिहाड़ी मर जाती है तो उस आदमी पर उसका कितना असर पड़ता है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ये तो रही अदालती मामलों की बात। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में पॉलीसी बनाने के लिए कहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक विवरण दूंगा उसमें ऐसा कहा गया था इसके बारे में चिंतन भी होना चाहिए। रोटी-कपड़ा-मकान अगर बुनियादी सुविधा है तो ये सभी को मिलनी चाहिए। संविधान के आर्टिकल 14,16 व 21 में प्रावधान है कि एक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना अपेक्षित है। नीति निदेशक सिद्धांत में ये लिखा गया है कि सभी के पास शैल्टर होना चाहिए। अभी मेरे साथी विधायक महोदय ने कहा कि समेज में नुकसान हुआ है एक बहुत बड़ा भूमि का हिस्सा बह गया और 26 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब वहां के लोगों को कहां पर भूमि मिलेगी इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन जब भूमि आबंटन की बात आयेगी तो हम एफ0सी0ए0 या एफ0आर0ए0 का हवाला देंगे। परन्तु जिनके साथ ये घटना घटित हुई है वे किस हवाले को लेकर अपने आप को सांत्वना दें? ये एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। जमीन के बदले जमीन देकर या कीमत देकर उस भूमि का नियमितीकरण हो ऐसा भी लोग चाहते हैं।

गरीब लोगों ने अपने मकान व गौशाला निर्माण के लिए अपनी सारी पूंजी लगाई होती है इनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति राहत के 10000-20000 हजार

**29.08.2024/1605/डी0टी0/ए0एस0-2**

रुपये के लिए दस बार विधायक के चक्कर लगा सकता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यदि 2-4 मीटर के एन्क्रोच्मन्ट मामलों पर शिकायत भी आती है तो ऐसे निर्माण को तोड़ना जनहित में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी कोई नीति बनाई जानी चाहिए जिससे सरकार और आम जनता दोनों का हित हो। इससे लिटिगेशन के मामले कम होंगे और कोर्ट में कम भार पड़ेगा। गरीबों का अनप्रोडक्टिव खर्चा कम होगा और वह इन सब चिंताओं से निजात पायेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। वह अपने जीवन में लिमिटेड स्कोप के साथ या घुटकर जियें, ये भी अच्छी बात नहीं है। उनको freedom of life and liberty and expression जो सभी को है, वह भी उन्हे समझे। हम इसके बारे में तो बोलते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप में भी ये बात होनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ये चीज धरातल पर हो भी रही है या हम सिर्फ एक ही तरीके पर ही काम कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि राजस्व विभाग में यदि छानबीन हो तो ऐसे मामले लाखों की संख्या में बाहर आयेंगे और इसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। लोगों के हितों की रक्षा होगी। इसके लिए सरकार को कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा बस ऐसे लोगों को रहने के लिए एक मकान की व्यवस्था करनी होगी जिसमें वह निर्बाद रूप से रह सकें। यदि किसी के कब्जे में 10 या 20 बिस्वा जमीन है तो उसका नियमितीकरण करने की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि वह उस भूमि में काम कर सके एक घर बना सके और उसमें रह सके। ये जनहित का कार्य है। मैंने अपने मन की बात इस मान्य सदन में रखी क्योंकि मैंने आम लोगों के साथ चर्चा की और लोगों ने मुझे बार-बार

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**29-08-2024/1610/डी.सी.-एन.जी/1**

**श्री जीत राम कटवाल.....जारी**

क्योंकि मैंने लोगों के साथ चर्चा की है और लोग मुझसे आशा भी रखते हैं कि आप तो सरकारी सेवा में रहे हैं, आप इस प्रकार के केसिज़ देख चुके हैं, आप हमारी समस्या का हल कीजिए, आप हमारी समस्या को सरकार के समक्ष ले जाइए, आप विधान सभा में बोलिए और कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपनी व्यथा बता सकें। कोई भी माननीय कोर्ट ऐसा नहीं कहता कि किसी को भी उसके घर से बेघर कर दिया जाए। एक तरफ हम 1.50 लाख रुपये घर बनाने के लिए देते हैं, पहले गांधी कुटीर योजना के माध्यम से देते थे और अब प्रधान मंत्री आवास योजना व मुख्य मंत्री आवास योजना के माध्यम देते हैं। मैं लगभग 25-30 साल पहले मण्डी का एस.डी.एम. हुआ करता था। तब गांधी कुटीर योजना के माध्यम से 69 हज़ार घर बनाए जाने थे। मैंने डी.एफ.ओ. को जमीन देने के लिए पत्र लिखा तथा उन्होंने कहा कि ये सारी फोरेस्ट लैंड है और इस पर तो ये घर नहीं बनाए जा सकते। मैंने उन्हें कहा कि हमने आपको नोटिस दिया है और आपको इस पर जो भी आपत्ति लगानी है लगा दीजिए। यह चारागाह बिन दरख्तान है और इसमें कोई भी दरख्त नहीं है। मेरे पास उसका फोटो भी है और मैं आपको फोटो भेज रहा हूं। डी.एफ.ओ. महोदय ने मुझे कहा कि साहब इसमें तो एफ.सी.ए. लगता है और हम इसको नहीं दे सकते। उस वक्त तो एफ.आर.ए. भी नहीं था क्योंकि वह वर्ष 2006 में बना है और यह तो वर्ष 1996-97 की बात है। मैंने उस समय लगभग 118-120 केस अप्रूव कर दिए थे। सरकार उनको 48500/- रुपये दे रही है क्योंकि 48500/- रुपये में घर बनाने का पैमाना बनाया गया था। सरकार यदि उसे पैसे दे रही है तो जमीन देना भी तो सरकार का दायित्व बनता है क्योंकि बिना जमीन के कोई भी स्कीम निरर्थक होती है। अभी सरकार द्वारा 2 बिस्वा शहरी क्षेत्रों में और 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देने का प्रावधान किया जाता है। सरकार यदि जमीन नहीं दे सकती तो सरकार ने एक्ट ही क्यों बनाया? हमें उसकी गहनता से छानबीन करनी चाहिए। हमें अपना पक्ष रखना चाहिए।

**29-08-2024/1610/डी.सी.-एन.जी/2**

मुझे पता है कि एफ.सी.ए. में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन एफ.आर.ए. में है। हम एफ.सी.ए. के अंतर्गत एक कंसोलिडेटिड केस बनाकर सरकार को भेजें। यदि उन्हें जमीन नहीं देनी है तो सरकार उसे अपने आप ट्रांसफर करे या उनको लीज़आऊट करे। कई बार ऑब्जेक्शन आते हैं कि लोगों ने जमीन बेच दी। गरीब आदमी से बहुत कुछ हो जाता है, कई बार बेच दी जाती है, कई बार बिकवा दी जाती है और कई बार ऑक्शन हो जाती है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो इस प्रकार के किस्से देखने को मिलते हैं। मैंने जो बातें कही हैं इससे हिमाचल प्रदेश में लाखों व्यक्ति प्रभावित हैं। यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारे में से किसी के भी घर के पास एंक्रोचमेंट निकल जाएगी क्योंकि हम कई 50-100-200 सालों से वहां पर बैठे हुए हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि ये तो ठीक ही हैं और गलतियां उसकी दिखती हैं जो साधन रहित व्यक्ति होगा, गरीब व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कानून व सभी की नज़र और हतौड़ा तैयार रहता है। मेरा यही कहना है कि कानून में प्रावधान करें और इसके बारे में गम्भीर चर्चा करें। आप सभी 75 लाख हिमाचलियों के प्रतिनिधि हैं और आप लोगों की quality of work, quality of thought and quality of integrity को लेकर ऐसा माना जाता है कि आप लोग बाकियों से उत्कृष्ठ दर्जे के हैं और उत्कृष्ठता के नमूने के लिए हमें ये करना चाहिए। मैं दो केसिज़ का हवाला देना चाहता हूं। That Hon'ble Apex court.

Continued in Eng.....

**29.08.2024/1615/केएस/डीसी/1**

**श्री जीत राम कटवाल जारी अंग्रेजी**----------

That Hon'ble Apex court. In Chameli Singh Vs. State of U.P., (1996) 2 SCC 549 a Bench of three Judges of Supreme Court had considered and held that the right to shelter is a fundamental right available to every citizen and it was read into Article 21 of the Constitution of India as encompassing within its ambit, the right to shelter to make the right to life more meaningful. It has been held thus:

(para 8) "In any organized society, right to live as a human being is not ensured by meeting only the animal need of man. It is secured only when he is assured of all facilities to develop himself and is freed from restrictions, which inhibit his growth. All human rights are designed to achieve this object. Right to life guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter. These are basic human rights known to any civilized society. All civil, political, social and cultural rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and Convention or under the Constitution of India cannot be exercised without these basic human rights."

Emphasizing further on the right to shelter, the Court in this case held that, (para 8) "Shelter for a human being, therefore, is not a mere protection of his life and limb. It is however where he has opportunities to grow physically, mentally, intellectually and spiritually. Right to shelter, therefore, includes adequate living space, safe and decent structure, clean and decent surroundings, sufficient light, pure air and water, electricity, sanitation and other civic amenities like roads etc. so as to have easy access to his daily avocation. The right to shelter, therefore, does not mean a mere right to a roof over one's head but right to all the infrastructure necessary to enable them to live and develop as a human being. Right to shelter when used as an essential



requisite to the right to live should be deemed to have been guaranteed as a fundamental right. As is enjoined in the Directive Principles, the State should be deemed to be under an obligation to secure it for its citizens, of course subject to its economic budgeting. In a democratic society as a member of the organized civic community one should have permanent shelter so as to a

physically, mentally and intellectually equip oneself to improve his excellence as a useful citizen as enjoined in the Fundamental Duties and to be a useful citizen and equal participant in democracy.

**सभापति :** माननीय सदस्य, इसमें एक घंटे का समय दिया गया है। बाकी 16 मैम्बर और बोलने वाले हैं इसलिए कृपया समाप्त करें।

**श्री जीत राम कटवाल :** सभापति महोदय, तीन लाइनें सुन लीजिए। "The ultimate object of making a man equipped with a right to dignity of person and equality of status is to enable him to develop himself into a cultural being. Want of decent residence, therefore, frustrate the very object of the constitutional animation of right to equity, economic justice, fundamental right to residence, dignity of person and right to live itself."

यह बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई छोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने कहा है और जिन आदमियों की बात करते हैं, वह मेरे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नेगी जी, कल कोई आपको बोल रहा था कि तभी आप मंत्री नहीं बनते। मैं नहीं कहता, आप मंत्री भी बने परंतु जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो, उसको अपने मन में स्पेस दीजिए, मेरा आपसे यह अनुरोध रहेगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है, वह भी मैं नेगी जी को दे दूंगा क्योंकि वह पढ़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इंगलिश में है जिसका ज्यादा पता भी नहीं लगेगा परंतु जिन-जिन को चाहिए होगा, मैं दे दूंगा और बहुत ज़रूरी बात है। इसके ऊपर एक मत हो कर अगर हम रिज़ोल्व करें तो इस समस्या से हम पार पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने वक्त दिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, नमस्कार।

**29.08.2024/1615/केएस/डीसी/3**

**सभापति :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नन्द लाल जी भाग लेंगे।

**श्री नन्द लाल :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी जो संकल्प ले कर आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मकान, काउ-शैड्ज़ आदि की जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसको इलीगल एंक्रोचमैंट माना जा रहा है। इस संदर्भ मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं।

**श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी**--

**29.08.2024/1620/av/एच0के0/1**

**श्री नन्द लाल------ जारी**

ननखड़ी चौक पर 22 ड्वैल्र्स हैं। ये 22 लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। वे वहां आज से लगभग 40 वर्ष पहले आए थे। वहां पर पहले आलू की मंडी लगती थी और आलू की मंडी लगते-लगते वहां धीरे-धीरे रोड आ गया। उस रोड के आने से वहां पर एक मार्किट बन गई जिसके कारण लोगों ने वहां पर छोटी-छोटी दुकानें बना दीं। ये कुल 22 परिवार हैं। पिछले कल वहां पर इवैक्यूएशन प्रोसैस स्टार्ट हो गया था। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि यहां पर जो श्री जीत राम कटवाल जी ने संकल्प लाया है, हम सब इस बारे में विचार करें कि इस प्रकार से कैसे हुआ। हमें यह जानना है कि यह एनक्रोचमेंट कैसे शुरू हुई। सभापति महोदय, शुरू में कुछ गरीब व स्मॉल ड्वैल्र्स ऐसी जगह पर जाकर बस गए जिनके पास लैंड नहीं थी। फिर उन्होंने वहीं रहकर पशु पालने भी शुरू कर दिए और अपने आपको वहां का वांशिदा बना दिया। लेकिन अनुफोर्चुनेट पार्ट यह है कि उनकी हमारे राजस्व रिकॉर्ड और वन विभाग के रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं है जबकि इसमें सेटलमेंट हुआ। वह सेटलमेंट वर्ष 1982 में चम्बा से शुरू हुआ और वर्ष 1989 में शिमला और कांगड़ा में हुआ। परंतु आज तक भी उसमें करैक्शन नहीं हो पाई। यह सेटलमेंट नेम सेक है और इसमें यह कोई पता नहीं है कि कौन कहां जा रहा है। गांवों में लोगों ने आबादीदेह जगह के साथ अपने मकान या गौशाला बना दी और वह जगह भी कब्जे में आ गई। वह भी एक प्रकार से एनक्रोचमेंट हो गई। लोगों ने वे सारे सोर्सिज इस्तेमाल किए और अब वे सारे एनक्रोचर हो गए। वे कोर्ट में गए और सरकार ने भी बहुत कोशिश की तथा कोई पॉलिसी बनाने की बात भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली यह हुआ कि they all are in problem. लोग कोर्ट में गए लेकिन वहां से भी कोई फायदा नहीं मिला। मैं यह कहना

चाहता हूं कि हमारे लोगों को एक लिमिट के अंदर वन विभाग की भूमि पर रहने का हक़ जरूर मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में सरकार द्वारा भी एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसके तहत वन विभाग के तहत 5 बीघा जमीन कवर करने का प्रावधान किया था परंतु आप 10 बीघा से ज्यादा लैंड कवर नहीं कर सकते। That was the policy made by the Government. यहां तक कि कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि इसको नियमित करने के लिए there is a provision. रिटेंशन ऑफ एनक्रोच्ड लैंड के लिए दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि encroachment made excess of 5 bighas जैसे मैंने



कहा कि उसके ऊपर this can be regularized. Unless it doesn't exceed to 10 bighas. इस प्रकार के आदेश वहां से भी हुए हैं लेकिन राजस्व विभाग ने इस संदर्भ में कुछ नहीं किया। उसके बाद ये लोग लड़ाई लड़ते रहे और अंत में वही बात आती है कि इसका करना क्या है। यह मामला कोर्ट में भी चला हुआ है और सरकार ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं। हमने सब लोगों से बातचीत करके यह पाया कि लोगों को फॉरैस्ट राइट से उम्मीद है कि शायद वे इसके अंतर्गत इस जमीन को हासिल कर सकें। मेरा यह सुझाव रहेगा कि इसको फॉरेस्ट राइट के थ्रू एक्वायर करने के आदेश दिए जाए। दूसरा अगर एफ0सी0ए0 की कोई दिक्कत है तो उसके लिए केंद्र सरकार से मामला टेकअप किया जाए ताकि इसको एफ0सी0ए0 के थ्रू नियमित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आबादीदेह जगह को भी एफ0सी0ए0 या एफ0आर0ए0 के थ्रू उनको दिया जाए ताकि they are not encroacher. यहां पर जिस प्रकार से श्री जीत राम कटवाल जी बता रहे थे ours is a welfare state. हमें यह देखना है कि जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए घर का इंतजाम करना है। हमारे ग्रेजिंग राइट्स तो वैसे ही कम किए हुए हैं। जब इसका डीविजन हुआ तो 70 प्रतिशत तो जंगल ही जंगल है और 30 प्रतिशत में दूसरे पेड़ हैं। किसानों के ग्रेजिंग राइट्स को बढ़ाया जाए so that they can get the lane out of that.

**टी सी द्वारा जारी**

**29.08.2024/1625/टी0सी0वी0/एच0के0-1**

**श्री नन्द लाल...जारी**

सभापति महोदय, इसको ठीक किया जाए। इसी तरह से राजस्व विभाग द्वारा सैटलमेंट के मामलों को भी ठीक करवाकर रैवन्यू रिकॉर्ड को ठीक किया जाए। There is a provision for Notor. जब नोतोड़ देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है जैसे अभी समेज में सारे घर बह गए यदि उनको कहीं और जगह सैटल करना है तो उन लोगों की जमीन की कहीं पर भी एंट्री नहीं है। उनके नाम से कुछ नहीं है। यदि ये सारी चीजें करेंगे तो इससे हमारे प्रदेश के लोगों का हित होगा। I am frankly telling you that I am against the encroachment and time has come where we have to see this situation very seriously. हमारे जो लोग हैं वे छोटे-छोटे किसान हैं। उनको इस प्रकार की जमीन की जरूरत है और उनको एक सीमा के अंदर यह जमीन दी जानी चाहिए ताकि वे अपना जीवन-यापन कर सके। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस हालत को देखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि अभी इविक्शन ऑर्डर हुए हैं और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, इनको मानना पड़ेगा। इसी समय इस पर सरकार को पॉलिसी लानी होगी ताकि एनक्रोचर्ज को संभाला जा सके। इसके अलावा यदि एफ0सी0ए0 या एफ0आर0ए0 के केस बनाने हैं तो सरकार उनको भी बनाएं ताकि जो लोग आज बेघर हो रहे हैं उनको बेघर होने से बचाया जा सके और इनकी फेमिली डिस्टर्ब न हों। जैसा माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने कहा कि हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है और हमें देखना है कि हमारे लोग नंगे-भूखे न रहे और उनको रहने के लिए मकान भी मिले। इसमें हाईकोर्ट के आदेश हुए है इसके लिए यदि सरकार को कोर्ट में भी जाना पड़े तो जाएं और इसका फैसला करें। यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा। यह सिर्फ रामपुर की बात नहीं है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी एनक्रोचमेंट के केसिज हैं उनको सैटल करने के लिए सरकार जो कुछ भी कर सकती है, वह करें ताकि इन एनक्रोचर्ज की प्रोब्लम जो कई सालों से चली आ रही है इसको सोर्टआउट किया जा सके और इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। धन्यवाद।

**सभापति :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी भाग लेंगे।

**29.08.2024/1625/टी0सी0वी0/एच0के0-2**

**श्री सतपाल सिंह सत्ती (ऊना) :** सभापति महोदय, श्री जीत राम कटवाल जी ने जो विषय रखा है यह ग्राम और गरीब से जुड़ा हुआ विषय है। जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टीसिपेट करते हैं, वे यही लोग हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। जब इनके अधिकारों की बात आती है तो बहुत कम इनके बारे में बोला जाता है क्योंकि वह एक तरह का अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो कहीं अपनी मांग के लिए धरना, रैली या जलूस नहीं निकाल सकता है जिसके कारण वे कई बार इग्नोर भी हो जाते हैं। यह एक बहुत अच्छा विषय है। मैं भी इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वयं भी लॉ की हुई है और कानून को बेखूबी जानते हैं। श्री जीत राम कटवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आपके ध्यान में लाया है। रोटी,कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई ये पांच आदमी की मूलभूत जरूरतें हैं जो अवश्य पूरी होनी चाहिए। जैसा यहां पर बताया गया कि कोर्ट के आदेश हुए और उस गरीब आदमी के 4 कमरे तोड़ दिए गए। यह बहुत ही मार्मिक विषय है क्योकि बड़ी मुश्किल से एक-एक पैसा इकट्ठा करके उसने चार कमरे बनाए होंगे लेकिन एकदम जाकर उनको तोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनेकों लोग होंगे जिन्होंने ऐसे कब्जे करके बड़े-बड़े व्यवसाय चलाए हुए हैं। उनके बड़े-बड़े बागीचा और खेत हैं लेकिन वे बड़े लोग हैं इसलिए किसी की हिम्मत उनके ऊपर कार्रवाई करने की नहीं होती और न ही उनके विरोध में कोई कोर्ट में शिकायत करता है। इस मामले में जरूर शिकायत हुई होगी। हिमाचल प्रदेश के लोग ग्रामीण और जहां वन हैं ऐसे क्षेत्र में रहते हैं। कई बार तो ऐसा ध्यान में भी नहीं आता है कि मेरी जमीन कहां तक है?

एन0एस0 द्वारा... जारी

29-08-2024/1630/एन0एस-वाई0के0/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती..... जारी

हमारी भी घासनियां हैं और हम आइडिया से घास काट देते हैं कि इस पेड़ तक तुम्हारी घासनी है और उस पेड़ तक हमारी घासनी है। अगर पेड़ काट दिया जाए तो अगली बार पता ही नहीं लगेगा कि किसकी घासनी कहां तक है? आप मान लो कि अगर कोई आदमी वन में रहता है और वहां पर मकान बना रहा है तो वह वहीं मकान बनाएगा; वह मैदानी क्षेत्रों में नहीं आएगा। मकान बनाते समय जब निशानदेही हो और अगर उसके दो कमरे वन भूमि में निकलेंगे तो रसोई, बाथरूम और टॉयलेट अपनी जमीन में आ जाएगा तथा उसके विरोध में अगर केस हो गया तो वह गिरा दिया जाएगा। मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम ही कानून बनाने वाले हैं और कानून में सुधार करने वाले भी हम ही हैं। माननीय न्यायालय सिर्फ इनको लागू करते हैं। उस दृष्टि से कि न्यायालयों में कोई ऐसी दिक्कत न आए क्योंकि वहां तो न्यायालयों की इंप्लीमेंटेशन होगी और वे तो बोलेंगे कि अगर कानून बना है तो इसको लागू करो। हम सब लोग लॉ मेकर्ज हैं तो हम लोग ऐसा कानून बनाएं कि अगर किसी की ऐसी जमीन आ जाती है तो उससे हम पैसा भी ले सकते हैं। मान लो वह सरकारी जमीन का उपयोग कर रहा है तो हम उससे वहां की मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा ले सकते हैं और उसके ऊपर से पूरी जिंदगी की तलवार भी हटा सकते हैं वरना उसको कोई भी व्यक्ति कभी भी ब्लैकमेल करता रहेगा। जब भी कोई दूसरी सरकार आएगी, उसका कोई विरोधी हो गया और यहां तक कि भाई-भाई में लड़ाई हो गई तब भी वह उसको ब्लैकमेल करेगा कि मैं तेरे मकान की शिकायत कर दूंगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि मेरी जमीन सरकारी है। लेकिन शिकायत करने वाले लोग ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं। वे कई बार ग्राम पंचायतों में फंडामेंटल राइट का प्रयोग भी नही कर पाते और न ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले पाते हैं। हम लोग उनको जमीन दे सकते हैं और कुछ हद तक अपने पास रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को 10 बीघा जमीन दे दी या किसी को 2 बीघा जमीन दे दी लेकिन अगर उसके पास ।-2 बिस्वा सरकारी जमीन आ रही है तो उसका सरकार पैसा ले सकती है। अनेकों मार्केट्स ऐसी हैं। एक बार पहले शायद उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ था। इन मामलों को रेग्युलराइज

करने का विषय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में आया था। उस समय लोगों ने इसका नाजायज लाभ उठाया। जिनकी जमीन नहीं भी थी उन्होंने भी रातों-रात

29-08-2024/1630/एन0एस-वाई0के0/2

पटवारियों से मिल करके कब्जे लगवा लिए। यह सरकार की अच्छी मंशा थी। उस समय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी बताते थे कि जिला ऊना में अंब की पूरी मार्केट 80 प्रतिशत गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है। अब आप उसको गिराने से रहे। उसमें दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी हैं और वहां पर लोगों को अच्छी इंकम होती है। फिर क्यों न ऐसे लोगों से मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय कर लें या फिर जमीन उनको दे दी जाए और उनसे उसका पैसा ले लिया जाए। मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी। मेरा इस मामले में एक ही सुझाव है कि हम लोग इसमें लीन्यंट व्यू अपनाएं और अगर कानून में चेंज करने की जरूरत है तो कानून में चेंज करें। गरीब आदमी के ऊपर जिंदगी भर यह तलवार न लटकती रहे उसकी व्यवस्था करने के लिए ही हम लोग यहां पर आए हुए हैं। यह विषय कॉमन है, यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। लोग फ़रियाद लेकर हमारे पास ही आते हैं और उनको विश्वास है कि यही लोग इसका हल कर सकते हैं। चाहे लोग हम सबके बारे में जो मर्जी बोलते रहें लेकिन जब आदमी को मुसीबत आती है तो पड़ोस में बसे हुए ऑफिसर के पास जाने के बावजूद भी 10 किलोमीटर दूर एम0एल0ए0 के पास जाना पसंद करता है क्योंकि वह उसकी बात सुनेगा और उचित स्थान पर रखेगा। इसलिए सभापति महोदय, हम इसी मन से  इसी मानसिकता के साथ इस पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि गांव या शहर में जो भी गरीब व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी कोई दिक्कत है तो उसको हल करते हुए सरकार के माध्यम से उसका कोई समाधान निकालें। श्री जीत राम कटवाल जी ने इस विषय पर बहुत विस्तार से बोला है। ये शायद और भी बहुत कुछ बता सकते हैं क्योंकि वे खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं और उस दृष्टि से ये काफी नॉलेज रखते हैं। राजस्व मंत्री जी आप स्वयं लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और आपको अच्छा विभाग मिला है तथा आप इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें मुख्य मंत्री जी का भी अच्छा ही विचार होगा और सब लोग इसमें सहयोग ही करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी व्यक्ति को गलत प्रताड़ित करना चाहेगा। हम लोग इसमें अच्छा काम करें। मुझे लगता है कि इस

विषय को यहां डिस्कस करने का महत्व तभी है अगर हम किसी परिणाम के ऊपर पहुंचेंगे। धन्यवाद।

**सभापति :** अब इस चर्चा में श्री नीरज नैय्यर जी भाग लेंगे।

आगे .....आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

29.08.2024/1635/RKS/YK-1

**श्री नीरज नैय्यर :** सभापति महोदय, माननीय जीत राम कटवाल जी ने जो संकल्प विधान सभा के पटल में रखा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। इसके ऊपर मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। हमारे प्रदेश का अधिकतर हिस्सा वन भूमि में कवर होता है। फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 की परिभाषा यह है कि all land other than private land will be treated as forest land. इस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि को छोड़कर जितनी भी भूमि बचती है वह सारी भूमि फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 के तहत आती है। हिमाचल प्रदेश बहुत पहले अस्तित्व में आया है। 1980 का एकट तो अभी बना है लेकिन लोगों ने जो पुराने समय में घर और गौशालाएं बनाई हैं उसमें उन्होंने कोई नाप-नपाई नहीं की है। उन्होंने पटवारी से कोई नपाई नहीं करवाई कि आपने बाथरूम, कमरा या गौशाला कहां बनाई है। लेकिन अब हमारे ये लोग इस एक्ट के तहत बुरे तरीके से फंस गए हैं। अगर मैं अपने जिला की बात करूं तो मेरे जिला में आए दिन मेरे पास इतने लोग आते हैं; स्पेशली वीकर सेक्शन लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं और वे फिर एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जिसने केस किया है वह खुद ही उस जाल में फंस गया। लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं वे इसमें बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं। क्योंकि उनके पास अपर कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं होते। कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में आए दिन डेमोलिशन ऑर्डर इश्यू किए जा रहे हैं। फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून के आगे आप सबके हाथ बंधे हुए हैं। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बनाये हैं। आप घरों या गौशालाओं की बात कर रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि इस एक्ट की वजह से हमारी काफी डपलपमेंटल एक्टिविटीज स्लो डाउन हुई है। जो घर पुराने टाइम में बने हैं उनको नियमित करने के लिए यह संकल्प

लाया गया है। एफ.सी.ए. एक्ट की परिधि में हमारे जो भी इलाके आते हैं या जो चरागाह या विला दरख्तान है वहां न कभी पेड़ था और न कभी आगे लग सकेंगे। जहां चट्टानें हैं वहां पर भी यह एक्ट लागू होता है। मेरा मानना है हमें इसके लिए very seriously and pragmatically सोचना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश नॉर्दन इंडिया का लंग्स है। यहां पर अभी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही थी। मैंने इस चर्चा में भाग नहीं लिया है। आजकल क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल लैवल पर काफी मीटिंग्स हो रही हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो हमारे मुकाबले सबसे ज्यादा पॉल्यूशन विकसित देश ही करते हैं। अब हम डवलप हो रहे हैं तो हमारी डवलपमेंटल एक्टिविटीज रोकी जा रही हैं और इसके लिए कार्बन क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है। श्री बी.एस.द्वारा.... जारी

29.08.2024/1640/बी.एस./ए.जी-1

**श्री नीरज नैय्यर जारी...**

हमारे विकास कायों में जो कमी आई है उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। आप का एफ.सी.ए. एक्ट है, मैं समझता हूं कि इसके अन्दर संशोधन लाना बहुत जरूरी है, न केवल घरों और गौशालाओं को नियमित करने के लिए लेकिन मैं आपको अपने इलाके की बात करना चाहूंगा। जब आप पठानकोट से चम्बा आते हैं तो रास्ते में कांदू करके एक इलाका आता है और जब से मैंने जन्म लिया है, कांदू के पकौड़े गहुत मशहूर हैं। वहां वे दुकाने 50-60 साल पहले से बनी हैं। मुझे लगता है कि वे भी इसकी जद में आने जा रही हैं। अभी किसी कारण वे वहां बची हुई हैं। जो पकौड़े वहां बनते हैं वे वहां के पानी से ही बन सकते हैं, अगर अन्य जगहों पर उन्हें बनाया जाएगा तो उन पकौड़ों का वह स्वाद फिर नहीं मिलेगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में वह इलाका आता है। वहां के लोग मेरे पास आते हैं और मांग करते हैं कि सर, हमारे यहां बिजली नहीं है बिजली का कनेक्शन दिला दो। वे लोग रात को मोमबत्ती जलाकर अपना कारोबार करते हैं। परंतु उन्हें बिजली का कनेक्शन देगें कैसे? because that all area comes under forest land. उन्होंने छोटे-छोटे डब्बे बनाए हैं, I am just giving you an example. प्रदेश के अन्दर ऐसे कई उदाहरण हैं। मेरा ऐसा मानना है कि this was a very important resolution. इस पर इच्छा शक्ति के साथ सब लोगों को मिल करके काम करना चाहिए, I am very sure ऐसा नहीं है कि हम इससे पार नहीं पा सकते हैं। मैं अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र की बात करूं

तो मैं राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाना चाहता हूं और उसके लिए 50 बीघा से ऊपर जमीन चाहिए। लेकिन एफ.सी.ए. एक्ट बोलता है कि 1.6 हैक्टेयर से ऊपर की जगह दे ही नहीं सकते। जब मैं डी.एफ.ओ. के पास गया और मैंने अन्य उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बोला कि यही नियम है और इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। हमारी तरक्की इससे hamper हो रही है। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। We are slowing down on things. इसके ऊपर ध्यानपूर्वक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा कि अभी जैसे कोई बाढ़ या फ्लड्स आते हैं और लोगों के घर चले जाते हैं उनमें से कई लोगों के घरों का मुआवजा देने की बात आती है तो पता चलता है कि वह घर तो फोरेस्ट लैंड में है। उनकी अपनी जमीन ही नहीं है और वे इससे वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एफ.सी.ए.एक्ट की वजह से प्रदेश में लाखों लोगों को

29.08.2024/1640/बी.एस./ए.जी-2

इससे नुकसान हो रहा है। इसका नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर यह बात बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड लैस लोग हैं और बोनाफाइड हिमाचली है उनको दो बिस्वा जमीन सरकार मुहैया करवाएगी। लेकिन मेरे क्षेत्र में दो बिस्वा जमींन नहीं दे पाए हैं। मैंने डी.सी. साहब से बात की and he told me the same thing. He said that कोई प्रावधान ही नहीं है। वर्ष 1980 से ले करके आज वर्ष 2024 आ गया है, it has been a long time. It has been a long drive. अब समय आ गया है कि इसके ऊपर ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य होना चाहिए। इससे मेरा क्षेत्र और मेरा जिला ही नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी क्षेत्रों में the progress is being hampered. हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे वकालत से संबंध रखने वाले लोग हैं, they should get together and I am very sure कि इसके ऊपर परिवर्तन लाया जा सकता है और जल्द-से-जल्द यह लाना चाहिए। ताकि हमारा जो प्रदेश है वह तरक्की की राह पर अग्रसर हो, I would just like to end with these words. Thank you very much.

**सभापति :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी भाग लेंगे।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

**29.08.2024/1645/डी0टी0/ए0जी0-1**

**श्री सुख राम चौधरी :** सभापति महोदय, आदरणीय श्री जीत राम कटवाल जी ने जो इस सदन में संकल्प लाया है मैं इसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह पूरे हिमाचल प्रदेश की समस्या है क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में 77 प्रतिशत जगह पर वन भूमि है। केवल 23 प्रतिशत भूमि ऐसी है जो प्राईवेट या राजस्व विभाग की है। इसलिए वीकर सैक्शन के बहुत से लोग वन भूमि में बसे हुए हैं। कई जगह पर तो ऐसा है कि केवल मात्र एक दीवार वन भूमि में आती है बाकि सारा मकान उसकी अपनी जमीन में है। उनके ऊपर भी अवैध कब्जे की तलवार लटकी रहती है और उनके भी कोर्ट में केस चले हुए हैं। इसलिए मेरा आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय जी से भी यह आग्रह है कि जो वीकर सैक्शन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एक दीवार, एक मकान का कमरा या गौशाला आ गई है उनको नियमितीकरण हेतु नीति बनाने पर हम सबको विचार करना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जो आजादी से पहले का बसा हुआ है। उस गांव में लगभग 40-45 घर है। ग्राम पंचायत गोजर में गांव डोंडली में नोतोड़ भूमि में लोगों के हक देने के लिए पट्टे भी तैयार हुए। परंतु किसी कारणवश उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। उस गांव पर एस0सी0 समाज और वीकर सैक्शन के लोग रहते हैं। आज भी उनके पास कब्जा नहीं है और न ही उनके पास दूसरी भूमि है। वह लोग वहां पर ऐसे ही रहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास दूसरी जगह छत्त बनाने की जगह भी नहीं हैं। इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है ताकि वीकर सैक्शन और गरीब लोगों को एक आशियाना बनाने के लिए जगह मिल सके। इस साल प्राकृतिक आपदा आई जिसमें आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने घोषणा की कि जिनके सारे घर बह गए और जहां पर घर बनाने लायक जगह नहीं है हम उनको ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा जमीन और शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा जमीन देंगे। बहुत सी वादे उसमें किए हुए हैं। कितने लोगों को जमीन मिली हैं और कितने लागों को जमीन नहीं मिली है। पैसे कई लोगों को मिले परंतु मकान बनाने के लिए जमीन नहीं हैं। इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब यह एक्ट बना है। इसमें आंशिक रूप से

संशोधन करके लोगों को राहत दी जाए। ताकि जो लोग आज अपने घर बनाकर रह रहे हैं या जिनकी एक दीवार सरकारी लैंड और वन भूमि में आती है तो उनको रेगलुराईजेशन करने के लिए सरकार कोई पोलिसी बनाएं। आज आदरणीय श्री जीत राम कटवाल जी ने जो संकल्प लाया है मैं तो इस पर यह बोलना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करके इस पर नीति बनाने का सरकार विचार करें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

**29.08.2024/1645/डी0टी0/ए0जी0-2**

**सभापतिः** अब माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री हरदीप सिंह बावा :** सभापति महोदय, श्री जीत राम कटवाल जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनाने पर यह सदन विचार करें, पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझसे पूर्व भी हमारे साथियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो लोग कई वर्षों से फोरेस्ट लैंड या सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं वे आज मजबूर हैं। आज उन लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्लासीकलां के गांव बीड़प्लासी में हरिजन/कौली समाज के लोग रहते हैं।

**29-08-2024/1650/ए.एस.-एन.जी/1**

**श्री हरदीप सिंह बावा.....जारी**

उनका गांव नुक्कर घराट है। उन लोगों के मकान फोरेस्ट के साथ हैं। उन्होंने पशुओं के बाड़ों के लिए थोड़ी-थोड़ी भूमि एंक्रोच कर रखी है। उस एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आए दिन वन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि मैंने अनेक बार वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। पूर्व में जब ठाकुर सिंह भरमौरी जी वन मंत्री हुआ करते थे तब उनके समय में नालागढ़ में एक बैठक रखी गई थी और उन्होंने वन अधिकारियों को मौखिक दिशा-निर्देश दिए थे। उसके बाद आज तक ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं ये बताना

चाहता हूं कि उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके पशुओं के बाड़े फोरेस्ट लैंड पर हैं, उनके घर को जाने वाला रास्ता भी फोरेस्ट में पड़ता है और उस बीड़ पल्लासी गांव में लगभग 60-70 परिवार रहते हैं। उन लोगों के घरों के लिए हम रास्ता भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वह सारा रास्ता फोरेस्ट लैंड में पड़ता है। उनके घरों के अलावा बड़े-बड़े उद्योग भी उसी रास्ते पर पड़ते हैं। ऐशियन सीमेंट इंडस्ट्री भी वहीं पर है और श्री हरीश अग्रवाल जी उसके एम.डी. हुआ करते थे। उन्होंने लम्बे समय तक इस मामले को लेकर दिल्ली तक भागदौड़ की लेकिन अभी तक हमें एफ.सी.ए. क्लीयरेंस नहीं मिल पाई, हालांकि वॉयलेशन जरूर हो गई।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो जैन्युअन केसिज़ हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस पंचायत के अलावा अन्य पंचायतों में भी लोगों की आपस में लागडाट के कारण एक-दूसरे के विरूद्ध शिकायतें करते रहते हैं। उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन भी मजबूर है और वहीं गरीब आदमी इससे परेशान रहता है। अभी माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा कि यह विषय बिलकुल गरीब व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। यदि किसी अमीर व्यक्ति ने कोई उद्योग लगाया है और 5-7 बीघा जमीन एंक्रोच कर ली है तो उस पर कोई गौर नहीं करता।

**29-08-2024/1650/ए.एस.-एन.जी/2**

इसी प्रकार यदि किसी गरीब आदमी ने 1-2 बिस्वा जमीन भी एंक्रोचमेंट कर ली है तो उसे हटाने के लिए हमारे अधिकारी व राजनीतिक लोग आए दिन चले रहते हैं। मेरा आग्रह है कि इस संकल्प के माध्यम से इस माननीय सदन के द्वारा इसका निपटारा किया जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे सत्ता पक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्य इस संकल्प में एक साथ होंगे। सर्व सम्मति से एक ऐसा नियम या कानून बनाया जाए या पुराने कानून में संशोधन किया जाए जिससे गरीब आदमी को राहत प्रदान की जा सके और तभी हमारा यहां पर आने का

फायदा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला न्यायालयों में सैंकड़ों-हज़ारों लिटिगेशन्ज़ ऐसे मामलों की पेंडिंग पड़ी हुई हैं। गरीब आदमी कोर्ट्स के धक्के खा रहा है और उसके पास वकिलों को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसके लिए कानून में संशोधन करने से जहां एक तरफ लिटिगेशन्ज़ समाप्त होंगी वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों को भी राहत देने का काम होगा।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट में एक और विषय माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा ग्राम पंचायत किरपालपुर, गागुवाल और मझौली में पिछली सरकार के समय में जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था तो उस समय यह नहीं देखा गया कि वह जमीन अलॉटेबल पूल में है भी या नहीं। इसके अलावा यह भी नहीं देखा गया कि वह लैंड चरांद है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर बड़ी-बड़ी गौशालाएं भी हैं। किरपालपुर पंचायत में भी बहुत बड़ी गौशाला है और न सिर्फ गौशाला बल्कि सांगशाला है।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**29.08.2024/1655/केएस/एएस/1**

**श्री हरदीप सिंह बावा जारी**--

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

यह जो त्रासदी पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हुई इसके बाद जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश हुए थे कि जिन लोगों के घर गिर गए या जिनका नुकसान हुआ, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए 2-2, 3-3 बिस्वा जमीन देने का वायदा जो माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा हुआ, वे कागज़ अभी भी प्रशासन के पास गोल-गोल घूम रहे हैं। अभी तक किसी को लैंड नहीं मिली और सभी लोग फोरैस्ट लैंड पर या सरकारी जमीन पर रहने के लिए मज़बूर हैं। वे टैंट लगा कर या कच्ची टीनों के छत लगाकर वहां रहने को मज़बूर हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर ऐसी नीति बने, प्रायोरिटी के आधार पर उन लोगों को जमीनें अलॉट

की जाएं ताकि उनका वहां पर पुनर्वास हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1655/केएस/एएस/2**

**अध्यक्ष :** अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हंस राज जी भाग लेंगे।

**श्री हंस राज :** आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय जीत राम कटवाल जी बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लाए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, सभी महत्वपूर्ण बिंदु इस पर आ गए हैं। माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी, कटवाल जी और सभी माननीय सदस्यों ने बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा। यही गम्भीरता चुराह विधान सभा क्षेत्र में भी है। हमारे साथ तो और भी ज्यादा अन्याय हुआ था। हिमगिरी का हमारा इलाका है जहां पर लगभग 21 मकान किसी की शिकायत पर उखाड़ दिए गए थे। ऐसे ही कई मकान अधर में लटके हुए हैं। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि हमारी ग्राम सभा में प्रधानों, वार्ड पंचों और विधायकों को इन्वॉल्व करके उनसे यह सुझाव लिए जाएं कि दो बिस्वा या कुछ इस तरह का प्रावधान करके ऐसे लोग जो नगर में हैं या थोड़ा-बहुत वन भूमि या रेवन्यू भूमि में हैं उनको हम लोग कंसिडर कर पाएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भाई विनोद जी के इलाके नाचन में भी इस तरह की समस्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि अब हमें इस संदर्भ में गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी मेरे साथ या किसी दूसरे के साथ नहीं बनती, सत्ता पक्ष या अपोजीशन से कोई भी शिकायत कर सकता है और माननीय हाई कोर्ट से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी कुछ भी ले कर आता है और उसकी सारी जिंदगी की कमाई मिनटों में देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है। चाहे भटियात हो, भरमौर, चम्बा या चुराह हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यापक समस्या हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस संकल्प में अपने आप को भी समाहित करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**29.08.2024/1655/केएस/एएस/3**

**अध्यक्ष :** अब तीन मिनट बचे हैं। माननीय सदस्या कुमारी अनुराधा राणा जी चर्चा में भाग लेंगी।

**कुमारी अनुराधा राणा :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी के द्वारा जो संकल्प लाया गया है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितिकरण करने हेतु जो यह संकल्प है, इसमें मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए अपनी तरफ से कुछ विचार सांझा करना चाहती हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कानून वर्ष 2005 में फोरैस्ट राइट एक्ट जिसका पूरा नाम Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 जो कानून पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था और जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य हमारे परम्परागत निवासियों का वन भूमि पर अगर कब्जा है तो उसको वह नियमित करता है। तो इस तरह का कानून हमारे देश में लागू है जो कि वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2008 में लागू किया गया था। परंतु कहीं न कहीं जब से यह लागू हुआ है, हम देखते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में समस्याएं आती रही हैं। खासकर मैं अपने ट्राइबल जिला लाहौल-स्पिति की बात करना चाहती हूं। वर्ष 2006 में जब यह कानून बना था, उस समय सैंटर में यू.पी.ए. की सरकार थी और जब से इम्पलीमेंट हुआ है, इसमें ट्राइबल्ज़ को भूमि देने में और उसके नियमितीकरण में कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है परंतु अभी जो स्थिति हमारे समक्ष है, जैसे अगर हम डिजास्टर की बात करते हैं, आपदा में जो हमारे लोगों के घर तबाह हुए हैं या उनकी जमीनों का जो नुकसान हुआ है, 31 दिसम्बर, 2005 से पहले अगर किसी व्यक्ति का वन भूमि पर उसके निवास के लिए और उसकी आजीविका के लिए अगर उसका अधिकार है, अगर उसका क्लेम है, तो उसके नियमितिकरण की बात यह कानून कहता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

**29.08.2024/1700/av/डीसी/1**

**सुश्री अनुराधा राणा क्रमागत**

परंतु यदि इसके अलावा आपदा में हमारे घरों या जमीन को नुकसान होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रावधान है? यह चीज़ एफ0आर0ए0 में तो नहीं हो सकती क्योंकि

उसमें वर्ष 2005 से पहले अपने राइट को साबित करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें प्रूफ/एविडेंस में आती है।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्या, आप अपनी बात रखने के लिए कितना समय लेंगी?

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी सदस्य दिवस है और आज 05.00 बजे अपराह्न के बाद समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्या, आप बैठ जाइए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूं क्योंकि गैर सरकारी सदस्य दिवस वाले दिन समय नहीं बढ़ता। हम आपको आगे 5 की बजाय 10 मिनट्स का समय दे देंगे। यह संकल्प अगले वीरवार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उस दिन आप ही शुरू करेंगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**शिमला : 171004** **यशपाल शर्मा**
**दिनांक : 29 अगस्त, 2024** **सचिव**